राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 37वां दिवस [संख्या 21

मंगलवार,

दिनांक 20 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, विद्युत्, वन, यातायात, शिक्षा, पंचायत, सिंचाई, समाज कल्याण, वित्त, शिक्षा, राजस्थान नहर परियोजना, योजना, चुनाव, अकाल सहायता विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

ब्लड ट्रान्सफ्यूजन व ब्लड बैंक के कार्यों के लिये प्रशिक्षित डाक्टर

359. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि सारे जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक ट्रान्सफ्यूजन व ब्लड बैंक के कार्यों के लिये प्रशिक्षित डाक्टर होने चाहिये ?

2. क्या यह भी सही है कि राज्य में इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल जयपुर में ही दिया जा सकता है ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षण के लिये अन्य विशेष विषयों की तरह इस विषय में भी रीडर, लेक्चरार आदि के पद होने चाहिये ?

4. क्या यह सही है कि भारत सरकार, राज्य सरकार को इसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिये भी तैयार है ? यदि हां, तो इन पदों के सृजन में राज्य सरकार को क्या कठिनाई अथवा आपत्ति है ?

5. क्या यह सही है कि आसोटोप जैसी माइनर सब स्पेसिलिटी में लेक्चरार का पद है ? यदि हां, तो इसमें ब्लड बैंक जितना वर्क लोड है ?

6. राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब तक आवश्यक कार्यवाही कर लेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 15 दिन का समय और मांग रहा हूँ।

Page No 2

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह प्रश्न ऐसा नहीं है केवल डाइरेक्टोरेट और सेक्रेटेरियट से इनफारमेशन लेनी थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पॉलिसी मेटर है ब्लड बैंक कहां कहां, किस किस तरह से है, अभी मैं जवाब दे दूं और फिर नहीं कर सकूं तो...

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी, अगले टर्म तक हो जायगी सात दिन में कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : सात दिन तो कम हैं 15 दिन के लिए कह रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह तो सीधा प्रश्न सेक्रेटेरियट और...

श्री अध्यक्ष : पालिसी मेटर है। मैं उसको देखूंगा आपसे मिलकर।

श्री दौलत राम आगरी।

पाली जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

360. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

1. पाली जिले में कौन कौन से गांवों का सन् 62 से 70 तक विद्युतिकरण किया गया ? सूची पृथक् पृथक् तहसील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि सादड़ी-देसूरी गांवों का विद्युतिकरण करने हेतु आदेश दे दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों का विद्युतिकरण किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि तहसील देसूरी के गांव खिवाड़ा, नारलाई, नाडोल, दादाई, सिदरली, सोमेसर के ग्राम वासियों ने विद्युतिकरण करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री खेत सिंह) : 1. पाली जिले में सन् 1962 से 1970 तक जिन ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है उनकी सूची "ए" तहसीलवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. वर्ष 1970-71 में सादड़ी से देसूरी तक 33 के. वी. लाइन खेंचने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस स्कीम में नारलाई, देसूरी थानेराव व नाडोल का विद्युतिकरण शामिल है।

3. इस क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुये ही उपरोक्त योजना स्वीकृत की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दौलतराम आगरी : क्या यह सही है खीवाड़ा, नारलाई, नाडोल की बिजली इस वर्ष मंजूर कर दी गई है ?

श्री खेत सिंह : हां, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या इसके अन्दर गांव बाड़ भी शामिल है ?

श्री खेत सिंह : इस लाइन पर यह गांव आता है तो यह भी लिया जायगा।

Page No 3

श्री शंकर लाल : क्या यह सही है कि पाली जिले में जो कुओं के लिये बिजली दी जाती है, उसमें गारन्टी की रकम जमा कराई जाती है, जबकि दूसरे जिलों में ऐसा नहीं किया जाता है ?

श्री खेत सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न सं. 361

श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 362

श्री जवाहर मल, श्री शंकर लाल जाट।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 363

श्री सुरेन्द्र प्रसाद।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 364

श्री राम सिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वी सिंह।

ग्राम सुमेरपुर में पाठशाला भवन का निर्माण कार्य

365. श्री पृथ्वी सिंह चौहान (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या ग्राम सुमेरपुर, जिला पाली में कन्या माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किस संस्था के अधीन है ?

2. इस भवन पर कुल कितनी लागत का अनुमान था ? कितनी राशि उपलब्ध थी ? कितना व्यय हो चुका है ? और कुल कितना कार्य हो चुका है ? ठेकेदार को कितना भुगतान किस आधार पर किया जा चुका है, और किस दर से भुगतान किया गया ?

3. क्या इस कार्य के सम्बन्ध में घोटाले, गबन अथवा अन्य किसी किस्म की अनियमितताऐं, बरतनें सम्बन्धी कार्यवाही अधिकारी-गण के ध्यान में आई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

4. क्या यह सही है कि अब यह निर्माण कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? अब पुनः कार्य कब से चालू किया जावेगा।

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): 1. उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिये शिक्षण संस्थान भवन निर्माण समिति सुमेर पुर का गठन किया गया है।

2. पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा निर्माण कार्य हेतु 80,000) रु. की स्वीकृति दी गई थी। संशोधित अनुमान 99,600) रु का बना हुआ है। निर्माण कार्य के लिये अलग से राशि उपलब्ध नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत ने अपने कोष में प्राप्त होने वाली आय को देखते हुये 40,645.52 ५

Page No 4

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

का व्यय किया है । निर्माण कार्य छत तक हुआ पड़ा है । ठेकेदार को भुगतान मेजरमेंट बुक के आधार पर पी. डबल्यू. डी. की दरों से 1 प्रतिशत कम की रेट से किया जाना बताया गया है ।

3. ग्राम सुमेरपुर की जनता की शिकायतों पर इस निर्माण कार्य की जांच मार्च, 1971 से चालू की गई है ।

4. निर्माण कार्य इस समय बन्द पड़ा है । रैकार्ड के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि, किस तारीख से कार्य बन्द है माह मई, 1971 में काम शुरू कराये जाने की सम्भावना है ।

श्री पृथ्वी सिंह : यह काम शुरू कब किया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह कार्य सन् 64 में शुरू किया गया था ।

श्री पृथ्वीसिंह : 64 में शुरू किया गया और बन्द कब हुआ । यह आपने कहा रैकार्ड के अभाव में बन्द पड़ा है । आप बता सकते है कब बन्द हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रैकार्ड के अभाव में यह बताना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : अब रैकार्ड का ही अभाव है तो कैसे ?

श्री पृथ्वीसिंह : रैकार्ड कहां था, यह ठीक है आपको · · ·

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रैकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

श्री पृथ्वीसिंह : रैकार्ड उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रैकार्ड ही उपलब्ध होता तो पता ही चल जाता ।

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक लाख की योजना है, उसके निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है । उसमें गड़बड़ घोटाला है । क्या जांच करेंगे, जो जांच आपने बैठाई है, वह क्या जांच कर पायेगी ?

श्री अध्यक्ष : रैकार्ड इरादतन गायब है या अनजान में है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो कहा नहीं जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : (कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर) प्रश्न कर्ता ।

श्री पृथ्वीसिंह : प्रश्न बड़ा गंभीर है । एक लाख का मामला है । पी. डबल्यू. डी. की रेट से पेमेन्ट कर दिया ठेकेदार को और काम जितना हुआ है उससे अधिक पेमेंट हो गया है । मेजरमेंट बुक गायब है, रेकार्ड गायब है जांच किन मुद्दों पर होगी ?

श्री अध्यक्ष : किन मुद्दों पर जांच होगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : काम कम हुआ है और पैसा ज्यादा खर्च हुआ है इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री पृथ्वीसिंह : पूरे मामले का जब रैकार्ड ही गायब है तो जांच किस प्रकार होगी ?

Page No 5

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रेकार्ड के अभाव में बिल्डग बनी हुई है। उसके हिसाब से जांच हो जायगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रेकार्ड ही गायब है तो ठेकेदार को किस हिसाब से पेमेन्ट किया गया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पेमेन्ट तो पहले ही हो चुका है। रेकार्ड अब उपलब्ध नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पेमेन्ट कब हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पेमेन्ट की तारीख अभी मेरे पास नहीं है

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता ।

श्री पृथ्वी सिंह : आप यह बता दीजिये यह रेकार्ड किसकी कस्टडी से गायब हुआ है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो जांच होने पर ही पता चलेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या इस बात की भी जांच करानी पड़ेगी कि रेकार्ड किसकी कस्टडी में था।

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड गायब है, इसकी जांच आरंभ है क्या ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, में निवेदन कर दूं। मेजरमेंट बुक अवेलेबिल नहीं है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है। मेजरमेंट बुक में जो एन्ट्रीज है उसके द्वारा जो वेल्यूऐशन किया गया है वह ठीक हुआ है या नहीं । सन् 1964 में इस बिल्डिग की कीमत 32 हजार के आस पास थी और भुगतान 40 हजार का है। एक लाख के घोटाले का प्रश्न ही नहीं है। रुपये कुल 40 हजार का पेमेन्ट हुआ है और आप एक लाख के घोटाले की बात कह रहे है'

श्री विजयसिंह (मकराना) : लाख का नहीं 50 हजार का है।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रश्न की इनफारमेशन चाहते हैं, या क्या कोई डिबेट तो हो नहीं रही है। मैं बता रहा हूं जब जिलाधीश के पास कम्पलेन्ट आई तो स्वयं वे जांच कर रहे हैं। कम्पलेन्ट आई उससे पहले पेमेन्ट हुआ है। जब रेकार्ड देखा गया तो आखिरी भुगतान सन् 196॰ में हुआ है। 64 से माननीय सदस्य यह बिल्डिग अनकम्पलीट पड़ी है । मेजरमेंट बुक नहीं मिली और पंचायत का भी रिकार्ड देखा गया वह नहीं मिला।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान : मैं यह पूछ रहा था कि मेजरमेंट बुक और रेकार्ड किस कस्टडी में था और कौन उसका जिम्मेदार था ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट यह नहीं बता सकती कि रेकार्ड किस की कस्टडी में था। ग्राम पंचायत अलग से बाडी है और उसके पास रेकार्ड रहना चाहिए था । ग्राम पंचायत कन्सट्रक्शन करा रही थी और रेकर्ड उसके पास में रहना चाहिए था। ग्राम पंचायत के रेकार्ड

(श्री परसराम मदेरणा)
में मेजरमेन्ट बुक और दूसरे वित्त वगैरह भी हैं वे अवेलेबल नहीं हैं। जब कलेक्टर के पास कम्पलेन्ट हुई तो देखा की यह रेकार्ड कहां है तो उसकी जांच प्रारंभ की है और इसके साथ ही साथ एक निर्माण कमेटी भी गठित की है जिसके वे स्वयं चेयरमेन हैं और उन्होंने 22 हजार रुपये का कन्ट्रीब्यूशन भी किया है। अब प्रश्न इतना रहता है कि कलेक्टर ने मेजरमेंट कराया और पंचायत समिति के ओवरसीयर से कराया। वह कह रहे हैं कि 64 में जो रेट शिड्यूल थी उसके अनुसार वह 32 हजार की बिल्डिंग है। अब यह 32 हजार की है तो इसका मतलब उसमें ओवर-एन्ट्रीज हैं। ठेके की शर्तों में और भी आइटम थे जिनका मेजरमेंट बुक में कहीं एन्ट्री करके पेमेन्ट किया है तो रेकार्ड नहीं होने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कितना पेमेन्ट एक्सेस हुआ है और इसी की जांच हो रही है।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान : अब इसका काम वापिस शुरू हो रहा है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : एक कमेटी का निर्माण किया है और उसके बाद में पंचायत समिति ने कन्ट्रीब्यूशन दिया और कुल मिलाकर 2?,566 रुपये का कन्ट्रीब्यूशन इस निर्माण कमेटी के द्वारा किया गया है और कमेटी को आशा है कि 50 हजार का कन्ट्रीब्यूशन और मिल जायेगा, ऐसा एश्योरेन्स उसको मिला है तो इसके एस्टीमेंट्स बनवाये हैं और उसके अनुसार 84 हजार रुपये के लगभग खर्चा होगा इस बिल्डिंग को पूरा कराने में। तो उनका ख्याल है कि पूरा कन्सट्रक्शन नहीं करा के इस बिल्डिंग के कम्पलीशन में और चार दिवारी बनाने में 70 हजार रुपया का काम वह फिलहाल करा लेंगे और उनका मानना है कि जुलाई तक यह बिल्डिंग पूरी हो जायगी।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह काम अधूरा है और उसका रेकार्ड अवेलेबल नहीं हो रहा है और सारे गड़बड़ घोटाले की भारी शिकायत है तो अब काम कैसे शुरू करायेंगे ? किस बेसिस पर शुरू होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : शिक्षा संस्था के काम को रोका जाना सुमेरपुर जैसी मण्डी में उचित नहीं है, ऐसी राज्य सरकार की मान्यता है और जिलाधीश ने जो भी स्टेप लिया है वह ठीक है। आज उसका वेलुएशन करा लिया और फिर कह रहे हैं कि दूसरे आफिसर्स से एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर या पी. डब्लू. डी. वालों से वेलुएशन करा लें, ताकि फिर शंका नहीं रहेगी कि ओवरसीयर ने वेलुएशन ठीक नहीं किया और अब स्थिति यह है कि कन्सट्रक्शन नहीं रोका जा सकता।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान : मेरा सुझाव है कि फिर से मेजरमेन्ट बुक बनवाकर फिर काम चालू करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अभी उत्तर में कहा गया कि मार्च, 70 में जांच प्रारम्भ की तो अब है अप्रेल, 71 तो क्या इतना अर्सा जांच में लगता है ?

Page No 7

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री फूलचन्द बाफना : इसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामकिशन

भरतपुर जिले के बांधों की मरम्मत

366. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भरतपुर जिले में कुल कितने ऐसे बांध हैं जो गत 3-4 वर्ष से टूटे हुए पड़े हैं ? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इन बांधों की मरम्मत का इरादा रखती है ? अगर हां, तो मरम्मत का काम कब शुरू हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : सूची संलग्न है। जी नहीं।

श्री रामकिशन : कोई सूची नहीं मिली है ?

श्री जसराज : सूची दी है।

श्री रामकिशन : आप सूची के नाम ही पढ़ दें।

श्री जसराज : 1. पारोली बांध
2. दाहिनी बांध
3. पिपूना नाला
4. बुंदेली बांध
5. सिकरी बांध
6. कुबारी बांध
7. फुरकेन
8. बानगंगा पर मार-जीनल बांध
9. लालपुर कैनाल
10. सालूइन खानडौली बांध
11. ओनबेल जाट नहर
12. चाकोरी नहर
13. नोरडा कोस बांध
14. कस्बा रूपवास बांध

श्री रामकिशन : आपने जो सूची दी है यह पंचायत के बांध भी इसमें शामिल हैं क्या ?

श्री जसराज : सिंचाई विभाग के बांध हैं सारे।

श्री रामकिशन : आपने जो सूची दी है 14 बांधों की, यह भरतपुर जिले में 44 बांध ऐसे हैं जो टूटे पड़े हैं, तो यह अधूरी सूची कैसे है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): हमारी सूची के अनुसार भरतपुर जिले में 3 साल से टूटे पड़े बांधों की संख्या 14 है और टोटल टूटों की संख्या सिंचाई विभाग के जो अनुमान हैं उनकी संख्या 18 है।

श्री रामकिशन : आपने बांधों के नाम गिनाये तो 14 ही हैं और पूरे भरतपुर जिले में ऐसे बांध तो 44 हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे 18 हैं।

श्री रामकिशन : ऐसे 44 हैं, आपके विभाग ने गलत सूचना दी है और पहले भी पैसा मिला लेकिन कोई काम नहीं कराया।

Page No 8

(श्री राम किशन)
आप चाहें तो 44 बांधों के नाम भी बता सकता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप एक सूची दे दें 44 की जो कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के अण्डर में हैं तो उनके बारे में स्कीम बनाने की कार्यवाही की जाये।

श्री रामकिशन : प्रश्न तो यह है कि सूची दे दें, तब स्कीम बनाये, लेकिन जो टूटे पड़े हैं और कह रहे हैं कि इनकी मरम्मत कराने का इरादा नहीं है तो क्या आप उचित नहीं समझते कि पुराने बंधों के टूटने से कितना रकबा टूट में पड़ा रह जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल टूटे हुए बांधों के रैस्टोरेशन का ही काम बाकी नहीं है बल्कि दूसरे काम भी करने हैं इसलिए धन की उपलब्धि और आवश्यकता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो भी इन टूटे हुए बांधों को रैस्टोर कराने के संबंध में किया जा सकता है, करेंगे।

श्री रामकिशन : यह तो आपने गोलमाल जवाब दे दिया। आप डेफीनेट बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नहीं कह सकता कि 44 को इसी साल रेस्टोर करा देंगे।

श्री रामकिशन : कितनों को करा देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनकी स्कीम बनाने पर जितने लिये जा सकते हैं धन की उपलब्धि के अनुसार उतनों को लेने की कोशिश करेंगे। जब तक इनके एस्टीमेट्स नहीं बन जायें तब तक पता नहीं चल सकता कि हम कितना करा सकेंगे और कितने काम में ला सकेंगे।

श्री रामकिशन : सारों के एस्टीमेट्स बने हुए हैं। यह आज की प्राब्लम नहीं है, भरतपुर में जब बाढ़ आई उसके पहले और बाद के टूटे हुए हैं और उनके एस्टीमेट्स बने हुए है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो उनको मालुम करके उसके आधार पर ही कुछ किया जा सकता है। इसके बारे में विधान सभा में अभी तत्काल मैं नहीं कह सकता कि 24 ही इसी साल रैस्टोरेशन के लिए ले लिये जायेंगे। यह तो धन की उपलब्धि के अनुसार, आवश्यकता और तत्काल महत्व को ध्यान में रखते हुए जितने होंगे करेंगे।

श्री रामकिशन : यह बिल्कुल सही है लेकिन धन का भी इन्डीकेशन आपको अब मिल गया लेकिन हमें जानकारी तो मिले कि दस को करा देंगे, पांच को करा देंगे कोई जानकारी तो होनी चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी क्या कहा जाये कि इतने काम ले लिये जायेंगे इन सारी चीजों पर विचार करके, और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जितना हो सकता है, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

प्रश्न संख्या 367

श्री बृज वल्लभ बोहरा

Page No 9

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 368

श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हीराभाई

जिला बांसवाडा में असहाय वृद्धों की पेंशन

369. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जिला बांसवाड़ा में कितने असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा रही है ? और कितनी कितनी ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : जिला बांसवाडा में वर्ष 1970—71 के अन्त तक 89 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा रही है।

पेन्शन एक व्यक्ति की वर्ष 70—71 से 30 रुपये प्रति माह तथा वृद्ध का अगर पूरा परिवार है अथवा एक से अधिक व्यक्ति हैं तो 40 रुपये प्रति माह दी जाती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को और किसी स्रोत से भी पेन्शन अथवा भत्ता मिलता हो तो उतनी राशि कम करके भुगतान किया जाता है।

श्री हीराभाई : कोई और तरह से असहाय हो तो उनको भी आप देते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर किसी दूसरे स्रोत से दस रुपये माहवार मिलती है तो उसे 30 रुपयें में से 10 रुपये काटकर 20 रुपये माहवार दी जायेगी।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ में अभी तक पहले के आधार पर ही पेमेन्ट किया जाता है और बांसवाड़ा में 360 रुपये साल के देते हैं और कुशलगढ़ में कहीं 115 और कहीं 157 रुपया देते हैं तो जब से सहायता की दरें बढ़ी हैं तबसे यह आदेश नहीं दिये गये कि अमुक दर से दी जाये और अगर आदेश दिये गये थे तो उनकी पालना क्यों नहीं की, पुरानी दर से दिया जा रहा है उसका क्या कारण है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बढ़ी हुई राशि प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू है, 70—71 से जब से कि इन नियमों में यह संशोधन हुआ है कि 20 के बजाय 30 रुपये कर दिये जायं तब से, यह जो 89 व्यक्ति हैं जिनको कि आज पेन्शन दे रहे हैं उनकी एक एक की अगर आप डिटेल्स चाहें तो दे सकता हूँ कि कितना दिया है। किसी को कम मिल रहा 360 रु. सालाना से तो उसको दूसरी राशि मिल रही होगी कहीं से।

श्री हीराभाई : कई लोगों को पुरानी दरों ने अभी तक दिया जा रहा है और कई लोगों को नई दरों से दिया जा रहा है। जिन लोगों को पुरानी दरों से दिया गया है क्या आप उनकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : विभाग की जानकारी में ऐसा केस नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो बतलादें, उनको ठीक कर दिया जायगा।

अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाडिया।

राज्य बीमा विभाग का विकेन्द्रीकरण

370. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

1. क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बीमा विभाग, जयपुर को विकेन्द्रीकरण के नाम पर तीन चार भागों में विभक्त करके जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर आदि स्थानों पर स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से?

2. क्या यह सही है कि उक्त विभाग के कर्मचारियों को जयपुर में जो सिटी एलाउन्स मिलता है, उनको अन्य स्थानों पर भेजे जाने से वे उनसे वंचित हो जावेंगे?

3. क्या यह सही है कि बीमा विभाग में करीब ढाई लाख कर्मचारियों की जो बीमा पोलिसीज हैं उनकी लेजर बुक पूर्ण नहीं है और हजारों कर्मचारियों की बीमा प्रीमियम आर. ए. आर. रजिस्टर में नहीं पडी हुई हैं?

यदि हां, तो कुल कितना रुपया आर. ए. आर. रजिस्टर में पडा हुआ है और किन कारणों से और उसका सुलटारा कब तक हो जावेगा और उसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

4. क्या यह सही है कि उक्त विभाग को चार पांच स्थानों पर विभक्त किए जाने के कारण विभाग के कर्मचारियों का सामुहिक रूप से विक्टीमाइजेशन करना है?

5. क्या यह सही है कि उक्त विभाग को चार पांच स्थानों पर विभक्त करने से बीमा युक्त कर्मचारियों को स्वयं या उनके रिश्तेदार को उनकी बीमा पर कर्जा लेने, मेच्यूरेटी, क्लेम, मृत्यु क्लेम व अवधि समाप्ति पर बीमा रुपया लेने में बड़ी भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा?

6. क्या यह सही नहीं है कि कर्मचारियों के बारम्बार होने वाले परिवर्तनों के कारण उनकी बीमा पोलिसी फाइल को अधूरे रिकार्ड के साथ इधर से उधर भेजने के कारण बीमा पॉलिसी रिकार्ड में गडबड़ियां पैदा होंगी?

7. क्या यह सही है कि उक्त विभाग को चार पांच भागों में विभक्त करने के कारण हजारों रुपयों के खर्चे का अतिरिक्त भार पड़ेगा? यदि हां, तो कितने रुपयों का खर्चे का भार और पड़ेगा और उसकी क्या आवश्यकता है?

8. क्या यह सही है कि बीमा विभाग के कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई मांग-पत्र दिया है?

यदि हां, तो मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, कल इसी प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने एक वक्तव्य दिया था कि बीमा विभाग के कर्मचारियों के मिलने के बाद इस पर डिबेट होगी इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं लेना चाहता।

Page No 11

श्री अध्यक्ष : थैंक यू । आज तो बड़ी अच्छी बोहनी हुई ।

श्री केसरीसिंह हाडा ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के विकास पर व्यय की गई राशि

371. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. राजस्थान सरकार ने अपने कोष से अब तक अनुसूचित-जाति व अनुसूचित जन-जाति पर कितना व्यय किया है ?

1. उक्त जातियों पर यह रकम कब से खर्च की जा रही है ?

3. क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन जातियों के कल्याण एवं विकास के लिये सरकार ने जितनी राशि व्यय की है, उसके अनुरूप ही आवास की समस्या के निवारण में, एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन जातियों ने विकास किया है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (विश्वम्भर-नाथ जोशी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में जब से यह विभाग कायम हुआ है तब से आज तक की सूचना चाही है, इसको एकत्रित करने में समय लगेगा, इसलिए इसको पोस्टपोन करने की दरख्वास्त दी जाती है ।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या इसका उत्तर इसी सत्र में दिलाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रयास करूंगा ।

प्रश्न संख्या 372

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य, श्री रामचन्द्र आर्य ।

(विराम)

दोनों आर्य एक साथ ? श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है इसका उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में दूसरे प्रश्न लेने पर ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : यह इनके नाम पर है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे नाम पर है 373 । यह हम दोनों का सवाल था ।

श्री अध्यक्ष : पूछिये ।

गंगनहर में पानी

373. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) व **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाकिस्तान के साथ पानी का जो पैक्ट सन् 70 में समाप्त हो चुका है उसके बाद राजस्थान के हिस्से का जो अधिक पानी बचा है वह कहां पर लिया जा रहा है ? तथा किस नहर के माध्यम से लिया जा रहा है ?

(श्री हंसराज आर्य)

(2) क्या वह पानी कुछ गंगनहर में भी चलेगा ?

(3) यदि हां, तो क्या गंगनहर में और अधिक पानी लेने की क्षमता है ?

(4) यदि हां, तो गंगनहर में 2720 क्यूसेक जो उस नहर का हमेशा का कोटा है, उससे कितना अधिक पानी वह नहर और ले सकती है ?

(5) क्या गंगनहर में अधिक पानी चलाने के लिए उसके बैंक्स को ऊंचा किया गया है ?

(6) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) राजस्थान के हिस्से का अधिक पानी आवश्यकता एवं उपलब्धि के अनुसार गंग कैनाल तथा राजस्थान कैनाल एवं उत्तरी तथा दक्षिणी घग्घर नहर क्षेत्रों में इन्हीं नहरों के माध्यम से लिया जा रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि राजस्थान के हिस्से का पानी आज भी पाकिस्तान जा रहा है ?

श्री रामकिशन : यह तो सही है ही।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राजस्थान के हिस्से का पानी जा रहा है...

श्री रामकिशन : यह क्या उत्तर हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समय राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में पानी जाता है, पाकिस्तान को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान के हिस्से का पानी बराबर पाकिस्तान को जा रहा है, और इनके पास पानी लेने का कोई इन्तजाम नहीं है। हम मौके पर जाकर देखकर आये हैं। ये बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि जो आपने प्रश्न में पूछा है उससे इसका सम्बन्ध नहीं है। वह अलग से प्रश्न है। जब वह आज नहीं रखा गया है वह प्रश्न तब जब आयेगा तब उत्तर दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : कल जो आपने उत्तर भेजा था लिखित में उसमें आपने जवाब दिया है, जी नहीं, यह प्रश्न पैदा नहीं होता। क्योंकि पानी नहीं जा रहा है। यह उत्तर दिया है, आपने कल प्रश्न का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा प्रश्न था वैसा जवाब दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, आज भी तो आपने कहा कि जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने पूछा था कि आज भी राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसका मैंने लिखित में उत्तर दिया है कि राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं जा रहा है।

श्री रामकिशन : हिन्द पाक ...

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इन्डो-पाक ट्रीटी समाप्त होने पर, जितना हमारे शेयर का पानी है क्या हम उसको पूरा युटिलाइज कर पाये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो सर्व-विदित है कि 31 मार्च, 1970 को हमारी ट्रीटी के मुताबिक पीरियड की समाप्ति हुई, उसके बाद सारा पानी जो कि पहले पाकिस्तान जाता था उसको राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यानी यों कहें कि हिन्दुस्तान को इस्तेमाल करना था, और हमारी ट्रीटी के मुताबिक उसमें हमारा भी हिस्सा मिलता है 8 लाख क्यूबिक एकड़ पानी, लेकिन उस सारे पानी का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि पौंग बांध का पूरा निर्माण हो जाय, और पंजाब के अन्दर थिंद बांध बन रहा है, उसका निर्माण हो जाय और इधर राजस्थान कैनाल के दोनों स्टेज जिनका निर्माण-कार्य चालू है वह पूरा हो जाय तभी अपने हिस्से का 8 लाख घन फुट पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बरसात के दिनों में अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल करना और खासतौर से जुलाई और अगस्त महीनों में, संभव नहीं हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह पानी अन-युटिलाइज्ड कहां जा रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां इसको जाना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कहा गया है कि पानी को जहां जाना चाहिए वहां जा रहा है। यह क्या उत्तर हुआ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न का संबंध केन्द्रीय सरकार से है, क्योंकि वे उसको डील कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं और कह सकता हूं कि जुलाई और अगस्त के महीनों में पूरा पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गत वर्ष आपने यहां आश्वासन दिया था कि आयन्दा अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं जाने दिया जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं स्पीच अपने साथ लाया हूं। मैंने कहीं आश्वासन नहीं दिया और अगर दिया है तो पढ़कर सुना दें।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्षजी, गत सत्र माननीय मंत्रीजी ने इसी सदन में अपने भाषण में कहा था कि पानी को युटिलाइज करने के लिए धनाभाव के कारण राजस्थान कैनाल कम्प्लीट नहीं होती है तब तक एक छोटी फीडर निकाल कर जैसलमेर या बीकानेर जहां इसका यूज हो सकेगा, डालेंगे, और उसका सर्वे करायेंगे।

श्री रामप्रसाद लढ़ा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाई पेपर का मूल्य

374. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) न्यायालयों में प्रयोग हेतु वाटर-मार्क्ड पेपर (पाई पेपर) में किस प्रकार का कागज प्रयोग में लाया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि पाई पेपर का वर्तमान मूल्य पहले के मूल्य से बढ़ाया हुआ है ?

(3) क्या कारण है कि जब कागज की मंहगाई के कारण पाई पेपर का मूल्य बढ़ा दिया गया है तो कागज की क्वालिटी भी घटा दी गई है ?

उप मंत्री, वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल): (1) वाटर मार्क्ड पाई पेपर में प्रायः हैंडमेड कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा हाथ से बनाये गये पेपर ही काम में लाये जाते हैं।

(2) नहीं। पिछले कई वर्षों से प्रति पाई पेपर का मूल्य केवल 5 पैसे ही है।

(3) न मूल्य में वृद्धि की गई है, न क्वालिटी ही घटने की कोई शिकायत कोषाधिकारियों से प्राप्त हुई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि पाई पेपर लोकल इण्डस्ट्री सांगानेर के कागज पर बनता था ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : कोऑपरेटिव सोसाइटी का है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपने अब बनाई है और यह लोकल इण्डस्ट्री सांगानेर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, और यह कागज हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी जाता था। उस इण्डस्ट्री को आपने खत्म कर दिया। पहले जो पाई पेपर बनता था वह सांगानेर की लोकल इण्डस्ट्री के कागज पर बनता था...

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी है क्या ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कल का स्टाम्प का महत्वपूर्ण प्रश्न था उसी तरह से यह है। यह तो पाई पेपर है, और इसकी कीमत 5 पैसे की है। इसका नाम पाई पेपर ही इसलिए रखा गया था कि एक पाई में मिला करता था किसी जमाने में...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : प्रश्न पूछने का तात्पर्य ही यह है कि सरकार सोचकर निराकरण कर दे। जो पाई पेपर··

श्री अध्यक्ष : फिर वक्तव्य पर आगये। प्रश्न सीधा पूछिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उनको ज्ञान नहीं है। आपने यह जानकारी दे दी कि इसकी कीमत 5 पैसे चली आ रही है और पहले एक पैसे में आता था। वह 5 पैसा कर दिया। उसको 100–100 की गड्डी में बेचते हैं तो पूरा नहीं निकलता है और कोई इस बात के लिये पूछने वाला नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है। 90 और 95 निकलते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : कागजों की खरीद में घोटाले होते हैं, और कागज में भी लोकल इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। क्या मंत्री महोदय, यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि लोकल इण्डस्ट्री के बने हुए कागजों को प्रोत्साहन देंगे, और इसके आधार पर काम करेंगे, और लोकल इण्डस्ट्री को पनपाने का काम करेंगे।

श्री बृजप्रकाश गोयल : कोआॅपरेटिव भी जो कागज बनाती है लोकल इण्डस्ट्री हैं, और उनसे ही खरीदा जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि सांगानेर में कागज की इण्डस्ट्री एक पीरियड से चली आ रही है, उस इण्डस्ट्री को खत्म करने का मकसद है क्या आपका ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : किसी इण्डस्ट्री को खत्म करने की मन्शा नहीं है। हम कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को प्रिफरेन्स देते हैं। हैण्ड मेड पेपर को, इसलिए प्रिफरेन्स देते हैं। अगर सांगानेर में हैण्ड-मेड पेपर बनाने वाली कोआॅपरेटिव सोसाइटी है तो उससे भी लेना पसन्द करेंगे और दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज हैं तो उनसे भी लेने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वन मंत्रीजी।

ग्राम लखनपुरा की भूमि

375. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बौंली के ग्राम लखनपुरा की कुछ भूमि रेवेन्यू रिकार्ड से बौंली में सिवाय चक दर्ज होने के कारण सन् 64–65 या इसके आस-पास तहसील एडवाइजरी कमेटी द्वारा भूमिहीनों को एलॉट कर दी गई थी ? जिसे उन्होंने दो वर्ष तक काश्त भी कर लिया ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग ने यह भूमि अपनी होने का दावा कर किसानों को इस भूमि की काश्त करने में बाधा डाली ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि में वास्तव में कोई पेड़ वगैरह नहीं है और यह भूमि नितान्त काबिले काश्त है ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि ब्लाक फोरेस्ट कमेटी ने भी इस भूमि को वन विभाग से रिलीज कर रेवेन्यू विभाग को दिये जाने की सिफारिश जिलाधीश महोदय को प्रेषित कर दी ?

(5) यदि हां, तो यह सिफारिश जिलाधीश महोदय को कब प्रेषित की गई और उस पर जिला स्तर कमेटी ने अब तक कोई निर्णय लिया अथवा नहीं ? यदि लिया तो क्या निर्णय लिया, और नहीं तो यह भूमि वन विभाग से कब तक रिलीज कर दी जावेगी ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां।

(2) वन विभाग ने इस भूमि को अधिकृत आवंटन निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की।

(3) भूमि कृषकों द्वारा साफ कर लेने के उपरान्त भी वहां हींगोट, खेजड़ा, छीला करेड़ा, करील आदि के वृक्ष हैं। भूमि में नले दरड़े हैं व भूमि कटान से ग्रसित है।

(4) जी हां।

(5) यह सिफारिश दिनांक 3-2-69 को जिलाधीश महोदय को प्रेषित की गई। जिला स्तर कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 19-9-70 में निर्णय नहीं लेकर निर्देश दिये हैं, जिसके अनुसार तहसील स्तर समितियों को इन गांवों की काबिल काश्त वन भूमि का सर्वेक्षण कर अपना विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में निर्णय प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय कब लिया गया ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: 1964 में।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तब तो अलॉटमेण्ट हुआ था, लिया कब ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : 1964 में ही लिया गया था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : या पहले ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: यह राजस्व विभाग ने गलती से लिया था। वही कार्यवाही चल रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह सिवाय चक भूमि विभिन्न काश्तकारों को अलॉट की गई थी।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कार्यवाही बाद में हुई है। जब राज्य सरकार को मालूम पड़ा। यह सन् 1967 में कार्यवाही हुई। उसके बाद में 4-12-67 को राज्य सरकार को मालूम हुआ तो जिलाधीश को यह कहा गया कि इसको निरस्त किया जाये। तो वन विभाग ने कार्यवाही की है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: 65-66 और 67 में काश्तकारों ने इसमें काम किया। ब्लाक एडवाइजरी कमेटी का यह कहना है कि यह वन विभाग की नहीं है। जब तक कि फाइनल निर्णय नहीं हो जाये····

Page No 17

राव श्री नारायणसिंह : प्रश्न के अन्तिम भाग में निवेदन कर चुका हूं। तहसील स्तर की कमेटी ने यह विचार किया था। लेकिन अब वह सारा जिला स्तर की कमेटी में बाद में निर्णय ले लिया जायेगा, अब यह प्रश्न ही नहीं उठता। अगर जिलाधीश और वन मण्डल अधिकारी दोनों ही इस विषय में कहेंगे कि इस वन भूमि को मुक्त कर देना है तो यह कार्यवाही वह करेंगे, तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाये तब तक उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाये।

राव श्री नारायणसिंह : नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य : नहीं करेंगे। कह दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 376

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 377

श्री गोरधन सोनी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

बेरोजगार व्यक्ति

378. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान में अनपढ़ और पढ़े-लिखे कितने कितने व्यक्ति बेकार हैं, उनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त कितने हैं?

2. कितने कृषि मजदूर बेकार हैं? कुल कितने कृषि मजदूर है?

3. राजस्थान में कितने व्यक्ति अर्द्ध रोजगार प्राप्त हैं?

4. राजस्थान में किन योजनाओं अथवा कार्यक्रमों द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की है? प्रत्येक योजना को निर्धारित धन-राशि और काम पाने वालों की संख्या बतलाई जाय?

श्री रामकिशन : (श्री मथुरादास माथुर से) आप ही दें जवाब। आप ही दे पायेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :

1. आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. बेकार कृषि मजदूरों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1961 जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कृषि मजदूरों की संख्या 395 हजार थी।

3. वांछित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

4. वांछित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामकिशन : फिर बेरोजगारी आप किसकी मिटा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन आंकड़ों का उप-

(श्री भैरोंसिंह)
योग किया था वह किसके आधार पर किया था ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय आंकड़े इकट्ठे किये जाते थे । प्लानिंग कमीशन के आधार पर इकट्ठे किये जाते थे । अब गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के लेबर डिपार्टमेण्ट ने किये हैं । हमारे पास जो आंकड़े हैं वह इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि वह आथें-टिक नहीं हैं ।

श्री रामकिशन : बिना पढ़े लिखे लोगों की सूची नहीं है तो पढ़े-लिखे लोगों की तो होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : एम्प्लायमेण्ट डिपार्टमेण्ट के जो आंकड़े हैं उन पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं । मैं उनको आथें-टिक तरीके से सदन के सामने नहीं रख सकता हूं । कल को मुझे पिन डाउन कर दिया जाये कि यह आंकड़े कहां से लिये हैं । हम एक्चुअल फिगर्स या आंकड़े नहीं दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह एक पुस्तिका निकाली है 'योजना और प्रगति, । इसके पेज 14 पर आपने आंकड़े दिये हैं, उसको क्या मानें ?

श्री मथुरादास माथुर : वह करेक्ट आंकड़े नहीं मानता हूं । जो पुराना फार्मूला है, उसी आधार पर वह है ।

श्री भैरोंसिंह : मगर ये किस आधार पर निकाले हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वही पुराना आधार है ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो बतायेंगे कि गर्वनमेंट का योजना बनाने का तो आधार कुछ होगा ? वही बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह फार्मूला के आधार पर आकड़े इवोल्व किये जाते हैं । इतना होगा तो इतना होगा । उसी फार्मूले से यह है । आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आप को सुना देता हूं । एडीशन टू लेबर फोर्स बिटविन 1966-67, 1967-68, 1968-69, 6.78 लाख, टोटल हुआ 12 लाख । फिर उसके बाद करीब करीब 3.48 लाख जोब्स वर क्रियेटेड ड्यूरिंग थ्री एनुअल प्लान, इसलिए फोर्थ प्लान के बिगनिंग में बैक लाग रहा 8.52 लाख । इसलिए फोर्थ प्लान में शुरू में एन्टर हुए अनएम्प्लायर्स लोग 8 लाख 52 हजार, इतने अनएम्प्लायड आदमी थे हमारे पास...

श्री मनोहर सिंह मेहता : केवल ।

श्री मथुरादास माथुर : केवल ।

श्री भैरोंसिंह : इन आंकड़ों के आधार पर ।

श्री मथुरादास माथुर : तो हिन्दुस्तान के आंकड़ों के हिसाब से हमारे आंकड़े बहुत नहीं हैं क्योंकि फोर्थ प्लान के बिगनिंग में जो अनएम्प्लायड थे, वह हमारी टोटल पापूलेशन का 4.75 है, यह पर्सेन्टेज है । ऐसे फिगर करीब करीब बनते हैं, अब आल इंडिया को देखते हुए...

श्री रामकिशन : राजस्थान की बर्थ रैट ज्यादा रही है, इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़े हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वर्ष रेट से अन-एम्प्लायड ज्यादा नहीं हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आप अपनी स्पीच बता दें।

श्री रामकिशोर : आंकड़े इकट्ठे करने के सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी एक स्टेट नहीं, आल इंडिया इसमें लिंक्ड हैं, जो मेथडोलोजी इस कन्ट्री में डवलप की जायेगी, वह सब एडाप्ट करेंगे। यह प्लानिंग का सब्जेक्ट है, इसलिए प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार इस पर सोच रही है, वह सोचने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे करने का मेथड इवाल्व करेगी, नेशनल सेम्पल सर्वे के आधार पर या अन्य तरीके से, वह एडाप्ट करेंगी और हम भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : दांतवाला कमेटी ने स्टेट्स को इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने के सजेशन दिये थे, उसके आधार पर सरकार ने कुछ किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : दांतवाला कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी, वह जो सिफारिश करती है वह भारत सरकार को करती है। यह नेशनल बात है, इसलिए कमेटी की सिफारिशों पर अभी चिन्तन कर रही है और चिन्तन करने के बाद वह जो फार्मूला, मेथेडोलोजी इवाल्व करेगी, वही हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में हम एक मेथेडोलोजी या सिस्टम कर दें...

श्री भैरोंसिंह : वह प्रश्न नहीं है। आंकड़े इकट्ठे करने के सम्बन्ध में दांतवाला कमेटी ने स्टेट को डाइरेक्शन दिये थे कि स्टेट को अमुक प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए, वह उपलब्ध हुए या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न 4 मैंने पूछा था, इसका क्या उत्तर दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने, उपलब्ध नहीं है, कहा है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने किन किन योजनाओं अथवा कार्यक्रमों द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। प्रत्येक योजना की निर्धारित धनराशि और काम पाने वालों की संख्या बतलाई जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने बताया, आपके सामने अभी अर्ज किया था कि फोर्थ प्लान के अन्दर 316 करोड़ का प्लान मानकर चलते हैं, और उसके अन्दर से 7.20 लाख लोग एम्प्लाय हो जायेंगे। यह मत पूछना, फिगर कहां से लाया, कैसे लाया।

श्री दौलतराम सारण : यह पेचीदा समस्या है। आपको यह पता नहीं कि आपके पास कितने बेकार हैं, और आपकी योजना एम्प्लायमेंट देने की क्या है। मैंने दो तीन बातें पूछी हैं, एक तो कार्यक्रम क्या है, योजना अथवा कार्यक्रम, दूसरे कितने आदमियों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। आपने आंकड़े बतलाये कि इतनों को रोजगार मिल जायगा। तो प्रत्येक योजना की धनराशि बतलाते हुए आप काम पाने वालों की संख्या बतला दें।

Page No 20

श्री मथुरादास माथुर : मैंने शुरू में निवेदन कर दिया, ग्रान्सर उपलब्ध नहीं है । मैं निवेदन करता हूं कि करीब साढे सात, आठ हजार का इन्वेस्टमेंट होता है तब नार्मली एक व्यक्ति को एम्प्लायमेंट मिलता है ।

श्री रामकिशन : किसमें, इन्डस्ट्री में या एग्रीकल्चर में ।

श्री मथुरादास माथुर : इन्डस्ट्री में ।

श्री रामकिशन : यह गलत है ।

श्री मथुरादास माथुर : गलत सही की बात मत कीजिये, नार्म्स माने गये है वैसे अलग अलग हो सकता है, टैक्निकल पर्सनल के लिए ज्यादा की जरूरत हो सकती है ।

श्री रामकिशन : अब नया आया है इन्डस्ट्री पर कर दिया 13 हजार, एग्रीकल्चर का अलग है, इन्डस्ट्री का अलग हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एवरैज कह रहा हूं, अलग अलग सेक्टर की बात नहीं कह रहा हूं। साढ़े सात हजार, आठ हजार माना गया है, जो एक आदमी को रोजगार देने में खर्च होता है। अब मेरा 316 करोड़ का प्लान है, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, उस सबको केलकुलेट करके फार्मूला निकालते हैं कि इतना होगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मेरा प्रश्न है· · ·

प्रश्न सं. 379

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरजी राम बुरडक ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 380

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मेरा भी प्रश्न है ।

प्रश्न सं. 381

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 382

श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : बजट भाषण हो तब पेश करें ।

एक माननीय सदस्य : बजट भाषण तो हो गया !

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा एक प्रश्न है, क्या योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे, राजस्थान में कितने आदमियों को कितने साल में एम्पलायमेंट देने की योजना है। आपने बताया, अभी 26 हजार को दे रहे हैं एम्प्लायमेंट, तो जितने लोग हैं

Page No 21

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
उनको, कितने साल में एम्प्लायमेंट देने की योजना है और उसमें कितने साल लग जायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : अनएम्प्लायड 18 से 25 साल के बीच होते हैं, एजूकेटेड अनएम्प्लायड को एवरेज के तौर पर हण्ड्रेड बिड्स में एम्प्लायमेंट मिल जाती है। यह फिगर ऐसा है, जिससे आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो जायेंगे, इसलिए मैं कन्फ्यूजन क्रियेट नहीं करना चाहता।

प्रश्न सं. 135

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रामकुमार नन्दवाना !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण ! 140 ! स्थगित प्रश्न !

श्री रामकिशन : यह प्रोफेसर दांतवाला नहीं है, दंतवाला है।

श्री भैरोंसिंह : यह दांतवाला है।

श्री मथुरादास माथुर : दंत कहो, दांत कहो।

स्थगित प्रश्न

(30-3-71 व 13-4-71)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों का चुनाव

140. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव बहुत समय से नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन के कब कब से ?

(2) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील क्षेत्र की एक न्याय पंचायत के चेयरमैन एक कत्ल के मामले में बहुत समय से फरार हैं जिससे उस न्याय पंचायत की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत के पंचों ने सम्बन्धित अधिकारी तथा पंचायत विभाग को कई बार लिखित शिकायत इस चेयरमैन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

चुनाव मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 24-7-68 पश्चात् कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।

(3) न्याय पंचायत ढाणी पाचेरा के पंचों द्वारा दिया गया आवेदन-पत्र जिलाधीश कार्यालय में दिनांक 9-5-70 को प्राप्त हुआ। जांच हेतु तहसीलदार सरदारशहर को लिखा गया जिनके द्वारा जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : यह 1968 से अब तक न्याय पंचायत की मीटिंग नहीं हुई तहसीलदार को जांच करने के लिए

(श्री दौलतराम सारण)
लिखा, तहसीलदार ने जांच का उत्तर नहीं दिया, फिर आप कब तक निर्णय करवा लेंगे? कितने अर्से से जांच पैंडिंग है?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: यह 9-9-70 को सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद तहसीलदार को जांच करने के लिए कहा गया। नानूराम ने 11-11-70 को एक सूचना इसके बारे में दी है। अब इलेक्शन विभाग को मालूम हुआ है कि रिक्त स्थान है तो यथा समय उसकी पूर्ति की जायगी।

श्री दौलतराम सारण: स्थान रिक्त हो गया है? चेअरमैन का स्थान रिक्त हो गया है?

श्री नारायण सिंह मसूदा: मोजूद नहीं हैं तो स्थान रिक्त समझा जायगा।

श्री दौलतराम सारण: समझा कैसे जायगा? विधान विधि से जब तक नहीं हटाया जायगा तब तक कैसे समझा जायगा?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: सैक्शन 20 के अन्दर है जब तक आफिसर इन्चार्ज पंचायत इस बात की सूचना नहीं देगा कि यह स्थान रिक्त हो गया है तब तक रिक्त नही मान सकते।

श्री दौलतराम सारण: मैंने प्रश्न पंचायत मंत्री से पूछा है, आप बीच में कूद पड़े जबर्दस्ती। मैं पंचायत मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि 6० से आदमी फरार है, कत्ल के मामले में, और पंचायत बराबर निवेदन कर रही है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। 1968 के बाद न्याय पंचायत की मीटिंग नहीं हो रही है. तीन साल हो गये हैं, तो कार्यवाही, क्यों नहीं की जाती, चुनाव कराने की कार्यवाही, हटाने की कार्यवाही, जिससे न्याय पंचायत ठीक प्रकार से चल सके। इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके?

श्री नारायण सिंह मसूदा: यह प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित है।

श्री दौलतराम सारण: मैंने पंचायत मंत्री से प्रश्न पूछा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसमें चुनाव का प्रश्न था, इसलिए चुनाव...

श्री दौलतराम सारण: आपको चाहिए था, आप सूचना सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करते।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: जितनी सूचना सम्बन्धित विभाग में थी, वह प्राप्त की थी।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, आप इस सूची में देखेंगे कि 1965 से स्थान रिक्त पड़े हैं, अध्यक्षों के स्थान 1965 से रिक्त पड़े हैं, 1966 से रिक्त पड़े है, 1967 से रिक्त पड़े हैं, 1963 से रिक्त पड़े हैं। इतने लम्बे लम्बे समय तक न्याय पंचायत के अध्यक्षों के स्थान रिक्त पड़े रहें, तो क्या आप न्याय पंचायत को काम करने में सक्षम समझते हैं?

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण करें।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा: विभिन्न कारणों से स्थान रिक्त पड़े हैं, वह इसलिए रिक्त पड़े रहे कि जो इन्डायरेक्ट चुनाव होते हैं, इस-

Page No 23

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
लिए जब तक पंचायतों के चुनाव जनरल नहीं हो जाते, तब तक यह स्थान रिक्त रखने का विचार था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण: आगामी चुनाव नहीं हों पंचायतों के तब तक क्या चुनाव नहीं करवाये जायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : करवा दिये जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : कब तक करवा दिये जायेंगे ?

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : शीघ्राति-शीघ्र।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण बात नहीं है, आप सूची देखियेगा, कितनी ही पंचायतों के पांच पांच, तीन तीन, चार चार, दो दो वर्ष से स्थान रिक्त पड़े है, उनमें अध्यक्ष नहीं है। किसी का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : चुनाव के लिए आपको क्या कहा कि क्या कारण है।

श्री दौलतराम सारण : कारण नहीं बताया, क्यों नहीं करा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कारण पहले बतला दिये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : पंचों के चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायतों के पंचों के स्थान खाली पड़े हैं। मन्त्री महोदय बतायें कि कब तक चुनाव करायेंगे।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष नहीं है कई पंचायतों में।

श्री वि [illegible]सिंह : आपको क्या पंचायत करनी है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : तीन पंचायतों के तीन प्रधानों के पद खाली पड़े हैं

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरजीराम बुरड़क।

प्रश्न संख्या 142

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 222

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं 229

श्री बिठ्ठल प्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण :

चूरू जिले में राहत कार्य

237. **दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)**: क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में इस वर्ष कौन कौन से सहायता कार्य कब से कब तक चालू रखे गये ?

2. प्रत्येक कार्य पर कुल कितने मजदूर रहे और कितनी धनराशि व्यय हुई ?

3. इससे पहले उन्हीं कामों में गत वर्षों के अकाल सहायता कार्यों के समय

Page No 24

(श्री दौलतराम सारण)
कितनी कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

4. उन स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिये अनुमानित व्यय कितना होना था और कितना हुआ और कार्य पूरा करने के लिये कितना और चाहिये।

5 किन–किन उच्च अधिकारियों ने उन कार्यों का निरीक्षण किया ? निरीक्षण के समय।उपरांत उन्होंने क्या रिर्पोट दी ?

6. क्या इन कार्यों पर लगे कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों के विरुद्ध कामों में और ठेकेदारों से मिल कर भ्रष्टाचार और भारी घोटाले करने की अनेक शिकायतें उच्च अधिकारियों, सहायता विभाग और मंत्री स्तर तक सरपंचों, प्रधानों व जनता की ओर से की गई थी ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे। उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ?

7. क्या यह भी सही है कि मजदूरों को 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, मजदूरी चुकाई गई ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को कितनी बार ?

8. यह भी बतलाया जाय कि कुल मजदूरों की संख्या के हिसाब से उन्हें निर्धारित दरों से कितनी मजदूरी चुकाई जानी थी और कितनी चुकाई गई ? कुल कितने रुपये की कटौती की गई तथा क्यों ? क्या यह प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेजरमेंट में काट-छांट कर कटौती की गई है ?

उप मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगा राम चौधरी) : (1) चूरू जिले में अभाव वर्ष सम्वत् 2026 में जो सहायता कार्य खोले गये एवं चालू रखे गये उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. समस्त सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

3. समस्त सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

4. समस्त सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

5. उच्च अधिकारीगण कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करते रहे हैं। निरीक्षण के समय मौके पर खामियों की पूर्ति करवाने का प्रयत्न किया है।

6. इन कार्यों पर लगे कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षक अधिकारी के विरुद्ध जो शिकयतें हैं इन परजिलाधीश, अधिशासी अभियन्ता अधीक्षक अभियंता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यवाही किये जाने को लिखा गया है इनके अभी तक कार्यवाही के परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं शिकायतों को प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री दौलतराम सारण : आगे और हैं 7 और 8।

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

8. मजदूरों को उनके लिए निर्धारित टास्क के आधार पर भुगतान किया जाता था। अतः टास्क के हिसाब से जितनी मजदूरी बनती है उतनी पूरी पूरी चुकाई

(श्री गंगाराम चौधरी)
गई है। प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेजरमेंट में काट-छांट कर कटौती की जाने की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आपने कहा है कि यह काम टास्क बेसिस पर कराया जाता था । इस सम्बन्ध में मैंने लिखित रूप में अनेक प्रकार की शिकायतें को है कि यहां कोई काम टास्क बेसिस पर नहीं कराया जा रहा है, उसके बाद भी उत्तर दिया जा रहा है कि टास्क बेसिस पर करवाया हैं। साथ में आपने कहा है जी नहीं। मैंने पूछा हैं कि क्या यह सही है कि मजदूरों को 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे मजदूरी चुकाई गई ? आपने कहा है जी नहीं । यह कैसे कह दिया ?

श्री गंगाराम चौधरी : टास्क बेसिज पर काम किया जाता था और टास्क कम हो जाने की वजह से मजदूरी कम हुई लेकिन आपने पूछा है कि 2 पैसे या पांच पैसे मजदूरी चुकाई गई ? तो इस प्रकार मजदूरी नहीं चुकाई गई ।

श्री दौलतराम सारण : कितनी कम चुकाई गई थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस समय नहीं कहा जा सकता लेकिन कहीं पूरी

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रश्न 8 में पूछा है कि कुल कितनी मजदूरी उनके निर्धारित दरों पर चुकाई जानी थी और कितनी चुकाई गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि टास्क बेसिज पर जितनी मजदूरी बनती थी उतनी चुकाई गई ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने उस समय भी सदन में कहा था कि टास्क बेसिज पर काम नहीं करवाया गया और आज भी कहता हूँ कि नहीं करवाया गया और मजदूरी मनमाने तरीके से काटी गई। उसकी शिकायतें की गई। शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और आज भी हजारों मजदूरों का पैसा बकाया पड़ा है 5 पैसा, 10 पैसा 20 पैसा, 25 पैसा मजदूरी मनमाने तरीके से काटकर चुका दी गई और कारण यह था कि फर्जी कामों के मस्टर रोल्स थे जब वह एवरेज निकालते हैं उस हिसाब से मजदूरी फैलाकर दे दी और रीएल मजदूरी का काम होते हुए भी मजदूरी नहीं चुकाई जाती थी। यह शिकायत थी हमारी, उसमें जिनमें शिकायतें की गई हैं भ्रष्टाचार की उन पर आपने क्या किया है। हमने विभागों को लिखा था, जब तक सूचना नहीं मिली है। अब क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष : क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी : संबंधित अधिकारी गण इस संबंध में जांच कर रहे हैं जिलाधीश, अधिशासी अभियंता और मुख्य अभियंता से जांच रिपोर्ट के लिए निवेदन किया जा चुका है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने रिमाइंडर भेजा ? जब भ्रष्टाचार के मामले हैं तो आपके मन में पीड़ा पैदा हुई ? भ्रष्टा-

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
चार के मामले में जल्द कार्यवाही होनी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष : हर प्रश्न पर पीड़ा पैदा हो जाएगी· · ·

श्री परसराम मदेरणा : (अकाल सहायता मंत्री) : जी हां ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे खेद है कि अकाल सहायता विभाग की बात किसी ने सुनी नहीं । इन्होंने जरूर लिखा, कलेक्टर को लिखा, चीफ इंजीनियर को लिखा, लेकिन इनके लिखने की कोई नहीं मानता और इसलिए इतनी गंभीर शिकायतें थी मौके पर एस. डी. ओ. ने जांच की और उन्होंने रिपोर्ट दी कि कुछ शिकायतें सही हैं । इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । लाखों रुपये का घोटाला है, इतने बण्डल मेरे पास हैं पंचायतों के सरपंचों के प्रधानों के । अलावा और भी शिकायतें हैं । उसके बाद भी मुझे खेद है कि किसी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री दौलतराम सारण : क्या अब आशा करूं कि कार्यवाही की जाएगी ? गबन और घोटालों के मामलों की जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : संबंधित अधिकारियों को तकाजा किया जायेगा ।

श्री दौलतराम सारण : क्या इन गबन, घोटालों के मामलों में किसी स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति करके जानकारी की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : कोई कार्यवाही की जाएगी गड़बड़ घोटालों के मामलों में ।

श्री परसराम मदेरणा : जो शिकायतें अकाल सहायता विभाग में आई या कलेक्टर के पास सीधी आई, मैंने उन शिकायतों की सूची दी है जो मेरे पास आई जिनमें काफी कलेक्टर के पास जांच के लिए भेजी और शिकायतें माननीय सदस्य की थीं । हमने कलेक्टर के पास में जो शिकायतें आई, वह एग्जीक्यूटिव एजेन्सी जो थी उनके पास जांच के लिए भेजी । उनमें तहकीकात के लिए मैं नहीं कह सकता कि कितनी शिकायतें बेसलेस पाई गई लेकिन टेलिफोन पर पाया गया कि कुछ शिकायतें बेसलेस थीं । अब मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि उन शिकायतों की जांच करने के फलस्वरूप जो घोटाले के मामले हैं, पुलिस को दिए जाने चाहिए या दूसरा एक्शन लिया जाए या जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ अनुशासन कार्यवाही की जाए, अप्टुडेट क्या पोजीशन है शिकायतों की, वह मेरे पास नहीं आ सकी है लेकिन ये जो शिकायतें हमने भेजी हैं, उनके लिए हमने उनको 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अन्दर हमें सूचित करें कि क्या कार्यवाही की है । यदि 15 दिन के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर मैं इस मामले पर पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री से, क्योंकि जिस साल का आप पूछ रहे हैं, वह पी. डब्ल्यू. डी. के काम थे, बात करूंगा और किसी दूसरे अधिकारी से जांच करवायेंगे ।

श्री दौलतराम सारणा : जिन अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया और दुबारा जांच करके सूचना नहीं दी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? जिन अधिकारियों ने आपके हुकुम की अवहेलना की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

Page No 27

श्री परसराम मदेरणा : अगर मैंने ऐसा महसूस किया।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

स्थगित प्रश्न

(13-4-71)

भूतपूर्व सचिवों की बकाया

241. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सचिवों का वेतन बकाया है?

(2) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि बकाया है?

(3) बकाया वेतन के चुकारे के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा?

उप मन्त्राणी, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग कुल 91,863) रु. की राशि बकाया होना बताया गया है।

(3) वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व स्वयं पंचायत का है व भुगतान को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लिख दिया जाएगा।

श्री श्रवणलाल : आपने जो बताया 91,800) तो यह कुल बकाया अब तक चली आ रही है वह है या पंचायतों से सूचना न आने के कारण है या पूरी बकाया है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितनी प्राप्त सूचना है उसके अनुसार यह बकाया है। 232 पंचायत समितियों में से 212 से सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से 59 पंचायत समितियों में भूतपूर्व सचिवों का वेतन भुगतान बकाया पाया गया।

श्री श्रवणलाल : बाकी सूचना न आने का क्या कारण हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपलब्ध न हो सकी, इसमें लिखा है।

श्री श्रवणलाल : यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के अन्दर सचिवों का करीब करीब 10-10 साल का बकाया चला आ रहा है और मन्त्री महोदय ने जो प्रश्न के उत्तर में बताया है 91 हजार, अगर आपकी इजाजत हो तो चार लाख की सूचना तो यहीं मैं मन्त्री महोदय को दे सकता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था जिसमें इन्होंने बताया था कि 221 पंचायत समितियों से सूचना उपलब्ध थी याने बाकी की नहीं थी उनका टोटल करीब 4 लाख का है....

श्री अध्यक्ष : क्या 4 लाख का टोटल सही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इनके पास है, मैं कैसे कह सकती हूं कि सही है?

श्री किशनलाल शर्मा : प्रश्न संख्या 222।

श्री अध्यक्ष : अभी तो प्रश्न चल रहा है।

श्री श्रवणलाल : इन्हीं के द्वारा दिया हुआ प्रश्न है और इन्हीं के विभाग के द्वारा दिया हुआ आंकड़ा है। मेरे पास लिस्ट है प्रत्येक में ग्राम पंचायत के अन्दर कितनी कितनी बकाया है, वह लिस्ट इन्हीं के द्वारा दी गई है।

श्री अध्यक्ष : जो बकाया है, इसको आप देख लें उसके संदर्भ में इसको करेक्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा : ये तो ग्राम पंचायतों के सचिव थे, अब वे रहे नहीं। 7।। ग्राम पंचायतें हैं, उनकी जानकारी में कमी रह सकती है तो पंचायत समितियों के पास सर्विसेज के लोगों हैं नहीं। ये ग्राम पंचायतें अपने निजी तौर पर रखते थे उनकी तनख्वाह नहीं आई है। हम बराबर पंचायत समितियों और विकास अधिकारियों को लिखते रहे हैं, यह तो पंचायतों को देखना चाहिए हम उनको प्रोरेटा लैंड रेवेन्यू देते हैं उसमें से उनको पेमेंट करनी चाहिए, निजी आय से करनी चाहिये, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है कि इन्तजाम करे।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि ग्राम पंचायतों के ऊपर निर्भर करता है और वे ही अपने सेक्रेटरी रखते हैं और वे ही चुकारा करें। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जितनी भी धन-राशि बकाया है और वे पंचायतें इस स्थिति में नहीं हैं कि चुका सकें। किसी पंचायत समिति में ढाई हजार और किसी में तीन हजार की बकाया है। वे चुकारा नहीं कर सकती हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों के लिये आपके द्वारा दी जाने वाली एड से उन सचिवों के वेतन का चुकारा किया जा सकेगा।

श्री परसराम : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री किशनलाल वर्मा : प्रश्न संख्या 222 ले लिया जाय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न और करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब सभी प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, 7।। हजार सचिवों का सवाल है। हर ग्राम में पंचायतों में सचिवों का वेतन बाकी है। किसी का दस साल से किसी का चार साल का और किसी का दो साल का बकाया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, समय जरूर समाप्त हो गया लेकिन इसका हल नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 222 बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर दिला जाय या फिर इसको आगे के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: सब ही समाप्त हुए प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में यह प्रश्न था। सतीशजी ने दिया था इसलिए मैंने नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष: चेयर ग्रोन लेग्स। कृपया स्थान ग्रहण करें। यह आसन खड़ा हुआ है। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : आपसे प्रार्थना करूंगा कि 711 हजार सचिवों का सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई प्रश्न अब नहीं होगा।

श्री किशनलाल वर्मा : इसको स्थगित कर दिया जाय। महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर मिला नहीं है। इस पर या तो कोई व्यवस्था देदी जाय या उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ यह व्यवस्था है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसको स्थगित कर दिया जाय इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है या नहीं इसको देखना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : सब ही माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इतना समय नहीं है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मरुस्थल के विकास का कार्यक्रम

श्रीमती मदन कौर (पचभदरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) केन्द्रीय मरुस्थल विकास मंडल ने मरुस्थल के सर्वांगीण विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है।

(2) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान विभिन्न योजनाओं हेतु रखा है।

(3) क्या मरुस्थल के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार ने प्रोस्पेक्टिव प्लान बना रखा है ?

(स्थगित किया गया)

रजिस्ट्रेशन पीरियेड का रोड टैक्स

362. श्री जवाहरमल (सहाड़ा) श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

क्या यह सही है कि उदयपुर रीजन में यातायात विभाग ने बस ओपरेटर्स से रजिस्ट्रेशन पीरियेड का रोड टैक्स जमा कराया था ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि व किन-किन व्यक्तियों से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, आपेरटर्स से उदयपुर रीजन में या यातायात विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन पीरियड का रोड टैक्स जमा करवाया जाता है। उदयपुर रीजन में 30-9-70 तक 7755 मोटर गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं, रोड टैक्स की अदायगी का हिसाब रीजन के टैक्स लेजरों में है। लेजर की नकलें अल्प समय में पेश करना संभव नहीं है न ही व्यय व मेहनत के अनुरूप उपयोगी होगी।

मेहता समिति का गठन

363. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (टोंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)

(1) राजस्थान में स्थित विश्वविद्यालयों के अधिनियम में संशोधनों हेतु सिफारिश करने के लिए मेहता समिति का गठन कितनी अवधि के लिए किया गया था ?

(2) उक्त अवधि कब समाप्त हुई एवं उक्त अवधि को कब तक के लिए किस दिन [तारीख, महीना व वर्ष] बढ़ाया गया ?

(3) अवधि समाप्त होने के पश्चात् समिति की कितनी बैठकें हुई व कुल कितना व्यय राज्य सरकार को वहन करना पड़ा ?

(4) अवधि समाप्त होने पर वैधानिक तौर पर क्या उक्त समिति डिफेंक्ट नहीं हो गई व इसकी तत्पश्चात् अवधि बढ़ाना क्या अवैधानिक नहीं है ?

(5) राज्य सरकार ने उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् जो व्यय वहन किया वह किस अधिकार से किया ?

उत्तर

1. डा. मेहता समिति के गठन की आज्ञा राज्य स्तर पर दिनांक 23-12-68 को जारी की गई थी। उक्त आज्ञा में समिति के कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित की हुई नहीं थी। यद्यपि समिति को अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की तीन माह की अवधि अवश्य निर्धारित की गई थी।

2. प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के सन्दर्भ में समिति के कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं थी। अतः समिति के कार्यकाल की अवधि बढाने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकार द्वारा इस समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि एक बार 19-11-70 को 31-1-71 तक के लिये तथा दूसरी बार 14-4-71 को 31-5-71 तक के लिये बढाई जाने की अवश्य स्वीकृति प्रदान की हुई हैं।

3. प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समिति के गठन की आज्ञा दिनांक 23-12-68 में निर्धारित तीन साल की अवधि में समिति का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव भेजे और अपना कार्य जारी रक्खा।

4. समितियां जिस कार्य और उद्देश्य के लिये गठित की जाती हैं वे अपना कार्य पूर्ण न करने तक यदि कोई बैठक आमंत्रित करती हैं तो वे अनधिकृत नहीं मानी जाती है बशर्ते कि राज्य सरकार जो कमेटी का गठन करती है अपने स्तर पर उस समिति के गठन को निरस्त न कर दें। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में सदस्य-सचिव समिति द्वारा प्रस्तुत कारणों के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय में बढोत्तरी की औपचारिक स्वीकृति दी जाती रहती है।

5. प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर निहित है।

नागोर अस्पताल की एक्स-रे की मशीन

364. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागोर राजकीय जिला अस्पताल में एक्स-रे की मशीन कब व किस फर्म से

Page No 31

(श्री रामसिंह कुडी)

किस अधिकारी के आदेशों से खरीदी गई? मशीन की किस्म व कीमत भी बताने का कष्ट करें।

(2) नागौर राजकीय जिला अस्पताल में एक्स-रे की मशीन कब कब किस किस फर्म से मरम्मत की गई एवं क्या क्या खराबियां किस किस लागत में किस फर्म ने ठीक की?

(3) नागौर राजकीय जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग का कार्य एक्स-रे मशीन से कब से नहीं लिया जा रहा है एवं क्यों नहीं लिया जा रहा है?

(4) क्या यह सही है कि नागौर राजकीय अस्पताल को इस एक्स-रे मशीन की इस बार मरम्मत पिछले पांच साल से बार बार मांग करने पर भी इस कारण नहीं की गई है कि पहले जो तीन बार मरम्मत की थी उन बिलों का चुकारा विभागीय अधिकारों की लापरवाही से नहीं हुवा एवं इसी कारण इस अस्पताल में किये जाने वाले उपचार में इस मशीन के खराब होने से भारी बाधा व क्षति आम जनता को हुई है इस मामले में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि इस एक्स-रे मशीन के किसो मैकेनिज्म में डिफेक्ट है एवं इसी कारण राजस्थान में इस प्रकार जितनी मशीनें सरकारी अस्पतालों में हैं वे सब अधिक खराब रहती हैं एवं ऐसी शिकायतें विभाग के पास मौजूद होते हुए भी विभाग ने फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है एवं इस कारण जन धन का दुरुपयोग हुआ है। यदि हां, तो इस विषय पर सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय जिला अस्पताल, नागौर में 100 एम. ए. की मशीन निदेशालय के आदेश क्रमांक 2031/एन.बी.सी./एस.के./64-65 दिनांक 23-3-65 द्वारा मैसर्स इन्टर नेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से रु. 34466.82 में खरीदी गई।

(2) उक्त अस्पताल की मशीन में बार 2 केवल ही पन्कचर हुआ है जिसकी मरम्मत मैसर्स इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मरम्मत किये जाने का दिनांक व कीमत का ब्यौरा निम्न, प्रकार है:-

खराब होने की तिथि	ठीक होने की तिथि	खर्च
16-9-66	19-12-66	270.80
18-1-67	8-8-67	2472.00
	(नये केवल की स्कीम)	
11-8-67	26-10-67	240.00
16-1-68	14-2-68	448.60
27-2-68	20-3-68	279.80
15-4-68	3-5-68	439.80
6-6-68	24-6-68	335.30
10-7-68	6-8-68	निःशुल्क

(3) एक्स-रे मशीन में स्क्रीनिंग का दिनांक 14-2-68 से एक्स-रे इंजीनियर की राय पर नहीं लिया जा रहा है। इस

Page No 32

(श्री चिकित्सा मंत्री)
मशीन में आटोमेटिक ट्रान्सफोरमर नहीं लगा हुआ है और नागौर में बिजली में फ्लेक्चूएशन्स बहुत आते हैं जिससे केवल पन्कचर होने का अन्देशा रहता है। इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(4) जी हां, फर्म अपने पत्र संख्या एक्स-45244।जी-174 दिनांक 17-3-71 के द्वारा सूचित किया है कि उनके पास रिपेयर किट उपलब्ध नहीं है जो 3-4 सप्ताह में आने की संभावना है तब केवल की मरम्मत करके एक्स-रे मशीन में लगाने के लिये इन्जीनियर के साथ भेज दिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है।

(5) जी नहीं, माईन वोल्टेन में फ्लेक्चूएशन्स आने की वजह से ही मशीन का केवल वार 2 पंक्चर हुआ। ऐसी ही दो शिकायतें रतनगढ अस्पताल से एवं टी. बी. क्लीनिक ब्यावर से प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त किसी जिले से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

धनवा की राशी जंगल का बेचान

367. **श्री बृज बल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 60 में कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा धनवा की राशी को बेचे जाने पर वन विभाग द्वारा किस किस समय पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) जब कोटा रियासत राजस्थान में मर्ज हुई तब यह जंगल जिसके कब्जे में था, और वन विभाग द्वारा इस जंगल को हानि से बचाने के लिये क्या कानूनी कार्यवाही की ?

(3) खरीददार द्वारा व अन्य लोगों द्वारा इस जंगल की हानि नहीं हो, इसके लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन भूमि पर अनधिकृत रूप से वृक्ष काटने तथा खेती करने वालों के विरुद्ध वन अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में चालान कर दिए गए हैं।

(2) वन विभाग के कब्जे में था वन विभाग द्वारा इस वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु वनपाल, सहायक वनपाल एवं वन रक्षक नियुक्त किए हुए हैं तथा इस क्षेत्र को रक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वन क्षेत्र की रक्षा हेतु वन कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है जो समय समय पर अपराधियों को पकड़ कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

कोटा-छीपा बड़ौद बस परमिट

368. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से छीपा बड़ौद के लिये नये परमिट्स दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि परमिट दिये जाने के बाद भी आज तक कोटा से छीपा

Page No 33

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
बड़ौद के बीच कोई बस सेवा चालू नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, उच्च न्यायालय जोधपुर से निषेधाज्ञा दिनांक 12–6–70 को जारी हो जाने के कारण परमिट जारी न हो तब तक बस सेवा चालू नहीं हो सकती।

पुस्तकों की खरीद

372. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा कितनी राशि की पुस्तकें खरीदी गई?

2. उक्त खरीद में राजस्थान के प्रकाशकों की कितनी राशि की पुस्तकें थीं?

3. क्या यह सही है कि राज्य सरकार अधिकतम पुस्तकें राजस्थान के बाहर के प्रकाशकों की ही खरीदती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

1. पिछले वर्ष अर्थात् (69–70) में सात लाख आठ हजार तीन सौ पिचानवे रुपये पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की खरीद पर व्यय हुए।

2. उक्त खरीद में राजस्थान के प्रकाशकों एवं उनके मार्फत पुस्तकें एवं पत्रिकाओं पर तीन लाख इकानवे हजार छः सौ उन्हत्तर रुपये व्यय हुए।

3. यह सही नहीं है।

लाटरी से आय

376. श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि लाटरी से राज्य सरकार को अन्य राज्यों के मुकाबले में आय कम हुई है? यदि हां, तो किस किस राज्य से?

2. क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से जो कमीशन एजेन्टों को दिया जाता है वह अन्य राज्यों के मुकाबले से ज्यादा है?

3. प्रतिवर्ष दिए गए कमीशन की रकम क्या है? और शुद्ध लाभ कितना है? इसमें विभागीय खर्चा कितना है?

4. कुल कितने एजेन्ट इस समय हैं? उनमें से सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कितने हैं?

उत्तर

1. दूसरे राज्यों के आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस वर्ष राज्य को 50 लाख रुपये की शुद्ध आय होना सम्भावित है।

2. कमीशन की दरें समय समय पर बदलती रहती हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल, मैसूर, तामीलनाड व महाराष्ट्र की कमीशन की दरें राजस्थान से कम हैं तथा अन्य राज्यों की दरें या तो अधिक हैं या राजस्थान की दर के लगभग बराबर हैं।

Page No 34

(वित्त मन्त्री)

समय समय पर कमीशन की दरों के बदलते रहने के कारण सही आंकड़े हर राज्य के बतलाना कठिन है।

राजस्थान लोटरीज की वर्तमान दरें 25 से 27 प्रतिशत तक है।

3. वर्ष 1968–69 व 1969–70 में एजेन्टस को दिया गया कमीशन क्रमशः 5,81,110 व 27,74,160 के लगभग है। विभागीय खर्च भी क्रमशः 12,60,867 व 50,18,270 रुपये के लगभग है। शुद्ध लाभ भी क्रमशः रु. 22 लाख 13 हजार व 30 लाख 37 हजार हुआ।

वर्ष 1970–71 में कुल बिक्री—रु. 1,51,00,000 कमीशन 37,00,000 रु. के लगभग दिया गया है तथा कमीशन के भुगतान के पश्चात् शुद्ध बिक्री रुपये 1,14,00,000) की हुई है। विभागीय खर्चा 63,91,000) रु. कम करने पर शुद्ध लाभ रु. 50,09,000) होना सम्भावित है।

4. इस समय कुल एजेन्ट 2659 है। सरकारी कर्मचारियों का पृथक् से कोई रेकार्ड नहीं है परन्तु उनके पते को देखने से ज्ञात होता है कि लगभग 400 कर्मचारी एजेन्ट हैं कोई राजपत्रित अधिकारी एजेन्ट नहीं है।

पंचायत समिति मेड़ता द्वारा बीज गोदामों का निर्माण

377. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मेड़ता द्वारा पंचायत के कई गांवों में बीज गोदाम का निर्माण करवाया गया ? यदि हां, तो किन गांवों में किस वर्ष करवाया ? मय लागत के सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि उन बीज गोदामों का कोई उपयोग नहीं है ? यदि हां, तो निर्माण के बाद किस वर्ष किस उपयोग में लिये गये ?

उत्तर

1. सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. जी नहीं। गोदाम सहकारी समितियों के पास हैं और बीज खाद आदि रखने के लिए उपयोग किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

वेतनमान निर्धारण एवं प्रमोशन के मामले

379. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सत्य है कि पंचायत व विकास विभाग ने एक आदेश क्रमांक एफ. । वेतन/निर्धारण 170/ई/ 154 दिनांक 21-11-70 जारी किया था ? यदि हां, तो इस आदेश की क्या आवश्यकता पड़ी ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. उक्त आदेश में उल्लिखित जांच दलों को किन जिलों में कब कब भेजा गया

(श्री हरजीराम बुरडक)

और उनके ध्यान में कौन-कौन से गलत वेतनमान निर्धारण के मामले आये और कौन-कौन से मामले गलत प्रमोशन के आये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

3. जो मामले सरकार के ध्यान में आये उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

4. इस सम्बन्ध में आगे सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उत्तर

1. जी हां, पंचायत समिति व जिला परिषद् सेवा के कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति के मामलों को नियमित कराने हेतु परिपत्र जारी करना आवश्यक समझा गया। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. जिन जिलों में जांच दल भेजे गये उनकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच के दौरान जो मामले ध्यान में आये उनकी प्रत्येक की पत्रावली आक्षेपों के साथ नियमित कराने हेतु संबंधित विकास अधिकारियों को लौटा दी गई। पूर्ण विवरण 232 समितियों के प्रत्येक मामले के बारे में सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा।

(3) जो जो अनियमिततायें जांच पार्टियों की निगाह में आये उनके आक्षेप प्रत्येक पत्रावली पर अंकित कर आगे कार्यवाही हेतु संबंधित विकास अधिकारी को भेज दिये गये।

(4) अनियमित मामलों को संबंधित पंचायत समितियां नियमानुसार जिला कर्मचारी वर्ग समिति अथवा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग की स्वीकृति लेकर नियमित करायेगी। राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

प्रतापगढ़ चिकित्सालय को रोगी वाहन

380. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रोगी वाहन जिला चिकित्सालय (डी. एम. एच. ओ.) कार्यालय प्रतापगढ़ को अलॉट हुई है ? यदि हां, तो कब और आज तक यह गाड़ी प्रतापगढ़ में कितने दिन रही ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह गाड़ी चित्तौड़गढ़ पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों और कब से पड़ी हुई है ?

उत्तर

(1) एक रोगी वाहन दि. 18-10-66 को सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, उदयपुर से प्रतापगढ़ को स्थानान्तरित हुई थी। यह गाड़ी केवल 10-12 दिन तक प्रतापगढ़ रही।

(2) जी हां, माह अक्टूबर व नवम्बर 1966 से चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, रेफरल हास्पिटल चित्तौड़गढ़ के पास है। उक्त रोगी वाहन दिनांक 18-10-66 को प्रतापगढ़ पहुँच गई थी। इस पर जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ व अध्यक्ष, नगरपालिका

(चिकित्सा मन्त्री)

चित्तौड़गढ़ (मुख्यालय प्रतापगढ़) ने इस कार्यालय को सुझाव दिया कि उक्त रोगी वाहन को चित्तौड़गढ़ में रखना जन सेवा की दृष्टि से अधिक उपयोगी रहेगा। अतः प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की रोगी वाहन को चित्तौड़गढ़ अस्पताल में रखने के आदेश इस कार्यालय आदेश संख्या जनरल अम्बेलेन्स।18916 7 दिनांक 10–1–67 द्वारा जारी किये गये हैं। इसके पश्चात् उक्त रोगी वाहन को प्रतापगढ़ वापस भेजने हेतु कोई प्रतिवेदन जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ की ओर से प्राप्त नहीं हुआ।

पंचायत समिति, कठूमर का भवन

361. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कठूमर का नया भवन निर्माण हेतु कोई कृषि की अवाप्त किया गया था ? यदि हां, तो कब व कितनी भूमि ली गई ?

(2) क्या इस अवाप्त की गई भूमि पर पंचायत समिति भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1968 में 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व विभाग द्वारा आवंटन की गई थी।

(2) जी नहीं। धन राशि की कमी व अन्य प्रशासनिक कारणों से अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

डाक्टरों को रोजगार

382. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में डाक्टरों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई और इस वर्ष के अन्त तक कितने डाक्टर ऐसे बचेंगे जिनको राजकीय सेवा में नहीं लिया जा सकेगा ?

(2) प्रत्येक वर्ष में कितने डाक्टर राज्य के मेडिकल कालेजों से निकलते रहेंगे और उनमें से कितनों को राजकीय सेवा में लिया जाता रहेगा ?

(3) जिन डाक्टरों को राजकीय सेवा में नहीं लिया जायेगा उनके रोजगार की क्या व्यवस्था किस प्रकार से सरकार कर सकेगी ?

उत्तर

(1) योजना राज्य सरकार स्तर पर है वर्ष 1971–72 के अन्त तक अनुमानतः 375–460 डाक्टर ऐसे होंगे जिन्हें सेवा में नहीं लिया जा सकेगा।

(2) वर्ष 1971–72 के लिये उत्तर–प्रश्न संख्या में लिया जा चुका है। इसके आगे प्रत्येक वर्ष लगभग 450 डाक्टर मेडीकल कालेज के पास होकर निकलेंगे और इनमें से अधिक से अधिक 25 प्रतिशत राज्य सेवा में लिये जा सकेंगे।

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण से इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि राज्य सरकार डाक्टरों को पहिले साल 250 प्रति माह एवं दूसरे वर्ष 200 रुपये प्रति माह स्टाईपेण्ड के रूप में देगी। इसके अतिरिक्त उन्हें उपकरण आदि खरीदने के लिए 2000) रुपये तक भी दिये जा सकेंगे जिससे कि वे अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में चिकित्सा कर सकें।

स्थगित प्रश्न

(30-3-71 व 13-4-71)

पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के प्रधान का चुनाव

135. श्री **रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में 1 मार्च, 1963 से प्रधान के इस्तीफा देने के बाद से ही उप-प्रधान श्री शान्तिलाल भड़कत्या इस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) नये प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया है और कब तक प्रधान का चुनाव कराने का सरकार का इरादा है ?

(3) क्या यह सही है कि उप-प्रधान के प्रति पंचायत समिति के सदस्यों में असन्तोष फैल रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नये प्रधानों के चुनाव जनवरी 1965 में सम्पन्न कराये गये। आगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(30-3-71 व 13-4-71)

प्रधान पंचायत समिति लाडनूं द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि

142. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के प्रधान द्वारा सन् 1965 से लेकर अब तक प्रति माह कितने कितने रुपयों के यात्रा भत्ते के बिल किस किस तारीख को समिति कोष से उठाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस अवधि में प्रधान द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर की यात्रायें भी गई हैं जिनका यात्रा भत्ता लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां की यात्रायें कब-कब, किस-किस कार्य हेतु समिति क्षेत्र से बाहर की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सदन की मेज पर

Page No 38

(पंचायत मन्त्री)

रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(13-4-71)

कारों व स्कूटरों का अलाटमेंट

222. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):-क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात श्री अमृतलाल यादव के मंत्रित्वकाल में कारों व स्कूटरों का एलॉटमेंट जिन जिनको किया गया उनके नाम व पते तथा प्रार्थना-पत्र तारीख, स्वीकृति की तारीख आदि विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन कारों व स्कूटरों के एलॉटमेंट के जो नियम राज्य सरकार ने बनाये थे उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) श्री यादव ने निर्धारित अवधि से पूर्व वाहन किस-किस को अलाट किये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. आवंटन एक समिति द्वारा किया जाता है।

3. कार कन्ट्रोल आर्डर के अधीन निर्धारित समय से पूर्व गाड़ियों एवं स्कूटरों का किसी को भी आवंटन नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

स्थगित प्रश्न

(13-4-71)

ग्राम पंचायत, अकलेरा

229. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अकलेरा कस्बे की ग्राम पंचायत में कुल कितने सदस्य थे जिनमें कितनों को पद एवं प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने पर हटा दिया गया और इस समय कितने पंच कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत की गत 2 वर्ष से कोई नियमित एवं वैधानिक मीटिंग नहीं हुई और पिछले 2 साल से अकलेरा सरपंच ही ग्राम पंचायत चला रहा है?

(3) क्या यह सत्य है कि इतने बड़े कस्बे में 2, 2-1/2 वर्ष तक रिक्त स्थानों की पूर्ती के बाबत बार-बार विभाग को एवं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(4) यदि राज्य सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है तो उक्त पंचायत को भंग किया जाकर तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाता ?

(5) क्या मंत्री महोदय शीघ्र ही चुनाव कराने का आश्वासन दे सकेंगे ?

उत्तर

1. 15 सदस्य थे। 7 सदस्यों को जिलाधीश द्वारा दुराचर एवं कर्तव्यपालन में लापरवाही के कारण पंच पद से हटा दिया गया। इस समय आठ पंच कार्य कर रहे हैं।

2. जी नहीं।

3. समय समय पर विभिन्न कारणों से उप-चुनावों पर प्रतिबन्ध था अतएवं रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करवाई जा सकी।

4. सरकार की यह मन्शा कदापि नहीं है कि उपचुनाव नहीं करवायें जाए अतः पंचायत को भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

5. इस सम्बन्ध में विचार कर चुनाव मंत्री द्वारा ही निर्णय लिया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम मिर्जापुर एवं सोरसन के प्राइमरी स्कूलों की छात्र संख्या

361. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर व सोरसन में प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी है, और ग्रामवासियों ने एक लम्बे समय से मिडिल स्कूल का भवन बनाकर गांव में मिडिल स्कूल खोले जाने की मांग कर रखी है ?

यदि हां, तो क्या इस नए वर्ष से इन दोनों गांवों में मिडिल स्कूल खुल जायेगा ?

उत्तर

1. जी हां।

भविष्य में शिक्षा के प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी विचार किया जावेगा।

हायर सैकेण्डरी स्कूल खंडार में विज्ञान विषय की पढ़ाई

062. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर के तहसील खण्डार में हायर सैकेन्डरी स्कूल होते हुए भी साइन्स विषय नहीं दिए जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार वहां पर साइन्स की कक्षाए खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जिला सवाई माधोपुर में खण्डार में हायर सैकेण्डरी स्कूल है। उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय चालू नहीं किए गए हैं। विद्यालय की कक्षा 9 में वर्तमान में विद्या-

(शिक्षा मन्त्री)
थियों की संख्या 46 है। प्रधानाध्यापक उ. मा. वि. खण्डार के प्रतिवेदन के अनुसार विज्ञान विषय में प्रवेश लेने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में विद्यार्थि उपलब्ध हो सकते हैं। परन्तु प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी जिसके निर्माण के लिए प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट को अनुसार ग्रामीण जनता अथवा पंचायत समिति के अधिकारियों का कोई लिखित आश्वासन प्राप्त नहीं है।

2. भविष्य में शिक्षा के प्रसार के उचित समय इस पर भी विचार किया जावेगा।

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय की गई राशि

363. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों पर राजस्थान में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई? जिलेवार आंकड़े दें।

(2) प्रत्येक जिले में कितने ग्राम और कितनी जन संख्या व पशु संख्या अकाल पीड़ित रही?

(3) प्रत्येक जिले में कितने व कौन कौन से सहायता कार्य चालू किए गए? उनमें से कितने मजदूरों ने लाभ उठाया? कामवार व जिलेवार संख्या दी जाए।

(4) कितने मजदूरों की मजदूरी अभी तक चुकाना बाकी है और उनके कितने रुपये होते हैं? जिलेवार अथवा कामवार आंकड़े दिए जायें।

(5) मजदूरों के अतिरिक्त कुल कितना व्यय किस किस पर हुआ?

उत्तर

1. इस वर्ष सं. 2027 के अभाव वर्ष में कोई धनराशि सहायता कार्यों पर व्यय नहीं हुई अतः जिलेवार आंकड़े देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

3. कोई सहायता कार्य चालु नहीं किये गये अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

5. प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बाड़मेर जिले में मजदूरों की बकाया

364. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में कई स्थानों के अकाल राहत कार्यो के मजदूरी के भुगतान बाकी पड़े हैं? अगर हां, तो दो वर्ष से अधिक समय से भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं?

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकार के भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग दोनों के बाकी हैं? अगर

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
हां, तो विभाग वार कितना कितना बाकी हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, तालेड़ा के विकास अधिकारी का स्थानान्तरण

365. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डौली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. पंचायत समिति, तालेड़ा में श्री शरदचन्द कौशिक, विकास अधिकारी, का कार्य कब से कर रहे हैं।

2. क्या यह सत्य है कि इनके कार्यकाल में ऑडिट पार्टी द्वारा माह सितम्बर, 1970 में ऑडिट किया गया था? यदि ऑडिट द्वारा क्या क्या अनियमिततायें बताई गई हैं?

3. क्या कौशिक का स्थानान्तरण पंचायत समिति, हिण्डोली कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

4. श्री कौशिक द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद वे समिति की जीप में कोटा कितनी दफा गए?

उत्तर

1. दिनांक 29–10–66 से दिनांक 15–9–70 तक कार्य किया है।

2. जी हां, ऑडिट द्वारा बताई गई अनियमितताओं की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. जी हां, स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया।

4. जीप लेकर कोटा कभी नहीं गये।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गांव की आबाद भूमि का मास्टर प्लान

366. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, सुमेरपुर में गांव की आबादी भूमि का मास्टर प्लान बना हुआ है? यदि हां, तो प्लान की नकल सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने मास्टर प्लान की अवहेलना कर के कई विक्रय विलेख रास्तों के अन्य सार्वजनिक स्थानों के बना दिये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह सही है कि जाखोड़ा जाने वाले आम रास्ते में एक विक्रय विलेख चतरराम हिम्मतमल के पक्ष में बना दिया है जिससे रास्ता बन्द हो गया है? यदि हां, तो रास्ता पुनः खुलवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

1. जी हां, वर्ष 1962–63 में संशोधित मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मन्त्री)

2. ग्राम पंचायत सुमेरपुर ने केवल एक भूमि विक्रय विलेख सर्व श्री चतरराम व श्री बिड़दीचन्द पुत्र श्री लादूराम घांची निवासी सुमेरपुर के नाम 6-1-64 के पंचायत के निर्णय के अनुसार सन् 1965-66 में किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों के लिए आरक्षित भूमि का कोई विक्रय विलेख नहीं किया है।

3. प्रश्न के भाग 2. में उल्लेखित भूमि विक्रय विलेख से रास्ता बन्द हो गया है। ग्राम पंचायत सुमेरपुर ने उपरोक्त भूमि विक्रय विलेख संख्या 2716 5-66 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 3-7-66 को प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा निर्णय लिया। इस निर्णय के विरुद्ध श्री बिड़दीचन्द ने पंचायत समिति सुमेरपुर में अपील संख्या 229 दिनांक 10-8-66 को प्रस्तुत की व पंचायत के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया। दिनांक 11-2-71 को पंचायत समिति ने पंचायत के उच्च न्यायालय में रिट करने के प्रस्ताव निरस्त कर दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

ग्राम अकोला, अमरत्या, गोगा का खेड़ा आदि ग्रामों में बिजली

367. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि ग्राम आकोला, अमरत्या, गोगा का खेड़ा, बड़ल्यास, अम्बा, रेणावास गेदल्या, करेड़ आदि (कोटड़ी) ऐसे गांव हैं जहां कुओं में काफी पानी है और तुरन्त बिजली पहुँचना चाहिये ताकि जल का पूरा उपयोग हो सके ?

2. यदि यह सही है तो इन गावों में बिजली पहुंचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

उत्तर

1. ग्रामों के कुओं में काफी पानी होने की जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

2. कोटडी तहसील के ग्राम अकोला व बड़ल्यास को विद्युतीकरण हेतु वर्ष 70-71 की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया गया है। ग्राम रेनयास व गेन्दलिया की स्कीम बनाई गई जो लाभप्रद नहीं थी। ग्राम गोगा का खेड़ा, जेदल्या व करेड जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं हैं। ग्राम अमरत्या का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है जो विचाराधीन है। ग्राम अम्बा के सर्वेक्षण प्रतिवेदन हेतु आदेश दिया जा चुका है।

हरीगढ़ योजना

368. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. रामगंज मन्डी, जिला कोटा क्षेत्र में सिंचाई हेतु सर्वेक्षण की गई हरीगढ़ योजना के तहत कौन कौन से गांव में कितना कितना रकबा सिंचाई किया जाने वाला है? इस योजना से कुल कितनी भूमि कितनी लागत से सिंचित की जायेगी ?

(श्री जुझारसिंह)

2. हरीगढ़ योजना कब से सरकार के विचाराधीन है और इसे कब तक लागू कर दिया जाने की संभावना है ?

उत्तर

1. सर्वेक्षण कार्य चालू है। सर्वे पूरा होने पर ही यह बताया जा सकता है कि कौन कौन से गांव की कितनी कितनी जमीन सिंचित होगी ।

2. हरिगढ़ योजना सन् 1964 से विचाराधीन है लेकिन यह योजना मध्य-प्रदेश में बनेगी इस लिए राजस्थान सरकार द्वारा इसको कब तक लागू किया जावेगा, बताना संभव नहीं है।

पारवती नदी पर बांध

369. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में पारवती नदी में सिंचाई हेतु बांध बनाने के लिए गूगोर (छबड़ा) के पास सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के बाद बांध बनाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं।

सवाई माधोपुर एवं बौंली तहसीलों के ग्रामों में बिजली

370. हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर एवं बौंली तहसीलों के कौन कौन से ग्रामों का विद्युतिकरण इस वर्ष किया गया ?

(2) सवाई माधोपुर जिले में किस किस ग्राम को कृषि हेतु इस वर्ष विद्युत् दी गई तथा किस किस ग्राम में विद्युतीकरण किया गया ?

(3) क्या तहसील सवाई माधोपुर एवं बौंली में भी किसी ग्राम को इस वर्ष कृषि हेतु विद्युत दी गई ? यदि हां, तो किस किस ग्राम को और कितने नल कूपों को ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970–71 में सवाई माधोपुर तहसील के ग्राम चकचैनपुरा, मेमपुरा, बन्धा, एवं धानोली व तहसील बौंली के ग्राम अलूदा का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) सवाई माधोपुर जिले के जिन गांवों में वर्ष 1970–71 में कृषि हेतु कनैक्शन दिये गये हैं उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1970–71 में इस जिले के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है उसकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तहसील सवाई माधोपुर एवं बौंली के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1970–71 में किया गया है उनमें दिए गये कनेक्शन्स की संख्या को देखते हुए सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

सीपेज से खराब खेत

371. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि खेडा रसूलपुर माइनर पर लोगों के खेत सीपेज से खराब हो गये हैं आर.डी.नं. 2600 के आस पास ?

2. क्या यह सही है कि इस सीपेज के लिये ड्रेनेज न बनने से हर साल बोया हुआ अनाज गल जाता है ?

3. यदि हां, तो सरकार कब तक ड्रेनेज बनाकर इन लोगों के खेत सुधारने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. जी नहीं ।

3. प्रश्न ही नहीं उठता ।

कामां जूरहडा तथा कामां पहाडी बिजली की लाइन

372. श्री मजलिस खां (कामां): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि भरतपुर जिला प्रोडेक्शन कमेटी और पंचायत समिति कामां ने अपनी जनरल मीटिंग्स में कामां-जुरहडा और कामां--पहाड़ी दोनों लाइनों के लिए प्रस्ताव किया है ?

2. क्या यह भी सही है कि कामां-जुरहडा लाइन का सर्वे करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त लाइन पर कब तक काम शुरू कर दिया जावेगा ?

3. क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी, गोपालगढ लाइनों का अभी तक सर्वे शुरू नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों लाइनों के सर्वे का काम कब तक शुरू करा दिया जावेगा ?

4. क्या यह सही है कि कामां से अगमां ग्राम, छिछरवाडी, नगला विजयसिंह सवलाना, विरार और बडौली-धाऊ 3 मील के रेडियस में आबाद हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त 6 गामों में पुखता तथा कच्चे नलकूपों-कुओं की संख्या 500 है और सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों की जमीन बहुत उपजाऊ है और किसान बिजली की मांग करते हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग इस योजना को भी प्राथमिकता देने की कृपा करेगा ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। स्कीम रिपोर्ट बनाई जा रही है ।

3. इसका भी सर्वे कर लिया गया है, स्कीम रिपोर्ट बनाई जा रही है।

4. इन ग्रामों का सर्वेक्षण अभी तक नहीं कराया गया है। अतः इन तथ्यों की जानकारी नहीं है । वैसे जिला कृषि उत्पा-

(विद्युत् मन्त्री)
दन समिति ने भी इन गांवों की सिफारिश नहीं की है ।

छबडा व छीपा बडौद की नदियों पर बांध

373. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि कोटा जिले की छबडा व छीपा बडौद तहसीलों में (1) अन्धेरी नदी, (2) पार्वती नदी, (3) पर्वन नदी (4) रैतली नदी (5) ल्हाखी नदी (6) मूलोन की नदी जेतसी बहती है तथा इनमें काफी पानी रहा है व इस इलाके में वरसात भी अच्छी होती है ?

2. क्या यह सही है कि अगर इन नदियों को जगह जगह बांध दिया जावे या इन पर बांध बना दिये जावे तो इस एरिये की काफी जमीन सिंचित हो सकती है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही इस विषय पर करने जा रही है ?

उत्तर

1. जी हां,

2. उपरोक्त नदियों में से परवन, अन्धेरी, ल्हासी, पारवती पर पहले ही पिक-अप वियर बने हुए हैं जिनसे सिंचाई हो रही है । शेष रैतली व उतावली योजनाओं का सर्वे का कार्य हो रहा है ।

छीपा बडौद व छबडा तहसील में सिचाई साधन

374. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि कोटा जिले छीपा बडौद व छवड़ा तहसील में आज तक सिंचाई हेतु राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का साधन वहां की काश्त करने वाली जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराये हैं ? जब कि इन दोनों तहसीलों में नदियों की पूरी पूरी सहूलियत है ?

2. क्या सरकार ने इन दोनों तहसीलों में बड़ी बड़ी नदियों पर पम्पिग सेट चाहे वे डीजल के हो या विद्युत् से चलने वाले हों, आज तक फिट कराने की कोई योजना नहीं बनाई जब वहां पर इस प्रकार से हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती थी ? जैसे ग्राम बमोरी, बसोरी घाटा, बढाय, मुखजेरी, हरनावदा शाहजी, गंगचाना इत्यादी तहसील छीपा बडौद में व ग्राम बभोरा, दोहनी, मूलीन, दीलोद, तीतरखेड़ी आदि तहसील छवड़ा के है ? यदि हां, तो क्यों और अब ये साधन उपलब्ध करवाने का विचार है तो कब तक ?

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(अ) इन नदियों का पानी पारवती दिलोद का एवं परवन पिकअप वियर में आता है एवं ऊपर हो पानी पम्प कर देने पर मोर्वे बांध के सिलिग रोड पर प्रभाव पड़ेगा,

(ब) जहां डीजल पम्पिग करना है, वहां काश्तकार पूरा रेट देने को तैयार नहीं है ।

तहसील किशनगंज क्षेत्र में बिजली

375. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. तहसील किशनगंज (जिला कोटा) में बिजली की लाइन ले जाने के लिए कोई तखमीना तैयार करा लिया गया है ?

2. यदि हां, तो किस स्थान तक बिजली की लाइन ले जाने के लिए कितने रुपयों का तखमीना तैयार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. तहसील किशनगंज क्षेत्र में बिजली लाइन बिछाने का कार्य कबसे प्रारंभ हो जावेगा और सब स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां, एक तखमीना अभी हाल ही में बनाया है जिसकी जांच की जा रही है।

2. यह तखमीना किशनगंज को बिजली पहुंचाने के लिये बनाया गया है, जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

3. प्रश्न नहीं उठता। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम गोरधनपुरा के तालाब की मरम्मत

376. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 70–71 में क्या यह सही है कि ग्राम गोरधनपुरा पंचायत समिति झालरापाटन के तालाब की मरम्मत सिंचाई बिभाग द्वारा की गई ? यदि हां, तो कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) यह रकम किन किन को कौन–कौन सी तारीखों में कितनी कितनी चुकाई गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। इस तालाब की मरम्मत पर वर्ष 70–71 में 1379.95 रु. खर्च हुए हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

विद्यार्थियों को निगम की बसों में सफर करने पर कन्सेशन

377. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिण्डौली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 15 जुलाई 1970 से विद्यार्थियों को निगम की बसों में सफर करने पर कन्सेशन प्रदान करने की घोषणा गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त घोषणा के बाद निगम के समस्त डिपों पर इसकी अधिकृत आज्ञायें प्रसारित नहीं की जाने से रक्षा बन्धन पर दिनांक 17–8–70

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

को इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल सका ?

(3) क्या निगम द्वारा कन्सेशन दिये जाने का अब समुचित प्रबन्ध कर लिया गया है ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा विद्यार्थियों को रियायती टिकट देने का प्रस्ताव दिनांक 23-10-1969 को पास किया। जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिनांक 26-11-69 को प्रसारित कर दिये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) समुचित प्रबन्ध पहले से ही है।

तहसील दौसा के ग्रामों में बिजली

378. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील दौसा में गांव भांडारेज व आस-पास के अन्य गांवों को जो बिजली की लाइन दी गई है क्या इस बिजली की लाइन को पूर्व की तरफ और बढ़ाया जाकर तहसील सिकराय के गांवों को भी बिजली दी जावेगी, व क्या इसकी कोई सर्वे की गई है ? यदि इस लाइन से बिजली दी जावेगी तो कितने गांवों को और कब तक ?

(2) तहसील दौसा के गांव को बिजली देने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सर्वे नहीं किया गया है अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नहीं उठता।

(2) ग्राम मंडाना जिसकी स्वीकृति हो चुकी है, के अतिरिक्त अन्य कोई योजना नहीं है।

मेहन्दीपुर के बालाजी में बिजली

379. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोडा भीम से प्रमुख धार्मिक स्थान मेहन्दीपुर बालाजी को बिजली देने हेतु क्या सर्वे करने की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(2) टोडा भीम से मेहन्दीपुर बालाजी को बिजली देने के लिए कितने खम्भों की और आवश्यकता होगी ?

(3) मेहन्दीपुर बालाजी को सरकार कब तक बिजली दे देगी ?

(4) क्या विद्युत् बोर्ड के पास मेहन्दीपुर बालाजी को बिजली देने की कोई योजना है ?

(5) तहसील सिकराय के गांव नाहर खोहरा को बिजली देने की सरकार की क्या योजना है ? क्या गांव नाहर खोहरा आदि तहसील सिकराय के गांवों को टोडा भीम से बिजली देने की सरकार की कोई योजना है ? और यदि कोई योजना है, तो इन

(श्री किशनलाल वर्मा)

गांवों को कब तक इस लाईन से बिजली दी जा सकेगी ?

उत्तर

(1) मेहन्दीपुर के बालाजी को ग्राम सांकरवाड़ा से बिजली देने के लिए सर्वेक्षण कर स्कीम रिपोर्ट बनाई गई। जिसकी जांच की जा रही है।

(2) सांकरवाड़ा से मेहन्दीपुर के बालाजी को बिजली देने के लिये करीब तीन किलोमीटर 11 के. वी. लाइन खेंचनी पड़ेगी।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(5) अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचन निर्माण कार्यों के लिये धन राशि

380. केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

आय-व्ययक अनुमान, 100–सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास के अनुसार निर्माण कार्यों पर सन् 1967–68, 1968–69, 1969–70 व 1970–71 में राजस्थान में लघु सिंचन निर्माण कार्यों के लिये अलग अलग खण्ड वार कितनी कितनी किस किस जिले को रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बामला का भवन

381. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

1. क्या सही है कि तहसील बारां के ग्राम बामला में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन की छत की पट्टियां टूटी हुई हैं तथा दिवारों में दरार पड़ी हुई हैं ?

2. क्या यह सही है कि इस भवन के कुछ ही समय में व वर्षा ऋतु तक गिर जाने की संभावना है ?

3. क्या इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने भी समय समय पर सूचना दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. भवन की मरम्मत शीघ्र करवाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

3. इस सम्बन्ध में इस विभाग को ग्रामवासियों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा से पत्र क्रमांक 2652 दिनांक 2-12-69 द्वारा सूचित किया है एवं इस विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को मरम्मत हेतु पत्र संख्या 2268/

(चिकित्सा मन्त्री)
सामान्य/जी 3/70 दिनांक 2-3-70 के द्वारा लिखा जा चुका है।

मध्यावधि चुनाव के दौरान स्थानान्तरण

383. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के दौरान सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया था कि अमुक समय में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे?

2. क्या यह भी सच है कि उक्त आदेश जारी करने के बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो किन किन का कब कब तथा किन किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों की कारण सहित सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

जिला परिवार नियोजन ब्यूरो जोधपुर

383. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (वाली): क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

1. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरो द्वारा विभागीय प्रचार सामग्री तथा ट्रांजिस्टर कलेण्डर, चाबियों के गुच्छे आदि का जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कितना वितरण हुआ और कहां कहां और कितना शहरी क्षेत्र में?

2. जिले के शहरी क्षेत्र के प्रचार प्रशिक्षकों ने (जोधपुर शहर) शहरी क्षेत्र में कितना प्रचार और प्रसार कार्य किया तथा कितने केसेज अब तक प्रेरित किये? व्यक्ति-वार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।

3. जोधपुर जिला परिवार नियोजन अधिकारी (वर्तमान) के लड़के तथा पत्नी द्वारा जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग कितने कितने तथा कहां कहां नसबन्दी व लूप केसेज प्रेरित किये गये तथा प्रत्येक के नाम से कितनी प्रेरक धनराशि (मोटिवेशन मनी) उठाई गई और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि गये हैं तो किन साधनों से गये तथा कहां ठहरे?

4. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरो में दवाइयां तथा अन्य भण्डार सामग्री का घोटाला हुआ व कितना हुआ? उसकी कोई विभागीय जांच यदि की गई तो क्या स्थिति रही?

5. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरो के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में "बस दो या तीन बच्चे" वाला पीला वाला पेन्टिंग कितने, किस नाम के तथा कहां कहां पर बनवाये गये एवं कितना व्यय हुआ? क्या ये पेन्टिंग किसी विभागीय तकनीकी अधिकारी द्वारा चैक करवा के प्रमाणित करवाये गये? यदि नहीं, तो क्यों और करवाये गये हैं तो किससे?

(श्री पृथ्वीसिंह)

6. जोधपुर जिले के ग्राम झंवर जनादेसर में अप्रेल-मई, 67 में कितने परिवार नियोजन शिविर लगे तथा प्रत्येक शिविर में—

(अ) कितने नसबन्दी व लूप केसेज किये और कितनी प्रेरक धन-राशि व्यय की गई तथा वह सम्बन्धित व्यक्तियों में कब और कितनी व किसके द्वारा चुकाई गई ?

(ब) क्या इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई शिकायत सम्बन्धित मंत्री व अधिकारियों को की गई ? यदि हां, तो उस पर किस किस अधिकारी द्वारा क्या क्या कार्यवाही तथा जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ? और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

7. वर्तमान जिला परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा अब तक (मई से दिसम्बर, 69) जिले में इधर उधर कितने तबादले किये व किन कारणों से ?

8. जोधपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान पर कितना व्यय हुआ तथा कितना बाकी देय है तथा कब से ? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया जाये।

9. जोधपुर के वर्तमान जिला परिवार नियोजन अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति किस आधार पर की गई और कब से ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय सीनियोरिटी सूची बनाई गई है ?

(स्थगित किया गया)

घास की बिक्री से आय

384. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या फोजल पुरिया प्लानटेशन, बण्दा बावड़ी प्लानटेशन खेरिया बीड़, रैन बसेरा प्लानटेशन, रेंज झालावाड़ (जिला झालावाड़) में सन् 1966–67 में घास कटाया गया था ? यदि हां, तो कितना कितना घास और इसकी बिक्री कैसे कितने कितने की हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कष्ट करें।

2. क्या इन्हीं चारों बीड़ या प्लानटेशनों में वर्ष 68–69 व 69–70 में भी घास कटाई गई ? यदि हां, तो किस रेट से ? श्रमानी द्वारा कितना घास कटा ? घास कटाई में कितना रुपया खर्च हुआ व घास कहां कहां किस किस को कितने कितने में कितना बेचा गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. खेरिया बीड के अतिरिक्त शेष तीन वन क्षेत्रों से 1966–67 में घास कटवाया गया था।

(क) सूची संलग्न है।

(वन मन्त्री)

2. जी हां। घास दैनिक मजदूरी के हिसाब से कटाई गई थी। कटवाए गए घास का वजन तथा कटाई आदि पर व्यय हुए व्यय का विवरण सूची (ख) में अंकित है। 1968-69 में चारों क्षेत्रों से कुल 380 कुन्टल घास कट गया था जिसमें से 281.5 कुन्टल घास अकाल क्षेत्र (जैसलमेर, भेजा गया तथा 96.98 कुन्टल घास झालावाड़ फेमिन डिपोज पर दिया गया तथा शेष 1.95 कुन्टल छीजत में चला गया। 1969-70 में चारों क्षेत्रों में कुल 781.65 कुन्टल घास कटवाया गया जिसमें से 775-35 कुन्टल घास निष्क्रमण डिपो पर भिजवाया गया तथा शेष 7-30 कुन्टल नरसरी झालावाड़ के बैलों को खिलाया गया। विभाग द्वारा कोई विक्री नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

कूप बनाकर दी गई लकड़ी

385. श्री **बृजबल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. पंचायत समिति लाडपुरा के किसानों को कूप बना कर कितनी लकड़ी दी गई है?

2. रेंज मण्डाना तथा लाडपुरा में किसानों के लिए कौन कौनसा जंगल रिजर्व किया गया है तथा उसमें करीबन कितनी लकड़ी है ?

3. किस किस पंचायत क्षेत्र को रेंज लाडपुरा से तथा किस पंचायत क्षेत्र को मण्डारा से लकड़ी देने का प्रबन्ध किया गया है और कब से देने का कार्य आरम्भ करेंगे ?

उत्तर

1. इस वर्ष 1970-71 में कूपों से लकड़ी अभी निकास नहीं हुई है। कूप मार्क करने से पूर्व तक 200 गाड़ी लकड़ी अन्य क्षेत्र से दी जा चुकी है।

2. 1970-71 में रेन्ज मण्डाना में कूप वर्ह कालाजी नं. 18 व रेन्ज लाडपुरा में कूप राडी डंड नं. 14 रिजर्व किए गए है जिनमें लगभग 5000 मन लकड़ी निकालने का अनुमान है।

3. इन कूपों से पंचायत समिति लाडपुरा के अन्तर्गत पंचायतों को अप्रेल, 71 से लकड़ी देने का प्रबन्ध है।

जोगी जाति

386. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि जोगी जाति पिछड़ी जाति में मानी जाती है ?

2. क्या यह सही है कि जोगी और नाथ एक ही समाज है ? यदि हां, तो नाथ जाति को पिछड़ी जाति का क्यों नहीं माना जाता ?

3. क्या यह सही है कि अजमेर जिले में नाथ जाति को पिछड़ी जाति का नहीं माना जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(समाज कल्याण मन्त्री)

उत्तर

1. जी हां । राजस्थान में अजमेर जिले को छोड़ कर यह जाति अन्य पिछड़ी जातियों में मानी जाती है ।

2. सम्भवतया । मानने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

3. जी हां । इस बारे में भारत सरकार को लिखा गया था पत्र चूंकि अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ कोई योजनायें नहीं है, अतः इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

गांधी शताब्दी वर्ष में अनुदान के रूप में दी गई राशि

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान में गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जन जाति के लोगों को कौन-कौन से जिलों में किस किस मद में कितना कितना अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

2. उक्त अनुदान कितने परिवारों को दिया गया है ?

उत्तर

1. सूची संलग्न है ।

2. उपरोक्त सूची में वर्णित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

1. श्री देवीदत्त गांडिया व श्री कृष्ण-कुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 15 अप्रेल, 1971 की रात्रि को नौहर कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा एक महिला के साथ तथाकथित बलात्कार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

2. श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने लोक सभा के मध्यावधि चुनावों से पूर्व पलका बूंदी में जावला के छोटे बांध का काम मौखिक आदेश से प्रारम्भ किये जाने एवं बाद में बन्द कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

3. श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर के अन्तर्गत ग्राम 19 (ओ) तहसील करणपुर के एक पशुपालक की पुत्री के अपहरण तथा उसका पुलिस द्वारा पता न लगाए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

4. श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलत राम सारण व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया सदस्य, विधान सभा ने भाखरा नहर क्षेत्र के किश्तों की वसूली कुड़की से किये जाने से काश्तकारों में उत्पन्न असंतोष के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :––

1. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम लालमदेसर बड़ा का कुआं ढह जाने से कई पशु पानी बिना मर जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी इन्हीं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम बाघनू तहसील नोखा जिला बीकानेर में एक ट्यूब वेल 15 दिन से खराब पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं तथा ये मामले सम्बन्धित विभागों की मांगों पर वाद-विवाद के समय कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाये जा सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है।

(1) गेहूँ के भाव गिर जाने से किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कल स्थिति पर प्रकाश डाला जा चुका है।

(2) जैसलमेर जिले में भू-बन्दोबस्त एवं वसूली उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह, श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त दो और भी पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) चूरू जिले में चेचक का प्रकोप व चिकित्सा व्यवस्था में कमी के बारे में श्री दौलतराम सारण, श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव, तथा

बीकानेर जिले में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य

(श्री अध्यक्ष)
मंत्रीजी इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, लालमदेसर का कुआ ढह जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया उस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी कि मांगों की बहस के समय इसको कट मोशन से उठाया जाय। मवेशी और इन्सान प्यासे मर रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है। दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील तक पानी नहीं मिलता है। इस स्थगन प्रस्ताव पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से जानकारी ली जाकर हमें संतोष कराया जाय क्योंकि पेय जल की समस्या डिमांड की बहस पर हल नहीं हो जाती है। इसलिये यह प्रस्ताव रखा है। बार बार आदमी वहां से आते हैं, तार आते हैं, लोग वहां पर पानी के बिना तिलमिला रहे हैं। इसलिये पानी की व्यवस्था करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करके मैं उस सम्बन्ध में आपको अवगत कर दूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या 222 है वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसको स्थगित किया गया और कई बार स्थगित किया गया और राज्य सरकार जवाब नहीं दे सकती। इसलिये इसको एक बार और स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मोदी। यह प्रश्न प्रश्नों की जगह समाप्त हो गया। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा चुकी है। वह स्थिति और स्टेज दोनों समाप्त हो गये। अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : आगे के लिये व्यवस्था करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उसका आदर करते हुए थोडा निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां स्थिति यह हो गई है कि 23 गायें कल दिन में पानी के बिना मर चुकी हैं लालमदेसर में। बाधन गांव में भी यह स्थिति है। गांव दोनों पानी के अभाव में खाली होने जा रहे हैं इसलिये निवेदन करूंगा सरकार से कि इन दोनों, गांवों के बारे में कोई जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था की जाय।

आपने जो कटौती के प्रस्तावों के समय उल्लेख करने की राय दी है पर मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं इस सरकार पर कुछ असर होने वाला नहीं है।

एक किसान के पास एवड़ थी इसमें से 150 भेड़ मर गई हैं पानी के बिना तड़प तड़प कर। इसके बाद भी यह सरकार है जो चुपचाप बैठी है। हम डेपूटेशन भी लेकर मन्त्री महोदय के पास गये। पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये चाहूंगा कि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : नियमों में रिलेक्सेशन करना पड़े तो करें। उस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1967–68 से सम्बन्धित विषयक राजकीय उपक्रम समिति का 17 वां प्रतिवेदन।

2. श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1967–68 से सम्बन्धित विषयक राजकीय उपक्रम समिति का 18 वां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : 1. मलसीसर जिला झुंझुनूं की मौजूदा वाटर सप्लाई स्कीम को रिवाइज कराने, तथा

2. मण्डावा से झुंझुनूं वाया वाहिदपुरा सड़क को पूरा कराने से सम्बन्धित दो याचिकाओं का मैं उपस्थापन करता हूं।

श्री रामकिशन : अपने गांवों की सड़कें बनवा लो अब तो।

ध्यान–आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी तथा श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा, बारां सहकारी मार्केटिंग सोसायटी में गबन सम्बन्धी मामले पर सहकारिता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान बारां सहकारी मार्केटिंग सोसायटी में गबन सम्बन्धी मामलों पर सहकारिता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामदेवसिंह : जो बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है बारां सहकारी मार्केटिंग सोसायटी संचालक मण्डल पर जो आरोप लगाये हैं उनमें से जांच करने पर अधिकांश आरोप सही पाये गये हैं। उनकी जांच हो चुकी है और पिछले सप्ताह इस सदन में इसी के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में जो भी सूचना थी मैंने उपलब्ध करा दी थी उनको वहां पर

(श्री रामदेवसिंह)
प्रशासक की नियुक्ति हो गई है 25-3-71 को। वह उत्तर 5–6 पेज में है। माननीय सदस्य चाहें तो दुबारा पढ़ कर सुना सकता हूं। वैसे कापी उसकी मैं उनको भिजवा चुका हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष जी, बारां सहकारी मार्केटिंग सोसायटी के संचालक मन्डल के चुनाव गत तीन वर्षों से नहीं हुए हैं। माननीय मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में मेरे प्रश्न का हवाला दिया।

श्री अध्यक्ष : एक याद दिहानी करा दूं कहीं आप भाषण न शुरू कर दें। प्रश्नों के प्रूफ में आप जानकारी और लेनी हो तो ले·लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि सहकारी विभाग का बारां में सहायक रजिस्ट्रार रहता है। सहकारी विभाग के नियम हैं, एक्ट हैं, कानून हैं उनके अन्तर्गत सहकारी विभाग की जिम्मेदारी है कि अवधि समाप्त होते ही तुरन्त संचालक मण्डल का चुनाव करा दे। सहकारी विभाग का एक प्रतिनिधि संचालक मण्डल में स्वयं रहता है। फिर ये चुनाव क्यों नहीं कराये सहकारी विभाग ने तीन साल तक चुप क्यों बैठा रहा।

5-4-70 को बारां सहकारी चांवल मिल का उद्घाटन मुख्य मन्त्रीजी ने किया। इस संचालक मण्डल ने सहकारी नियमों के विपरीत जाकर कोटा के एक मामूली दलाल रामगोपाल गोरधनदास से 9 लाख का चावल खरीदा। पर इस संचालक मण्डल के अध्यक्ष प्रभूलाल गुप्ता ने मनमाने तरीके से नियमों के विरुद्ध जाकर एक ही व्यक्ति के पास जाकर चांवल खरीदा। चांवलों के खरीद–फरोख्त का धन्धा वह आदमी नहीं करता पर फिर भी 9 लाख का चांवल उससे खरीदा। सहकारिता का नियम है कि कोई भी सहकारिता वाली संस्था खरीद करे तो सबसे पहले प्राथमिकता सहकारी संस्थाओं से ही खरीदने में दे। लेकिन बारां मार्केटिंग सोसायटी ने धान की खरीद के अन्दर इस नियम को तोड़ कर एक ही व्यक्ति से, जिसका भी कोई यह धन्धा नहीं 9 लाख का धान खरीद लिया। इसमें भी तुरन्त यह कि क्वालिटी से ऊंची रेट पर खरीदा। इस व्यक्ति के साथ सोसायटी के चैयरमेन की सांठ गांठ थी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि इन सब अनियमितताओं को रोकने के लिए सहकारी विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

इसके अलावा इसने 44,25,40 रुपये की लागत का 551.92 क्विन्टल धान और खरीदा। इसमें घोटाला हुआ। ऊंचे भाव में हल्के किसम का धान और खरीदा। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने 90-92 रुपया क्विन्टल के भाव से वह माल खरीदा जिसका भाव बजार में 70–75 का था। अधिक से अधिक 70 गिन सकते हैं। फिर यह भी सीधा किसानों से या सहकारी सोसायटियों से नहीं खरीद कर बिचौलियों और आड़तियों से क्यों खरीदा गया ? इसी कारण इसमें इतना घोटाला चल सका।

श्री अध्यक्ष : एक तो अपका यह प्रश्न हो गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह धान खरीद कर रखा कहां ? सहकारी भंडारों के अन्दर

(श्री देवीदत्त गाडिया)
नहीं रखा। वेयरहाउस के भंडार में रखा जिसमें प्रति क्विन्टल में तीन किलो की छीजत बतलाई, जब कि इतनी छीजत नहीं हो सकती थी। हजारों क्विन्टल इस छीजत के नाम से बेच कर खा गये। सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार ने जांच की और इसको माना। पर एक्शन कुछ नहीं लिया? यह क्यों?

श्री अध्यक्ष : आप मेरा आशय नहीं समझे? प्रश्न पूछें केवल।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आम तौर पर धान में से जो चांवल निकलता है मिल में से जो चांवल निकलता है मिल में से तो 67 प्रतिशत बैठता है। पर इस धान में से जो चांवल निकला 62।63 पर्सेन्ट ही बता रहे हैं। क्या यह सही है? जांच कमेटी नियुक्त हुई जिसमें संचालक मण्डल के सदस्य भी थे। धान से चांवल निकाल कर उन्होंने भी यह तस्दीक किया कि 66।67 परसेन्ट बैठना चाहिये। तो इस सम्बन्ध में भी एक बहुत बड़ा घोटाला लम्बे अर्से से, चल रहा था तो उस पर तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की?

इसी तरह यह और पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि भूसी बेचने के लिये गाडियों में जब भेजी तो उसके नीचे चांवल भर कर भेज दिया। जो तीन चार पर्सेन्ट धान से चांवल निकालते वक्त बचाया उसको इस तरह से भेज कर बेचा और पैसा खा गये। एक बार शिकायत होने पर बारां की पुलिस ने 32 बोरी चांवल पकड़ा भी। 34 बोरी कोटा में पकड़ा। आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, पर उस पकड़े हुए चांवल को पुलिस ने बेच दिया। पुलिस को बेचने का क्या अधिकार था?

श्री अध्यक्ष : यह भी एक प्रश्न हो गया। चलिये और।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि पुलिस ने जब चांवल बेच दिया तो फिर जांच कैसे होगी। अपराधियों को दण्ड कैसे मिलेगा? इस तरह से अध्यक्ष महोदय, इस चांवल मिल में हजारों लाखों का घोटाला हुआ है

मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि इस संचालक मण्डल के श्री प्रभुदयाल गुप्ता ने एक कारीगर को 20/– रुपये रोज दिये हैं। इस कारीगर का नाम श्री भंवरलाल है। इस भंवरलाल नाम व्यक्ति को 15/ – रुपये रोज की मजदूरी और 5/– रुपये रोज खुराक, इस प्रकार कुल 20/– रुपये रोज इस कारीगर को दिये गये हैं जबकि अधिक से अधिक एक कारीगर की मजदूरी 7–8 रुपये रोज से अधिक नहीं है। इसी प्रकार चूना और पत्थर की खरीद में, लोहे और सीमेन्ट की खरीद के अन्दर घोटाला किया गया है। मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि सहकारी नियमों के अन्दर यदि कोई संस्था है, और उसको सामान खरीदना है तो वह क्या वह टेन्डर आमंत्रित नहीं करती है? इस मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने, संचालक मण्डल ने धान की खरीद के अन्दर टेन्डर आमंत्रित किये हैं,

(श्री देवीदत्त गाडिया)
टेन्डर आमंत्रित नहीं किये हैं तो क्या यह अनियमितता नहीं है...

श्री अध्यक्ष : नहीं किये हैं, मंत्री महोदय,

श्री देवीदत्त गाडिया : इसी प्रकार हजारों रुपयों का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि इस संचालक मण्डल के श्री प्रभुदयाल गुप्ता व श्री मगनलाल इन दोनों के खिलाफ आज से करीब 6 साल पहले तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार श्री के. पी. शर्मा ने एक रिपोर्ट दी थी ? क्या यह सही नहीं है यह मार्केटिंग सोसाइटी जिस चीज का धन्धा करती है उस चीज का धन्धा उस सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य नहीं कर सकते हैं, और क्या यह सही है कि श्री प्रभुदयाल गुप्ता ने इन्डियन आइल कम्पनी की ऐजेन्सी अपने लड़के के नाम से ले रखी है जबकि यह मार्केटिंग सोसाइटी भी तेल का धन्धा करती है। श्री के. पी. शर्मा जो सहायक रजिस्ट्रार थे, ने श्री मगनलाल, जो संचालक मण्डल के सदस्य थे मार्केटिंग सोसाइटी से गुड खरीदा, लोंग खरीदा, काली मिर्च खरीदी और कोटा में ले जाकर उसको बेच दिया और इस प्रकार हजारों रुपयों का मुनाफा कमाया। क्या यह श्री के. पी. शर्मा की रिपोर्ट है कि उक्त दोनों व्यक्तियों को सस्पेन्ड कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय यह उस रिपोर्ट के अन्दर था। अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी यहां पर रखा था और वह रिपोर्ट मेरे पास है लेकिन विभाग के अन्दर क्या कार्यवाही हो रही है, किस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति एक लम्बे समय से (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इस संस्था के अन्दर बैठे हुए हैं। चांवल मील के निर्माण में लाखों रुपयों का घोटाला किया है और और करीब 3 लाख रुपयों को घोटाला चांवल की खरीद, बेचान और छीजत के रूप में और भवन निर्माण के अन्दर किया गया है। इसी प्रकार की एक बात और पूछना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि इस मार्केटिंग सोसाइटी ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ के लिये करीब 20 लाख रुपयों का मसूर की खरीद की थी। इस खरीद के अन्दर भारी घोटाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कि इस पर क्या कार्यवाही की गई ? आपने क्या जांच की ? अभी तक कोई जांच इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय नहीं की गई है। इस मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से चाहे गुड़ खरीदा गया हो, चाहे मसूर खरीदा गया हो या बेचा गया हो, चाहे क्रय विक्रय संघ से गुड़ मंगाया हो, चाहे कालीमिर्च मंगाई हो उसके अन्दर हजारों रुपयों का घोटाला है। एक बात यह पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है ? इसको दबाया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार क्रय विक्रय संघ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनीतिक जीवन के अन्दर रहते हैं और जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध मंत्रियों से है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक बात और कहना चाहता हूं। इस मार्केटिंग सोसा-

(श्री देवीदत्त गाडिया)
इटी ने किसानों को वितरण करने के लिए खाद की खरीद की, उसकी एक ऐजेन्सी ले रखी है यूरिया के खाद की ऐजेन्सी इनके पास में है। इस खाद के अन्दर भी घोटाला है इसको किसानों के अन्दर वितरण नहीं करके बारां की एक फर्म को, जिसके खुद के खाद की ऐजेन्सी है, उसको ब्लैक में बेच दिया और मुनाफा लेकर उस ऐजेन्ट को दे दिया और उस व्यक्ति ने ऊंचे भाव के अन्दर किसानों को बेचा। क्या आपने इस मामले की जांच की है ?

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है !

श्री देवीदत्त गाडिया : अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। संचालक मण्डल के अध्यक्ष के बारे में कह रहा हूं। संचालक मण्डल को भंग किया जाये यह मेरा कहना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिनांक 25–3–71 को इस संचालक मण्डल को सहायक रजिस्ट्रार ने भंग कर दिया था और उसके ऊपर एड-मिनिस्ट्रेटिव को नियुक्त कर दिया था परन्तु वहां आज भी संचालक मण्डल किस कानून के अन्तर्गत काम कर रहा है। एक बात यह और है कि इस संचालक मण्डल के अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल गुप्ता ट्रिब्युनल से स्टे ले आये हैं परन्तु यह स्टे 1-4-71 को इस मार्केटिंग सोसाइटी की जो स्थिति है, उस स्थिति पर काम चले, इसका है। 25-3-71 को संचालक मण्डल भंग हो गया और 1-4-71 को एडमिनिस्ट्रेटर इसका काम कर रहा था तो क्या कारण है कि आज वहां पर संचालक मण्डल काम कर है। क्यों नहीं इस सम्बन्ध में कदम उठाये गये हैं। बार बार इस बारे में मैंने प्रश्न किये हैं ...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत यह संचालक मण्डल काम कर रहा है। क्या इसकी जांच की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : सब पुरानी बातें हैं। मंत्री महोदय !

श्री रामदेवसिंह (उप-मन्त्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैंने निवेदन कर दिया था कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं वे इस संचालक मण्डल को भंग कर दिया गया है। अब भी जो तीन, चार आरोप लगाये हैं प्रोसेसिग, छीजत के ये सब आरोप सही हैं। इनमें जो जांच की गई उससे पता लगा है कि छीजत के नाम पर करीब 25 हजार का घोटाला हुआ। इस प्रकार का सन्देह किया गया है। इस तरह 50 हजार का जैसा आप बता रहे है प्रेसिसिग में कम बता कर गबन किया गया। ये सारी बातें सही हैं और इसी कारण इस बोर्ड को भंग किया गया है । इसकी जो परचेज कमेटी है और जो दूसरे कर्मचारी इससे सम्बन्धित हैं उन सबके खिलाफ सहकारी नियम की धारा 74 के अन्तर्गत जांच की जा रही है और उनसे रिकवरी भी की जायेगी परन्तु इस सब में कुछ समय लगेगा। जहां तक आपने कहा कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर रहा है और बोर्ड काम कर रहा है, मैं

(श्री रामदेवसिंह)
बता देना चाहता हूं कि 25-3-71 को एडमिनिस्ट्रेटर ने वहां चार्ज ले लिया। उस दिन उन्होंने ज्वाईन रिपोर्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को भेज दी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने, बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, पंजाब नेशनल बैंक और कोपरेटिव बैंकों, को इन सब को यह सूचना दे दी गई है कि यह बोर्ड भंग कर दिया गया है और वे उसके एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट किये गये हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल से एक स्टे आ गया 1-4-71 को, यह सही है, जो भी स्थिति में 1-4-71 को वह कायम की जाये। लेकिन वहां के संचालक मण्डल के सदस्य और चेयरमेन ने एडमिनिस्ट्रेटर को वहां पर बैठने नहीं दिया लेकिन आज स्थिति यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने तुरन्त ही वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया उस दिन मुंसिफ मजिस्ट्रेट बाहर थे। इसके बाद कुछ मर्डर केसेज आ गये। अब इसकी तारीख 30 है। बैंक का अकाउन्ट ओपरेट करना, चेक बुक और कैश बुक पर एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत हो गये हैं और बैंक अकाउन्ट उनके हाथ में है। इस तरह जो भी घोटाला किया गया है उसकी सारी कार्यवाही चल रही है। किसी चीज को दबाने का कोई सवाल नहीं है और जो भी तथ्य सामने आयेंगे उनको लाया जायेगा यही मेरा निवेदन है।

श्री देवीदत्त गाडिया : पुलिस चांवल को बेच रही है और अगर चांवल को बेच दिया तो उनको किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिल सकेगी।

श्री रामदेवसिंह : मामला पुलिस को दे दिया गया है और पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है। यह मैं देख लूंगा कि चांवल बेचने से केस पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ऐसी बात होगी तो इसको रोक दिया जायेगा वैसे तफतीश जारी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह जो संचालक मण्डल है, मार्केटिंग सोसाइटी है इसको सस्पेंन्ड किया जाये। मेरे जितने आरोप हैं उनके बारे में मंत्रीजी ने यह कहा है कि ये सब सही हैं और इसमें तीन, चार लाख का घोटाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो कागजात हैं उनको तुरन्त ही जप्त नहीं किया गया तो जो यह रिकार्ड है उसको संचालक मण्डल और उसके अध्यक्ष नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड के सम्बन्ध में मंत्री महोदय।

श्री रामदेवसिंह : मैंने जैसा कि निवेदन कर दिया है, यह केस मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। वहां दरख्वास्त दे रखी है और वे इस रिकार्ड को सीज कर सकते हैं। जैसा कि पहले निवेदन किया है मुंसिफ मजिस्ट्रेट 5/7 दिन से बाहर थे और उसके बाद कुछ दूसरे केसेज आ गये। अब इसकी तारीख 30 है। विभाग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा रही है और रिकार्ड को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो समय लगता है वह तो लगेगा ही। मैंने निवेदन किया चैक बुक और रुपये पैसों का मामला है रेकार्ड के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी है।

Page No 61

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मनी के आपरेशन का सवाल है। चैक बुक वगैरह ले ली है लेकिन पिछली दफा जो रेकार्ड है . . .

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड के सम्बन्ध में आप कुछ व्यवस्था कर दें।

श्री रामदेवसिंह : अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त दे रखी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौन अधिकारी इसकी जांच करेगा ?

श्री रामदेवसिंह : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव इसकी जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

आय-व्ययक- 1971-72 पर सामान्य वाद विवाद

श्री रामचन्द्र आर्य : 10 मिनिट मैं बोलना चाहता हूं। समय काफी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य ...

(मा. श्री आर्य के पुनः बोलते रहने पर)

नहीं, नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर यह कुर्सी पर कौन विराजमान हैं ?

श्री अध्यक्ष : नियमों वाला अध्यक्ष :

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज का समय केवल वित्त मंत्री जी के उत्तर देने का है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी डेढ़ ही बजा है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना लम्बा समय इस बजट के लिए दिया जा रहा है। मैं भी तो शब्द कह दूं तो ...

श्री अध्यक्ष : मुझे विश्वास देते हैं कि दो शब्द ही कहेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : 10 मिनिट मुझे भी दे दियाँ जायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : कई मा. सदस्य बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं इस स्थिति में नहीं हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मुझे भी समय मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ..

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इस तरह तो अध्यक्ष महोदय कई मा. सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जो जवान की है उससे मुकर रहे हैं। मुझे 10 मिनिट दे दिये जायं। 10 मिनिट से 11 मिनिट नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : मेरी मुश्किल है, कई माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं। मैं एक मा० सदस्यों को सुविधा देता हूं तो दूसरों को कैसे मना कर सकता हूं ? यह समय निर्धारित कर दिया गया है, पहले से। आज का समय केवल वित्त मंत्री जी के उत्तर देने का है । इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय आपकी गैर मौजूदगी में टाइम नहीं मिल पाता है। आप होते हैं तो ले लेता हूं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं....

श्री **यशवन्त सिंह नाहर** : आपकी मधुर मुस्कान भी अध्यक्ष महोदय को मोहित कर देती है ।

श्री **भैरोंसिंह** : समय काफी है । एक मा. सदस्य रामचन्द्र जी बोलें दूसरे मा. सदस्य पी. के. चौधरी बोलें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : में समय 5 मिनिट श्री आर्य को और, और पांच मिनिट श्री.....

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : 10 मिनिट से अधिक नहीं अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट से क्या होता है ?

श्री **यशवन्त नाहर** : आपने यह न्याय किया है ? चार दिन से बोला ही नहीं हूं ।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य । 10 मिनिट ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : अध्यक्ष महोदय सन् 1971-72 के बजट पर विचार चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से उत्तर देने के लिये भी वित्त मंत्री जी तैयार हैं। इससे पहले मैं कुछ मुद्दों पर निवेनन करना चाहता हूं । एक तो इस सदन के अन्दर राज्य सरकार ने बार बार घोषणायें की है। सबसे पहले सन् 1967 में छोटी जोतों पर लगान समाप्त करने की घोषणायें हैं । और उस घोषणा को दूसरे आने वाले सेशन में वापिस ले ली गई और इस तरह से जबान से यह सरकार मुकर गयी उसके बाद में सन् 1968 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया कि 26 जनवरी के बाद राजस्थान में हरएक विभाग में हिन्दी में काम किया जायगा-वह घोषणा भी मैं समझता हूं ताक में रखदी गई और आज भी यह नोटिस जो अंग्रेजी में निकाले हैं-तहसील नोहर और भादरा में अलाटमेंट कमेटी के द्वारा जो जमीन अलाट की जायगी उसकी सूचना गांवों में यह अंग्रेजी में दी गई है । इसके अलावा राजस्थान केनाल क्षेत्र में जो भूमिहीनों को जमीन अलाट करने के लिये एप्लीकेशन है वह अंग्रेजी में है। सरकार की इस प्रकार की घोषणाओं से मैं नहीं समझता कि यह सरकार किस तरह से घोषणा करती है और इनकी घोषणाओं पर इनके अधिकारी अमल क्यों नहीं करते हैं ? मैं यह नोटिस की प्रति और यह फार्म सदन की मेज पर रखता हूं और इसके सम्बन्ध में...

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर नहीं रखें, आप अपने आप ही रख लें...

श्री **रामचन्द्र आर्य** : जांच करवायें तो सरकार की घोषणा असत्य है या फिर जान-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बूझकर सदन को गुमराह करने के लिए घोषणायें की जाती हैं और इन पर कोई अमल नहीं होता है।

इसी प्रकार बेरोजगारी की ओर कृषि स्नातकों के लिए ऐलान किया गया था। वह आज तक मेरे इलाके में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जमीन उन ग्रेजुऐट्स विद्यार्थियों को नहीं दी गई हैं। अभी वित्त मंत्री जी के भाषण में यह घोषणा की गई है कि हम बेकार इंजीनियरों को और डिप्लोमा होल्डरों की बेकारी दूर करने के लिए भत्ता देंगे। इस प्रकार की घोषणायें लोगों को गुमराह करने वाली घोषणायें हैं। किसी भी घोषणाओं में सिंचाई पर बहस नहीं है। मैं यह महसूस करता हूँ इसी तरह उपनिवेशन विभाग के लिए डिमाण्ड नहीं रखी गई है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में और जमीन की कीमत के बारे में तय करने वाली कुछ गलत बातें थीं। इस प्रकार की अव्यवस्था इस सरकार की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को या तो इस प्रकार की गलत बातें नहीं कहनी चाहिये और कहती है तो सारी घोषणाओं और भाषणों पर अमल करना चाहिए। आज सारे भाषण को मैं समझता हूँ इन्दिरा जी का समाजवादी कपड़ा लगा दिया गया है समाजवाद के नाम से यह मुलम्मा चढ़ाकर उसको रखना चाहते है, बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने में। लेकिन मुझे एक असिसटेन्ट इंजीनियर ने सूचना दी है वह बड़ी सनसनी पूर्ण है। हमारे उप मंत्री महोदय सहायता कार्यों के लिए एक बार दौरे में गये थे और एक रैस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वह इंजीनियर 80 हजार रुपये के पेमेन्ट के लिए जा रहा था। उससे पूछा गया तुम कहां जा रहे हो रुपये लेकर, इधर लाखों रुपये और उसमें से 8 हजार रुपये निकाल लिए। यह सरकार की हालत है और सरकार के मंत्रियों और उप मंत्रियों की हालत है। इसी प्रकार एक आदमी तहसील टी.बी. से आया है और उन लोगों ने कोशिश की है और कहा है कि मंत्रियों के पास दो हजार ट्रक में जीप मिलती है ...

एक माननीय सदस्य : ऐसा कौनसा मंत्री है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पहले सरकार से आश्वासन दिलायें कि हम कमीशन बैठा देंगे। उसके बाद में रेकार्ड पेश कर दूंगा।

इस प्रकार से कोई भी बात यहां पेश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। इस प्रकार की प्रवृत्ति इस राजस्थान सरकार के मंत्रियों और उप-मंत्रियों की है। इसी प्रकार से मेरे इलाके के पास तहसील टीबी से जीप खरीदने को लोग आये तो राजस्थान यूनाइटेड मोटर्स कम्पनी है उनके वहां गये और उनसे मिले। उसके बाद में एक मंत्री के पास गये और मंत्री ने 2 हजार रुपये उनसे मांगे। इस प्रकार की हालत है सरकार तो हम कैसे मान लें कि यह गरीबी को दूर करेंगे और जो घोषणायें करते हैं उनको ये पूरा करेंगे।

इसी तरह से विद्युत् विभाग की हालत है। रतनगढ़ संभाग में चोरी गये माल को पकड़ा है स्टोर को सील किया गया, और वहां के कर्मचारियों को उस सामान को बेचते हुए पकड़ा है और विद्युत् विभाग में जो घाटा दिखाया जा रहा है इस प्रकार की

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चोरियां इस राजस्थान में चारों तरफ चल रही है। बजट का घाटा इन लोगों की कार्यकुशलता नहीं होने की वजह से, ईमानदारी नहीं होने की वजह से प्रकाशन पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते इसलिए राजस्थान को बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा राजस्थान है जिसके अन्दर इतनी बड़ी आमदनी होती है लेकिन आज तक पेयजल की समस्या को हल नहीं कर सके। आज गांवों में हजारों गांव ऐसे हैं कि जिनमें पीने का पानी नहीं मिलता। स्कूल मत बनाओ, सड़कें मत बनाओ, दूसरे काम मत करो लेकिन इन्सान को पीने का पानी नहीं मिले इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? आप कुछ नहीं दें लेकिन गांवों के लोगों को पीने का पानी तो दें। लेकिन आये दिन आप भाषणों में घोषणायें करते हैं और आप इस प्रकार के वादे करते हैं कि हम पेयजल की समस्या को हल करेंगे आज कस्बा नौहर में तीन साल से काम चालू है, वह 30 हजार की आबादी है उसमें जनता प्यासी मर रही है और एक बूंद पीने का पानी नहीं है और वहां पर आज दिन तक काम नहीं किया गया। गांवों को ये चाहते नहीं हैं। ये सारे काम शहरों में ही कराना चाहते हैं। मेरे यहां एक टांडूसर गांव है वहां पर आज से दस साल पहले वाटर वर्क्स बनाया लेकिन दस साल से वह वाटर वर्क्स पड़ा है। उस कुए को भी बरबाद कर दिया गांव के लोग उस कुए से पानी पीते थे और उसका पानी मीठा था लेकिन इस प्रकार से सरकार की जो उदासीनता की नीति है उससे हम कैसे मान लें कि सरकार लोगों की समस्याओं को हल करेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सदन में खड़े होकर आप कोई घोषणा नहीं करें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घोषणा करते हैं तो उसको पूरा करें। पूरा नहीं करते हैं तो लोग हमेशा इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाये जा सकते जिस तरह से आप बीस सालों से बनाते आ रहे हैं। आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल किये और आज इन्दिराजी के नाम से समाजवादी बजट पेश करके लोगों को आप भ्रम में डालना चाहते हैं और कहते हैं कि आने वाले साल में हम लोगों की बेरोजगारी को दूर करेंगे, पेयजल की समस्या को हल करेंगे और भूमिहीनों को जमीन देंगे। भूमिहीनों को जमीन देने के लिए आज भी आपके पास बहुत काफी जमीन है लेकिन गरीबों को आज तक जमीन नहीं मिली। पिछली साल आपने गलत अलाटमेन्ट किये और जिन लोगों के पास पहले ही जमीन थी उनको और अलाटमेन्ट किया और उन्हीं को ही एक साल के लिए फिर रिन्यूअल कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका मतलब यह है कि भूमिहीनों को आप जमीन नहीं देना चाहते हैं और पैसा देने वाले लोगों को और अधिकारियों की जेबें भरने के लिए इस प्रकार प्रवृत्ति को आप पैदा कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को इस बारे में सही तरीके से कदम उठाना चाहिए। राजस्थान केनाल जैसी योजना जो हिन्दुस्तान में अपने प्रकार की एक ही

(श्री रामचन्द्र आर्य)
योजना है उसके अन्तर्गत जो जमीन है उसकी नीति निर्धारित नहीं कर सकी है यह सरकार और फिर कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है विकास के लिए। आज उस जमीन के अन्दर लाखों मन अन्न पैदा हो सकता था यदि सही तरीके से लोगों को जमीन दी जाती लेकिन नहीं दी गयी। आज भी भूमि बंजर पड़ी है और लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं और सरकार को उनसे कोई आमदनी नहीं है। ये रोजाना घोषणायें करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो चालक लोग हैं वे जमीनों पर नाजायज कब्जा करते हैं और साल दो साल के बाद आप घोषणा कर देते हैं और वह जमीन उन्हीं के कब्जे में रह जाती है। जो पैसा देते हैं वे तो सही है और जो नहीं देते हैं वे गलत हैं। बाप के पास पहले ही 200 बीघा जमीन है और फिर भी लड़कों के नाम भूमिहीन के नाम से भूमि अलॉट की जाती है। यह बिलकुल सही बात है। हनुमानगढ़ तहसील में ऐसे केस हुए हैं। यदि इन्क्वायरी की जाये तो मालूम होगा कि बाप के नाम पर 200 बीघा जमीन खातेदारी की है और लड़कों के नाम भूमिहीन होने के नाम से भूमि अलॉट की गई है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सरकार की चल रही है। यदि इस प्रकार से शासन चलता रहा तो आप तो डूबेंगे लेकिन इस प्रदेश को भी डूबो देंगे क्योंकि गरीब हमेशा इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकेगा ...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली तो आपको और इस राजस्थान की जनता को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से आज दूसरे इलाकों में क्रांतियां हो रही हैं पूर्वी बंगाल में क्रांति हो रही है, पश्चिमी बंगाल में खून खराबा हो रहा है, दूसरे प्रांतों में खून खराबा हो रहा है- इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां भी पनप सकती है। आप इस प्रकार से अपने बंगले, मोटरें और जायदाद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका नतीजा निकलेगा इसको भुगतने के लिए आप तैयार रहें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी एक दो मिनट में समाप्त करता हूं।

इसी तरह से पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और इसके लिए बजट में बिलकुल थोड़ा सा रुपया रखा है और वह रुपया अपने चहेते लोगों को सड़क बनाने के लिए दिया गया है। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण तरीके से नीतियां बनाई गई हैं और जिन इलाकों में सड़कों की जरूरत है वहां तो आप सड़कें नहीं निकालते हैं और हनुमानगढ़ को देखिये आपने अनेक गांवों को मिलाने के लिए कई टुकड़े मन्जूर किये गये हैं लेकिन नोहर तहसील में एक भी सड़क नहीं निकाली। हरियाणा से मिलाने वाली एक सड़क का तीन मील का टुकड़ा आज दस साल से बाकी है और इसके लिए जो पहले सड़क बनी थी वह बरबाद हो रही है लेकिन उस टुकड़े पर पैसा खर्च नहीं करते हैं और दो दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उनकी मरम्मत नहीं कराती है सरकार और बहुत सारे झूठे बिल बनाकर पैसा उठा लेते हैं। इसलिए ऐसा अधिकारी लोग करते हैं उनको चुनावों में चन्दा देना पड़ता है। इनकी हिस्सेदारी इनके साथ है। इसलिए आप छाती पर हाथ रखकर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की खिलवाड़ आप जनता के साथ नहीं करें।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : शिक्षा पर कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। रहने दीजिए शिक्षा को।

श्री रामचन्द्र आर्य : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में भी बार बार यह घोषणा की जाती है और इन पांच सालों में चुनाव से पहले स्कूल खोले गये और आने वाले चुनावों से पहले 300 प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल, 50 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल और 3 कालेजेज इस प्रकार की जो प्रवृत्ति चल रही है- आज गांवों के अन्दर सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जिनके अन्दर प्राईमरी स्कूल नहीं है। आपने 30 प्राईमरी स्कूलों का इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा है। क्या आप इसको उचित समझते हैं? आपको यह चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में मिडिल स्कूल खोलें। लेकिन आपतो सिर्फ शहरों की तरफ बढ़ना चाहते हैं और गांवों की तकलीफों को नहीं समझते। आपके बच्चे सैंट जेवियर में पढ़ते हैं, आपके कुत्ते हलुवा खाते हैं और उनको पीने का भी पानी नहीं मिलता, उनके लिए पाठशालायें तक नहीं खोली जाती है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ....मेरा कहना है कि आप गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोलें मेरे इलाके में 36 गांव हैं ऐसे कि उनमें प्राईमरी स्कूल नहीं हैं। उनकी लिस्ट भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं। आप उन गांवों को भी देखें और राजस्थान के दूसरे गांव और बड़ी आबादी वाले गांव भी हैं उनमें प्राईमरी स्कूल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री पी.के. चौधरी!

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को 15 मिनिट मिले हैं तो मैं 10 मिनिट ही बोलूंगा और मेरे बाकी के 5 मिनिट के टाइम में नाहर साहब बोलेंगे।

श्री नरोत्तमसिंह : यह तो चेयर का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां से चला जाऊं। मतलब यह है, जब आप स्वयं ही एडजस्टमेंट कर लेंगे तो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप मेहरबानी करके हमें समय दें।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ होने दें। श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं बजट के प्रोफार्मा के सम्बन्ध में एक-

(श्री पी. के. चौधरी)

बात कहना चाहूंगा। जिस शेप में यह बजट पेश होता है उससे सदन का बजट के एक्स-पेन्डीचर के ऊपर कन्ट्रोल होता है, लेकिन बजट के सम्बन्ध में या उसके परफार्मेन्स के सम्बन्ध में या इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में सदन का किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं रहता है, और ज्यादातर सदन में चर्चा होती है या क्रिटिसिज्म होता है वह इस बात का होता है इम्प्लीमेन्टेशन को लेकर, और जिस शेप में बजट पेश होता है उससे सिर्फ इतना ही अन्दाजा मिलता है कि इतना पैसा दिया वह पूरा पैसा खर्च कर दिया या नहीं या बस उतना ही खर्च किया है या उससे ज्यादा पैसा खर्च किया। इस संबंध में देश में समय समय पर इस बात पर लोगों ने आवाज उठाई है कि बजट जो है वह आज के जमाने में आज की डेवलपिंग इकोनामी का बजट नहीं है जिस शेप में हम प्रेजेन्ट करते हैं वह। जब कि सरकार का काम सिर्फ ला एण्ड आर्डर का था उस दृष्टि से आज जिस शेप में बजट पेश करते हैं वह ठीक है। लेकिन डेवलपिंग इकोनोमी का बजट, वेलफेयर स्टेट का बजट और पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जो बजट होना चाहिए उसमें पार्लियामेंट को कम से कम जो एक्जीक्यूटिव है उसने इस बजट को मन्जूर करने के बाद किस ढंग से एक्जीक्यूट करती है, सही ढंग से एक्जीक्यूट करती है या नहीं यह अन्दाज लगना चाहिए। इनकी बात लोकसभा में भी उठाई गई थी। लोकसभा की एस्टीमेट कमेटी 1963 ने भी इसके लिए सिफारिश की थी कि बजट कम से कम डेवलपमेंट बजट परफोर्मेन्ट प्रोग्राम का बजट होना चाहिए जिससे सदन को इस बात का मालूम रहे कि पिछले सालों में कितना काम हुआ, लास्ट इयर जो पैसा दिया था उससे कितनी प्रोग्रेस हुई और आने वाले साल में इतने रुपये में कितना काम कर सकेंगे। लेकिन उसका कोई अन्दाजा इस बजट में नहीं मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भी 1968 में इस बात पर जोर दिया था कि सेन्टर का बजट और स्टेट्स के जो बजट है कम से कम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बजट जो है वह परफार्मेन्स बजट होना चाहिए। यहां पर भी एस्टीमेट्स कमेटी ने पिछली जनवरी को अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था और उसमें इस बात को कहा था और 1970 के अगस्त में राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला भी किया था कि 7 विभागों एग्रीकलचर, इरिगेशन, पी. डब्ल्यू. डी. और तीन चार डिपार्टमेंट्स और हैं उनके बजट इस सत्र में परफार्मेन्स बजट के साथ साथ पेश किये जायेंगे। सवाल इतना सा था कि परफार्मेन्स बजट जो है वह पिछले बजट के साथ इन्क्लूड किया जाय या अगले साल के से किया जाय तो गवर्नमेन्ट मशीनरी ने बताया था कि यह परफार्मेन्स बजट सारा वह अलग से रखेंगे। लेकिन परफार्मेन्स बजट के नाम से जो विभागों की प्रगति रिपोर्टें हमारे पास में आई हैं, हमने एक रिपोर्ट देखी है, इरिगेशन की रिपोर्ट को देखा है और आपकी पी डब्ल्यू0 डी की प्रगति को हमने देखा है जिसको परफार्मेन्स बजट का रूप देने की कोशिश की है लेकिन उससे यह पता नहीं लगता है कि पिछली साल यानी 69-

(श्री पी.के. चौधरी)

69 में जो बजट पेश किया था उसका फिजीकल एचीवमेंट क्या हुआ या 70-71 के बजट में प्रावधान रखा था अलग अलग आइटम्स के लिए, अलग अलग काम के लिए उसमें से उन्होंने कितना किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की है जिसको शायद वे परफार्मेन्स बजट का नाम देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि क्रम से आने वाले साल में हमारा बजट परफार्मेन्स बजट हो और उसमें इतनी बात जरूर आना चाहिए कि 69-70 में हमारा फिजीकल परफार्मेन्स क्या रहा ? कितना रुपया दिया और कितना वर्क हुआ सड़क के लिए कितना रुपया दिया और कितनी माइलेज हुई, इर्रिगेशन के लिए कितना रुपया दिया और उसमें कितना कन्स्ट्रक्शन हुआ, और कितनी टोटल इर्रिगेशन फेसिलटी दे सके हैं। इस प्रकार से आना चाहिए। कम से कम इम्प्लामेन्टेशन की बात आती है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि पैसा हम देते हैं लेकिन उस पैसे का क्या होता है यह मालूम नहीं होता है। बजट में शार्टफाल हो जाता है तो डिपार्टमेन्ट की इनएफिशियेन्सी मानी जाती है कि खर्च नहीं किया है खर्च कम किया उसका अन्दाजा इस बजट से नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट यिअर से हमारा बजट आये उसके साथ-साथ परफामेन्स बजट भी कम से कम जिन विभागों के लिए गवर्नमेन्ट ने कहा है कि अगस्त 70 से जिनके लिए आर्डर निकाला है, उनका परफार्मेन्स बराबर ढंग से, बराबर तरीके पेश करें ताकि सदन में बाद में उस पर विचार कर सकें और मालूम कर सकें कि इस साल बजट में हमने जो रुपया दिया था उसका फिजीकल एचीवमेंट क्या हुआ, कितना एचीव हुआ टारगेट यह नहीं कि सिर्फ रुपया खर्च कर दिया। रुपया खर्च किया तो खर्च करने के बाद कितना एचीवमेन्ट हुआ फिजीकल टार्गेट, यह आना चाहिए ..

श्री दौलत राम सारण : यह प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है और वह पेश हो चुकी है सदन में।

श्री पी.के. चौधरी : वह आया नहीं है।

श्री रामकिशन : वह यह कह रहे थे कि आप उसके मेम्बर हैं और वह रिपोर्ट पेश की गई है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरे में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में इस साल हम 600 गांवों का प्रोग्राम राजस्थान में रख रहे हैं, और इस रेट से जिस रेट से हम रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन तक का कार्य कर रहे हैं, करेंगे तो राजस्थान में 31 हजार गांव हैं उनमें बिजली पहुँचाने में कम से कम 40 साल लगेंगे। हम चाहते हैं कि रूरल इलक्ट्रिफिकेशन की स्पीड को बढ़ाया जाय। आल इन्डिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन है वह कहता है कि रुपये की कमी नहीं है। वह देने को तैयार हैं। हमारे पास से स्कीम्स जायं तो वे रुपया देने को तैयार हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड को बढ़ाया जाय, और अगर इस स्पीड से चलेंगे तो चालीस पचास साल में जाकर हम सारे गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं।

दूसरी एक बात की तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज

(श्री पी.के. चौधरी)

जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में करप्शन की जो कम्प्लेन्ट है वह बड़ी रैम्पेंन्ट है। पहले रैवेन्यू और पुलिस की बात आती थी लेकिन रैवेन्यू से भी ज्यादा पंचायत समिति में हरेक इन्डिविजुअल काश्तकार के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सम्बन्ध हो जाता है। जिस किसी के कुए पर बिजली लग जाती है और उसमें फ्यूज उड़ जाता है तो उसको ठीक कराने के लिए उसको जाना पड़ता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : There is a great corruption in the Electricity Deptt. No body is going to hear these days there.

श्री अध्यक्ष : No interruptions.

श्री पी.के. चौधरी : इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो करप्शन चलता है उसका खराब असर लोगों के दिमाग पर हो रहा है। लोग बड़े परेशान होते हैं। माननीय सदस्यों ने समय समय पर सदन में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें करप्शन ज्यादा हो गया हैं कि He must replace आज गवर्नमेंट कहती है . . .

श्री दौलतराम सारण : राष्ट्रीयकृत बैंकों का थोड़ा और बता दें।

श्री पी. के. चौधरी : दरख्वास्त देने के बाद कम से कम शेडूल नियत कर कर दिया जाय।

दूसरी बात यह होती है कि किसी गांव में उनका कुआ है उसमें मोटर है उसका फ्यूज उड़ जाता है तो इमीजियेटली विधइन सो मेनी अवर्स दे मस्ट रिप्लेस इट। वे नहीं करते हैं और जब एग्रीकलचरिस्ट खुद जाकर पहुँचता है तो करते हैं। अगर एक दिन भी पानी नहीं मिले तो फसलें खराब हो जाती है। ऐसे इन्सीडेन्स हमेशा होते हैं। पानी नहीं देते हैं और किसान पर्सनली एप्रोच करते हैं और समझा-बुझाकर लाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यह जो करपशन है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं सेक्शन 91 आफ लैण्ड रैवेन्यू के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो अनआथोराइज्ड ट्रेसपासर्स हैं उसको यह करेंगे कि वह लैण्डलेस के लिए करेंगे। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेग्नीट्यूड ट्रेसपासर्स का है वह इन थाउजेन्ड्स का है राजस्थान में और हरेक तहसील में, और हरेक गांव में उसका इन्सीडेन्स है अब जो लैण्डलैस को आपने रखा है, वह एक प्राब्लम है। किसी ने 10 विस्या जमीन, किसी ने 5 विस्वा जमीन दबा ली है। लेकिन उसकी होल्डिंग 25 बीघा हो सकती है। कोई 5 विस्वा 10 विस्वा दबा ली है जो 15 बीघा की रेस्ट्रेक्शन लगाई है। वह 91 की जो प्राब्लम है वह बनी रहेगी। अभी जो 91 के केसेज हैं वह 15 बीघा वाले नहीं है। अभी तक जो केसेज हैं वह 15 बीघा से ज्यादा के हैं। ली कितनी जमीन 10 विस्वा या 5 विस्वा। इसलिए 15 बीघा वाला नहीं हटायेंगे तो हरैसमेण्ट

(श्री पी. के. चौधरी)

बहुत होगा। बार-बार तारीख देते हैं बार-बार नोटिस देते हैं। दूसरी बात महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं॰॰

श्री रामकिशन : पांचवीं है, दूसरी नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशन है, वह यह है कि 24% रेवेन्यू जयपुर से आता है। चाहे सेल टैक्स से हो, चाहे जिस तरह से हो। जब कि यहां की आबादी 25 लाख है। पापुलेशन को देखते हुये रोड्स हैं, इर्रीगेशन है इसमें व्यय होना चाहिए।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि 1000 लोगों को काम देने के बारे में कहा गया है। जयपुर जिला 3 जिलों के बराबर है। कोटा झालावाड़ और बूंदी तीन जिलों के बराबर जयपुर जिला है। अगर किसी एक जिले के लिए एक हजार होता है तो जयपुर के 3 हजार होना चाहिए। बल्कि जयपुर जिले में जिस प्रकार का अनइम्प्लायमेण्ट है, एक लाख आदमी अनइम्प्लायमेण्ट में हैं और जयपुर शहर में 25 हजार आदमी बेकारी में हैं।

श्री दौलतराम सारण : जयपुर में 2,00,000 आदमी बे रोजगार हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मैं करेक्ट बता रहा हूं।

श्री रामकिशन : करेक्ट तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ कह दें।

श्री पी. के. चौधरी : चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनूं हो। हम चाहते हैं, इम्प्लायमेण्ट देना चाहिए चाहे एग्रीकल्चर से होता हो। हमारे यहां पर कोई बड़ी इण्डस्ट्री नहीं है। हम चाहते हैं चाहे पब्लिक सेक्टर में, चाहे नीम के थाने में बड़ी इण्डस्ट्री लगाई जाये। चाहे सीमेण्ट फैक्टरी हो, चाहे स्कूटर का कारखाना हो। जयपुर में रामैटीरियल काफी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो एक हजार आदमी पर एक आदमी को इम्प्लायमेण्ट देने की योजना है॰॰

श्री दौलतराम सारण : एक हजार को भी देने की कोई योजना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री पी. के. चौधरी : एक मिनिट में अध्यक्ष महोदय मैं फिनिश करता हूं। जैसे कि गांवों में दूसरा कोई सोर्स आफ इनकम नहीं है। और कोई परमानेण्ट इम्प्लायमेण्ट नहीं है। एक आदमी को परमानेण्ट काम देने के लिए 8 हजार रुपये का नियोजन करना पड़ता है। जयपुर जिले में 1 लाख आदमी हैं उसके लिए बजट में 48 लाख हो॰॰

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए इस प्राब्लम को देखये हुए जयपुर जिले के लिए एक हजार के बजाय 3 हजार का रखना चाहिए। यह रखेंगे तो ठीक होगा। हिन्दुस्तान में नियोजन के लिए हम 23 सौ करोड़ रुपया साल में लगाते हैं। इसके बजाय 33 सौ करोड़ रु. हम नियोजन करेंगे तभी जाकर 2 करोड़ बेरोजगारों को काम दे सकेंगे।

Page No 71

श्री किशनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय :

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनलाल वर्मा : हमारा बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अधिकार नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनलाल वर्मा : मैं बोलूंगा। जरूर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बिरदाराम : हम बोलेंगे जरूर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री किशनलाल वर्मा : यह अन्याय नहीं चल सकेगा। मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं आपको नाम से पुकारता हूं।

श्री किशनलाल वर्मा : बोलने नहीं दिया जाता है। यह ++

श्री बिरदाराम : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ++ एक्सपंज किया जाये।

(श्री बिरदाराम और श्री किशनलाल वर्मा एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम : ++

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाये।

श्री बिरदाराम : + +

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाये। स्थान ग्रहण करें।

(श्री बिरदाराम और श्री किशनलाल वर्मा एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

स्थान ग्रहण करें। एक्सपंज किये जायें। मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं।

श्री किशनलाल वर्मा : हमको वक्त दिया जाये बोलने का

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अब कोई समय नहीं है।

श्री किशनलाल वर्मा : हमको समय दिया जाये। राज्यपाल के भाषण पर भी समय नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। समय अब नहीं दिया जा सकता है।

माननीय मंत्री।

श्री किशनलाल वर्मा : हम को वक्त दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आप व्यवधान डालना चाहते हैं, फिर मुझे दूसरा मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : इनको भी बोलने दिया जाये।

++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

Page No 72

श्री रामकिशन : सवर्णों को टाइम दिया गया है, तो बेचारे गरीबों को क्यों टाइम नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए कोई बात नहीं होगी।

श्री रामकिशन : आपसे नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक से कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे कोई बात नहीं होगी।

श्री रामकिशन : सवर्णों को टाइम दिया गया है, हरिजनों को नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बड़ी सद्भावना है। स्थान ग्रहण करें। व्यवधान नहीं।

श्री हीराभाई : समाजवाद की डोंडी पीटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हरिजन हैं, जो आदिवासी हैं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री हीराभाई : उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है और इस विधान सभा में जितने सवर्ण हैं उनको ही टाइम दिया जाता है। यह विधानसभा क्या सवर्णों की है ?

श्री अध्यक्ष : इतनी हमदर्दी को इस सम्बन्ध में मत जगाइये। स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको पकड़ रखा है, जबर्दस्ती पकड़ रखा है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 1971-72 का जो आय व्यय का तखमीना मैंने पेश किया था, उसको लेकर जो सदन में वादविवाद हुआ है और जिसमें इस सदन के छब्बीस माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है और 13 घण्टे 46 मिनट तक बहस चली है, उसमें बहुत से रचनात्मक सुझाव दिये हैं-उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ में इस बात की बहुत खुशी है और मैं माननीय सदस्यों को कम्प्लीमेंट दिये बिना नहीं रह सकता कि इस बजट के दौरान में, सदन के अन्दर इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने बजट के ऊपर बहस के अन्दर हिस्सा लिया था, सभी दलों के लोगों ने इस वक्त जो इस बजट के ऊपर जो कुछ भी कहा है, उसमें खास तौर पर सभी माननीय सदस्यों ने समाजवादी बनकर इस बजट पर चर्चा की है, स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी, जनसंघ के माननीय सदस्यों ने भी, सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी और बी. के. डी. के माननीय सदस्यों ने भी···

श्री दिग्विजयसिंह : हमने नहीं की है।

श्री मथुरादास माथुर : सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट के अन्··· ··· देखने की कोशिश की है और···

श्री भैरोंसिंह : समाजवाद के धोखे को देखने की कोशिश की है।

श्री दौलतराम सारण : आपके समाजवाद को नंगा करने की चेष्टा की है, जो ढोंग रखा है उसको उघाड़ने की कोशिश की है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री दौलतराम सारण : नकली समाजवाद की पोल खोली है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं वह माननीय सदस्यों को लेने को तैयार हों। माननीय सदस्यों ने बजट पर बहस में पार्ट लेकर जो समाजवाद के बारे में कहा तो मुल्क में आज एक नई आबोहवा बनी है उसका असर सभी माननीय सदस्यों के ऊपर हुआ है, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों और इसलिये ही इस बजट में समाजवाद के रूप को देखने की कोशिश की है और खामियां बताई हैं कि समाजवादी बजट होने से खामियां हैं। मुझे इस बात की खुशी है, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के माननीय सदस्यों ने समाजवाद के रूप को इसमें देखने की कोशिश की है...

श्री रामचन्द्र आर्य : समाजवाद ला रहे हैं तो समाजवाद के दौरान तो लूट खसोट कम से कम बन्द कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं, तो जब माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, उसको हमने शांति के साथ सुना है, तो अब वह भी शांति के साथ में सुनें और बाद में कुछ कहें।

श्री भैरोंसिंह : हमने...

श्री मथुरादास माथुर : जरूरी नहीं है। माननीय सदस्य की मेहरबानी है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्यों की शिकायत है कि अधिकांश माननीय सदस्य जब बोले तो आप हाउस में नहीं थे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं था।

श्री भैरोंसिंह : नहीं थे।

श्री मथुरादास माथुर : 26 में से कम से कम बारह को मैंने सुना है।

श्री अध्यक्ष: इस विवाद में मत जाइये।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए...

श्री दौलतराम सारण : जब हम लोग बोलते हैं तब केवल एक डिप्टी मिनिस्टर या एक स्टेट मिनिस्टर को बैठा देते हैं, लूले-लंगड़े मिनिस्टर को और केबिनैट के और सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन जब मंत्रिमण्डल के सदस्य को बोलना होता है तब सब यहां आकर बैठ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : ++शब्द एक्सपंज किये जायं।

श्री दौलतराम सारण : हम इनका भाषण नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : ++ शब्द यूज किया गया है, वह असंसदीय हैं।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया गया है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक बात है, जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो मंत्री महोदय न बैठते हैं, न सुनते हैं।

++ अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री दौलतराम सारण : यह सदन का अपमान करते हैं।

श्री विजयसिंह : इस प्रकार कार्यवाही चलती है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, मैं खैर उस पर चर्चा नहीं करूंगा....

श्री विजयसिंह : काने को काणा मत कहो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, जो बहस में चर्चा की है, जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के अन्दर जो तजवीज पेश की है, और जो स्कीम बजट की है, उसमें मैंने तीन हिस्सों, तीन तरीकों में, तीन बड़े-बड़े मुद्दों में बजट पेश किया है। एक तो यह है, इस बजट के अन्दर योजना मद, दूसरी गैर योजना मद और तीसरी है फेमिन-यह तीन अलग अलग मेरे बजट में हिस्से हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने बजट पर चर्चा करते वक्त रोशनी डाली है और जो इसके बारे में चर्चा की है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यह है, मैंने इस बजट के अन्दर 65 लाख 90 हजार का विकास के लिए बजट रखा है, 65 लाख 90 हजार की योजना रखी है, और उसमें जो कुछ साधन उपलब्ध किये हैं, जो जुटाये गये हैं वह बताया है। उसके अन्दर एक करोड़ अड़तालीस लाख का मैंने गैप बताया था। दूसरे नान प्लान के अन्दर मैंने 22 करोड़ 73 लाख का गैप बताया। फेमिन के अन्दर मैंने निवेदन किया था, जो कुछ भी खर्च किया गया है, वह भारत सरकार से असिस्टेन्स के रूप में, लोन या ग्रान्ट के रूप में जो मिलेगा वह मिल कर बैलेन्स हो जायगा। अब माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी कि आप बैलेन्स करने की कोशिश करते हैं, कह देते है, वहां से हो जायगा, उधर से हो जायगा। मैंने कोई एप्रीहेंशन या विशेष तौर से हवा में बात नहीं कही थी। मैंने कहा था, 1 करोड़ 48 लाख का योजना मद में गेप है, उसको पूरा कर लेंगे। उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि अभी नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक दिसम्बर में हुई थी, उसके अन्दर काफी अर्से से यह प्रश्न चलता आ रहा है-कपड़ा, तम्बाकू, शुगर-इनके ऊपर जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, और राज्य सरकारों ने भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार दिया था, इस पर सेल्स टैक्स लगा सकते हैं इस पर चर्चा चली थी। इस पर निर्णय यह हुआ कि भारत सरकार खुद इन चीजों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अभी जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का 4.5 पर्सेन्ट मिलता है, उसको 10.8 पर्सेन्ट कर देगी, तो अभी 3 साल के अन्दर 4.5 पर्सेन्ट लेवल के आधार पर राजस्थान सरकार को पैसा मिलता है वह करीब दो करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन इन तीनों चीजों में हमारा हिस्सा है, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का, वह जब 10.8 पर्सेन्ट हो जायगा, तो तीन वर्ष के अन्दर हमको छः करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। इससे एक साल में दो करोड़ ज्यादा मिलने की सम्भावना है। मैंने बजट में कहा है कि एक

(श्री मथुरादास माथुर)

करोड़ कम से कम मिल जायेगा, तो एक करोड़ मिलने के बाद बाकी भारत सरकार जो बजट पेश करती है, उससे जो नये साधन जुटाने की कोशिश करती है, उसमें नया हिस्सा ज्यादा मिलता है, वह मिलने से 1 करोड 48 लाख का गैप पूरा होकर योजना मद में बैलेन्स हो जायगा। नॉन प्लान में मैंने निवेदन किया था, स्पेशल अकामोडेशन के बारे में भारत सरकार का निर्णय हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि हमने भारत सरकार से निवेदन किया हो कि स्पेशल अकामोडेशन दी जाय। लेकिन वीकर स्टेट्स की जो फाइनेंसियल पोजीशन है, उसके लिए भारत सरकार स्पेशल अकामोडेशन देने की धनराशि निर्धारित कर चुकी है, उसका हिस्सा मिलेगा। मैंने निवेदन किया था कि उससे नॉन प्लान का गैप पूरा हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के अन्दर जो नॉन प्लान मद में गैप है, प्लान के अन्दर गैप है, उसको पूरा करने के लिए मैंने जो सुझाव रखे हैं वे सुझाव वाजिब हैं, रियलिटी से परे नहीं हैं। इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि बजट में सिर्फ एप्रीहेंशन हैं या जैसा माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि भारत सरकार को इफ्स एन्ड बट्स के साथ निवेदन किया गया है, वह धनराशि मंजूर करे या नहीं-इसलिए यह बजट डेफिसिट हो जायगा। तो शुरु में ओवर हाल बजट की पोजीशन रखना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि जो बात कही है बजट में वह इसलिए कही है, कि वह बात निर्धारित हो चुकी है, उस पर निर्णय लिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाया था, और जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी वह है कि राज्य सरकार की जो देनदारी है, राज्य सरकार की जो लाइबिलिटी है, और राज्य सरकार के जो असेट्स हैं, उसको देखते हुए, माननीय सदस्यों ने कहा कि हल्के हल्के राजस्थान सरकार दिवालिया होती जा रही है। इस प्रकार की बात कई माननीय सदस्यों ने कही। मुख्यमंत्री जी ने कल इस बात पर अपनी तकरीर पर रोशनी डाली थी, और काफी प्रकाश डाल दिया था, मैं कुछ बातें उनके अलावा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी और देनदारी है वह 647.84 करोड़ रुपये की है, यह हमारी देनदारी है, इतना कर्ज, डेट हमारे ऊपर है, इसका उत्तर मुझे दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं दे चुका हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हमारे पास असेट्स थे, जो कुछ भी असेटस हम बना चुके हैं, असेट्स बनाने के बारे में माननीय सदस्यों ने कल पूछा था, किसी प्रश्न के उत्तर में, उसके अलावा मैं आज कह देता हूं कि जो खर्चा प्राजेक्ट में होता है, उसे हम असेट्स मानते हैं। अब यह सुझाव दिया कि असेट्स का इवेल्यूएशन होना चाहिए, और अलग तरीका और अलग नाम से बनाने चाहिए। अभी तक यह परम्परा रही है, भारत सरकार में भी यह परम्परा है कि जो रुपया प्राजेक्ट में खर्च होता है उसको असेट्स मान लेते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, डेप्रीसियेशन हो सकता है, लेकिन यह मानकर चलें कि जो इस वक्त असेट्स हैं वे 588.65 करोड़ रुपये के हैं और फेमिन का जो कुछ भी कर्ज हमने लिया है वह इसमें

Page No 76

(श्री मथुरादास माथुर)

शामिल नहीं हैं। गोया हमारे यहां अकाल का जिस हैड पर खर्चा होता है उसके अन्दर असैट्स क्रीएट हों, ऐसी बात बजट में नहीं देखी जाती, न हिसाब रखा जाता है लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम है कि गत साल भी मैं बजट भाषण में कह चुका हूं और कई बार प्रश्नों के उत्तर में अकाल सहायता मंत्री कह चुके हैं कि यह 100 और कुछ करोड़ रुपया अकाल के अन्दर कर्जा मिला। इसके अन्दर कुछ ग्रांट होगा, कुछ लोन होगा और उसके अन्दर यह कह देना कि इस रुपए के कोई हमारे यहां असैट्स क्रीएट नहीं होंगे, यह गलत होगा। अकाल के दौरान 5571 किलो मीटर सड़कें बनाई, आखिर कुछ न कुछ असैट्स बनाए हैं, टैंक्स कन्स्ट्रक्ट हुए, बांध बनाए गए, 1334 छोटे मोटे सिंचाई के बन्ध बने। इसके साथ में मेजर और माइनर पुल बने करीब 108। 2.32 करोड़ अकाल के अन्दर फिजीकल अचीवमेंट्स हुए थे। अब इनको अलग कराकर जो खर्चा हुआ है उसे पूरे असैट्स माना जाय या नहीं लेकिन यह जरूरी है कि सदन को मानना होगा कि 105 करोड़ जो खर्चा किया गया उसके असैट्स जरूर बने हैं हालांकि उन असैट्स का वैल्यूएशन होकर नहीं तय हो पाया है। इसलिए यह कहना कि जो देन-दारी है वह ज्यादा है और असैट्स कम हैं, वह बात गलत होगी और इसलिए यह जोड़ा जाता है तो बाद में असैट्स कहीं ज्यादा हैं...

श्री भैरोंसिंह : आपने जो असैट्स का निर्माण किया है, क्या उनके रिटर्न्स से हम देनदारी चुका सकते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो भी यह प्रश्न किया था कि यह जो आपका कर्जा है और उसको आपने प्राडक्टिव या अनप्राडक्टिव परपज के लिए काम में लिया? कल भी पूछा था और अब भी आपका यही प्रश्न है। मैं निवेदन करूं कि कौनसा इन्वेस्टमेंट प्राडक्टिव हैं और कौनसा अनप्राडक्टिव है? इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। चौथे वित्त आयोग ने इस पर काफी चर्चा की थी पर नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि एक कमेटी बनाई जाए और वह निर्णय करे कि जो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वे प्राडक्टिव हैं या नहीं। आजकल जो चिन्तन करने का तरीका हैं, जो हवा है जो लोगों के विचार हैं उसके हिसाब से कई चीजों को जिसको हम नान प्राडक्टिव कहते हैं, उनको लोग प्राडक्टिव कहने लगे हैं। इसलिए इस बहस में पड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जागीर बांड्स के अन्दर 39.42 करोड़ लगा यह इन्वेस्टमेंट है या कैपीटल हैड में है, या प्राडक्टिव है या अनप्राड-क्टिव? रुपया इन्वेस्ट करने से जमीन मिल गई, उसके कारण लगान मिल गई, लोगों ने खेती–बाड़ी की तो उत्पादन हुआ तो मेरे कहने का मतलब है कि प्राडक्टिव और अनप्राडक्टिव, हरेक प्रोजेक्ट को लोग अपनी निगाह से देखते हैं। इसके अन्दर अलग अलग लोगों के अलग 2 विचार हो सकते हैं। लेकिन इसके अन्दर जो कुछ भी 581:65 करोड़ बड़े बड़े मुद्दों पर खर्च हुए हैं जागीर बांड्स के अन्दर 39.82 करोड़, वाटर सप्लाई ड्रेनेज स्कीम्स में 17.07 करोड़, अब इनको प्रोडक्टिव मानना चाहिए क्योंकि असैट्स से रिटर्न मिलता है। लोगों को पानी मिलता है सैस और वाटर रेट मिलता है। अन्दर

(श्री मथुरादास माथुर)

ग्राऊंड वाटर बोर्ड और एग्रीकल्चर वर्कशाप में 6.85 करोड़ खर्चा हुआ यह इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, जोइंट स्टाक कम्पनीज और सहकारी समितियों में 17.03 करोड़ खर्चा हुआ, यह प्रोडक्टिव है लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा डिवीडेंट मिलता है। इर्रिगेशन एण्ड बर्थ कन्ट्रोल प्रोजेक्ट्स हैं। सिंचाई कार्य तो प्राडक्टिव है, उनमें इन्वेस्टमेंट है 135:99 करोड़ का। इस इन्वेस्टमेंट से हमारे असेट्स रिटर्न देते हैं। यह ठीक है कि सिंचाई का जितना रिटर्न मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उसके कई कारण हैं। रिटर्न अगर कैश में गिना जाए तब तो कोई सवाल पैदा होता है। माननीय सदस्यों ने सदन में समय समय पर इस पर चर्चा की है लेकिन उसके दूसरे सोशल एडवान्टेज भी मिलते हैं। जहां इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां अकाल की हालत नहीं रहती अगर डेजर्ट एरिया हो तो, उत्पादन बढ़ जाता है। गंगानगर की मिसाल है कितना उत्पादन बढ़ गया, प्रास्पेरिटी बढ़ गई। आखिर सोशल वेल्फेयर का मक्सद यह है कि इसमें लोगों की प्रास्पेरिटी बढ़े चाहे सरकार के पास से रुपया खर्च किया जाए या खुद करें। इसलिए रिटर्न्स के जो नार्म्स हैं उनको देखें। आप प्यूअरली कैश रिटर्न्स को देखकर अनुमान लगाते हैं लेकिन उसके बाद दूसरे सोशल रिटर्न्स कितने होते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा।

पावर स्कीम्स के लिए विद्युत् मंडल को लोन देते हैं, वह भी इन्वेस्टमेंट है। अब तक 148.11 करोड़ का दिया है।

श्री रामकिशन : आप लोन्स को असेट्स में शामिल कर रहे हैं ? लोन तो अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। लेकिन आप असेट्स और लोन्स को एक ही तरह गिनते जा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने बताया कि 647 करोड़ का जो कर्जा लिया उसका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कर्जा लिया था वह खर्च कहां हुआ ? वह इन्वेस्टमेंट्स में हुआ। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि प्राडक्टिव या अनप्राडक्टिव। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ इन चीजों में हुआ। इसके लिए अलग अलग सदस्यों के अलग अलग विचार हो सकते हैं मगर जो लोग डाइरेक्ट प्राडक्टिव को देखते हैं, मिसाल के तौर पर सिंचाई, जोइंट स्टाक कम्पनीज, पावर स्कीम के अन्दर 148 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका रिटर्न भी है। रोड्स और बिल्डिंग्स में हुआ। बहुत से लोग इसको नान-प्राडक्टिव मानते हैं। जितनी सड़कें बनती हैं बहुत से लोग प्राडक्टिव मानते हैं उनसे टैक्सेज मिलते हैं, ट्रांस्पोर्ट होता है, कम्यूनिकेशन्स होती हैं लोगों की प्रास्पेरिटी होती है। इसलिए आज के दिन यह बहुत ही मुश्किल होगा कहना कि कौनसा प्राडक्टिव है और कौनसा अन्प्राडक्टिव। इस समय जितनी देनदारी है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उससे असेट्स क्रीएट हुए हैं, उनको देखते हुए आज के दिन चाहे अकाल का लोन हो जिसको हम नान-प्राडक्टिव मानते हैं, जिसको असेट्स में नहीं गिनते, असेट्स होते जो हैं उनमें लोन भी दिखाया जाय तो करीब 581 करोड के असेट्स होंगे और 647 करोड़ का कुल लोन है। आज की स्थिति में जो राजस्थान के

(श्री मथुरादास माथुर)
असेट्स बन पाए हैं उनके आंकड़े मैंने सदन के सामने रखे।

श्री रामकिशन : असेट्स गलत हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो ऐसे हुआ जैसे कोयला लकड़ी से बनता है, लकड़ी जंगल में होती है, जंगल हिमालय में होते हैं तो कोयला हिमालय से मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : यहां ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार पर जो कर्जा है, वह मैंने बताया कि जो रुपया कर्जा लिया है वह कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है उसके अन्दर फैमिन लोन है। कुछ एडहाक लोन्स हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो समझ गए कि किस तरह से रिटर्न्स मिल गए। हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो आपने ऋण कुल बताया है वह ऐसा है जो व्याज चुकाने पर या कर्जा चुकाने पर व्यय किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऋण चुकाने के लिए एडहाक लोन लिया गया है। वह इसलिए लेना पड़ा है कि वेज एण्ड मीन्स के अन्दर हमारे यहां जो डवलपमेंट है जो बजट एक्सेज होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, उसको चुकाने के लिए एडहाक लोन लेते हैं।

इसका एडहाक लोन अपने आप में एक हेट्रोजिनस मीन्स है। उसको एनेलेसिस करेंगे तो अलग अलग सीगों में उसकी युटिलिटी है।

जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किये गये हैं और असेट्स हुए हैं उसमें एडोप्ट लोन ऐसा हो सकता है जिस पर कह सकते हैं कि रिटर्न नहीं है। बाकी सब में कुछ न कुछ रिटर्न है सिवाय कुछ हिस्सों के।

श्री भैरोंसिंह : आपके टैक्स कितने हैं उसकी चिन्ता नहीं। किन्तु असेट्स का जो निर्माण किया है, उसके जो रिटनर्स मिल रहे हैं, जो आपके ऊपर लायेबिलिटी है उनमें काफी बड़ा गेप रखते चले आ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इन्ट्रेस्ट पर आ रहा हूं। ये कुछ बातें माननीय सदस्यों ने उठाई चर्चा के दौरान में कि असेट्स क्या क्रीयेट किए उसके लिए मैं निवेदन कर रहा था कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 35 करोड़ का राज्य सरकार को व्याज देना पड़ता है। 35 करोड़ व्याज देना पड़ता है यह बात ठीक है लेकिन उन्होंने यह कहा कि 35 करोड़ के अगेन्स्ट में मैजर हैड इन्ट्रेस्ट रिसीट का जो है 15 करोड़ का आंकडा पकड़ कर कहा गया कि राज्य सरकार को इतना व्याज मिलता है और 35 करोड़ देना पड़ता है व्याज का। चिन्ता जनक बात कही इसे। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो हैड है उसको डिटेल में देखें तो इसमें सिर्फ इन्ट्रेस्ट रिसीट है और डाइरेक्टली इन्ट्रेस्ट रिसीट मिलती है उसका है लेकिन दूसरे हैड हैं, बहुतसों में डिविडेन्ड मिलता है।

श्री रामकिशन : इन्ट्रेस्ट जितना है, 14 लाख है वह सब जोड़ लिया। मुझे जबानी याद है।

Page No 79

श्री मथुरादास माथुर : 15 करोड़ में वह नहीं होगा। और दूसरे फोर्मल रिटर्न्स हैं जो कि मिलते हैं वे उस हैड के नीचे आवेंगे। यह इन्ट्रेस्ट वाला हैड यह 15 करोड़ के हैड से कम्पेरेबल नहीं है। इन्ट्रेस्ट रिसीट का जो हैड है उससे इसको कम्पेयर नहीं करना चाहिये। जो हम इन्ट्रेस्ट देते हैं। जो कर्जा लेते हैं और इन्ट्रेस्ट पर देते हैं, सबका इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। सोशियल सर्विसेज हैं। योजना में कर्जा मिलता है वह भी शामिल है। कर्जा लेना पड़ता है। हाईस्कूल खोलने हैं, हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने हैं, कालेज खोलने हैं। 35 करोड़ के मुकाबले 35 करोड़ वसूल करके देते हों ये तो वह बात हो सकती है। सोशियल सर्विसेज पर इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है।

श्री रामकिशन : आप एक वित्त मंत्री की हैसियत से जवाब दीजिये। सोशियल सर्विसेज का रेवेन्यू हैड से होता है। लोन्स लिये प्लान्स के लिये। उनसे असेट्स बिल्ड होने चाहिये। 35 करोड़ ब्याज देते हैं और 15 करोड़ लेते हैं सोशियल सर्विसेज में रेवेन्यू हैड भी आ जाता है। दोनों को मिलायें तो चित्र स्पष्ट नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : फैमीन के लिये लोन लेते हैं, इन्ट्रेस्ट देते हैं वह वापिस थोड़े ही मिलता है। 25 करोड़ का इन्ट्रेस्ट रिसीट का फीगर है बाकी कई सीगों में, कई जगह इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। डिविडेन्ड के फोर्म के रूप में मिलता है वह अलग-अलग जगह है।

1.40 म. प.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सदन में फीगर रखे वह कम्पेरेबल नहीं है इन्ट्रेस्ट रिसीट के कि इन्ट्रेस्ट जितना देते हैं उतना वापिस नहीं मिलता है। इसके सोशियल, पोलिटिकल और इकोनोमिक कारण हैं। सदन आशा रखता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाय वहां तक तो ठीक है लेकिन इन्ट्रेस्ट के फार्म में उतना कम्पेरेबल होना चाहिये उन बातों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उसका रिटर्न मिला है उसका अलग अलग सीगों में रिफलेक्शन आता है। इसमें इन्ट्रेस्ट रिसीट के ही फीगर हैं इसलिये आपको इससे उनको कम्पेयर करना ठीक नहीं है। दोनों कम्पेरेबल नहीं हैं।

सदन में किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा था इस सिलसिले में 293वें आर्टिकल का जिक्र करते हुए कि कर्ज पर कर्जा लेते जा रहे हो और उस पर कोई रुकावट नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 293 वां जो प्रोविजन है सदन लेजिस्लेट कर सकता है। हिन्दुस्तान में किसी सदन ने यह नहीं किया है, बोम्बे ने किया था वे भी बैक आउट कर गये। इसलिये विकास के लिये जितना जरूरी है वह कर्जा लेना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने एक डिस्क्रिपेन्सी के सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर के भाषण में और बजट एस्टीमेट्स के विषय में एक प्रिविलेज मोशन से भी चर्चा करने की कोशिश की। मैं जवाब देना

(श्री मथुरादास माथुर)
चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी खास तौर से राजस्थान कैनाल में जमीन की नीलामी नहीं होगी और अलाटमेंट से दी जावेगी बजट एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम के पेज 35 पर यह लिखा गया है

As regards next year a decision to sell land is expected to be restor ed and more realisation of betterment levy......

यह अंग्रेजी में हैं और इसका हिन्दी में भी तर्जुमा है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मुख्य मन्त्रीजी ने तो यह कहा कि आक्शन किये जाने के माने क्या हैं और आप अपने मेमोरेन्डम में इस तरह की बात करते हैं, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को लिख कर उत्तर दे दिया है आक्शन का लब्ज है उसका माने यह है वैसे ज्यादा इन्स्टालमेन्ट्स से देने की बात है। हमारी यह मन्शा है । यह लिखा है :

To sell the land. Sale can be by auction and sale can be by selling...

श्री भैरोंसिंह : गलती हो गयी है तो उसे स्वीकार कर लीजिये । आपने साफ लिखा है कि

Decision to sell land is expected to be restored. What is to be restored?

श्री मथुरादास माथुर : Sale of land.

श्री भैरोंसिंह : उसके पहले का पेराग्राफ देखिये कम वसूली इसलिए हुई कि भूमि का नीलाम बन्द हो गया उसके बाद कहा कि आर्डर रेस्टोर कर दिया जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आक्शन को रेस्टोर नहीं किया है। हमारी भी यही मन्शा है।

श्री भैरोंसिंह : लिखा हुआ अच्छा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : हो सकता है क्या ? है।

श्री मथुरादास माथुर : यह साफ लिखा जाना चाहिये कि बाइ अलाटमेंट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :
This is a better way.

श्री मथुरादास माथुर : May be possible.

उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान यह भी कह दिया कि हमारा नोन प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ता जा रहा है और प्लान एक्सपेन्डीचर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य की मन्शा यह हो कि नोन प्लान एक्स्पेन्डीचर बढ रहा है उसका मतलब यह खर्चा इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है और योजना और डवलपमेंट में कम किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में वह गलती पर हैं। हर प्लान में नोन प्लान एक्स्पेन्डीचर बढ़ता जाता है।

इसलिए जुड़ता जा रहा है। एक योजना खतम हो जाती है उस वर्ष का प्लान एक्सपेण्डीचर कमिटेड होने से नान प्लान में चला जाता है।

श्री भैरोंसिंह : एक्सपेण्डीचर बढ जाता है, पर परसेन्टेज तो नहीं बढ़ना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्लान रिसोर्सेज पर डिपेन्ड करता है। इसलिये हमारे यहां पर नान प्लान एक्सपेण्डीचर बढ़ा है। इसके कारण एक तो कमिटेड बढ़ा। 68-69 में फिर एक साल प्लान शुरू हुई थी तो 3 साल का तीन प्लान का कमिटेड होने से नान प्लान के सीगे में चला गया। फिर पे स्केल, डीयरनेस आदि का रिविजन हुआ फेमीन रिलीफ में भी खर्च हुआ। इसलिये नान प्लान एक्सपेण्डीचर ज्यादा नजर आया। यह चूंकि साफ जाहिर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत समझी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है सदन में जब बजट पर बहस होती है तो यह स्वाभाविक है कि स्टेट की प्रोसपेरिटी को पर केपिटा इन्कम के आधार पर नापा जाय। इसी को आधार मानकर सदन में प्रश्नों के माध्यम से या चर्चा के द्वारा लोगों ने इस पर अपने विचार रखे। मेरा ख्याल हमने सदन में कहा था कि पर केपिटा इन्कम जिस वक्त एग्रीकल्चरल इन्कम बढ़ती है तो बढ़ जाती है और जब मानसून फेल हो जाती है तो घट भी जाती है। इसमें 48 परसेन्ट के आसपास एग्रीकल्चर इन्कम फेक्टर है। तो जब वह कम हो जाती है तो यह स्वाभाविक है कि पर केपिटा इन्कम भी कम हो जाती है। पर इसके माने यह नहीं कि जो कुछ भी हम एग्रीकल्चरल पोटेन्शियेलिटी क्रीएट करते हैं मिसाल के तौर पर नये खाद से बीज का इर्रिगेशन के साधन बढ़ाकर, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका अच्छा रिजल्ट रहा है। इन्फ्रा स्ट्रक्चर जो पहले नहीं था वह बना है, पहले से डबल हो गया है। अब और भी ज्यादा हो, यह सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। पर हमारे सोर्सेज भी लिमिटेड हैं। उन्हीं को देखकर हम बढ़ सकते हैं। इर्रिगेशन की पोटेन्शियेलिटी बढ़ा रहे हैं, बांध भी बना रहे हैं तो इन सबका फल भी मिल रहा है। फिर भी कोशिश बराबर रहती है कि इसे लगातार बढ़ाया जाता रहे. काफी परसेन्टेज हम खर्च करते हैं इर्रिगेशन को डवलप करने में और दूसरे रिसोर्सेज को डवलप करने में ताकि हमारी पर केपिटा इन्कम बढ़ सके।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी समाचार पत्र का हवाला देते हुए राजस्थान की प्रोस्पेरिटी का जिक्र किया और पर कैपिटा इन्कम 540 का एडवर्टिजमेंट पढ़ लिया और इससे उनको परेशानी हुई। 540 तो नहीं है। वह करन्ट फेस पर 304 हो जावेगा। आप इसे लास्ट ईयर के फिगर से कम्पेयर करें।

श्री रामकिशन : 304 ? 274 दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : 70-71 में ?

श्री रामकिशन : आप देखिये। अपने स्टेटिस्टिकल विभाग से मालूम करिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपने देख रखा है 70 म 264 है। 69-70 में ; मैं पढ़ रहा हूँ 70-71। उससे 304 है। लास्ट ईयर 274 ही था।

श्री रामकिशन : 256 था।

श्री मथुरादास माथुर : आप फेमीन ईयर न लें। 1967-68 में। वह अच्छा साल था और आज 304 है। आज भी

Page No 82

(श्री मथुरादास माथुर)
अच्छा ईयर है। इस बीच में हमने एग्रीकल्चर में काफी रुपया इन्वेस्ट किया है सोइल कन्जर्वेशन के द्वारा, अच्छा बीज मैन्योर के जरिये इरिगेशन पोटेन्शियेलिटी को बढ़ाने के जरिये तो इन सबका रिटर्न तो आना चाहिये।

तो यह जो कहा जा रहा है कि राजस्थान में हम गरीब होते जा रहे हैं मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। जो आंकड़े हैं मैंने उनको कम्पेअर किया है। पोटेन्शियेलिटी अगर हमने क्रीएट न की होती तो फेमीन के ईयर में और भी ज्यादा यह इनकम के आंकड़े गिर जाते।

तो इसलिये माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैंने कहा है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम बढ़ती जा रही है और राजस्थान के अन्दर, मैं यह तो नहीं कहता कि ग्रीन रिवोल्यूशन पूरी तरह घर कर गया है, पर यह जरूर कह सकता हूं कि हम बराबर तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।

श्री रामकिशन : एक जानकारी चाहता हूं। वैसे जो आंकड़े आपने निकाले हैं पर कैपिटा इन्कम के उनके लिये अपने प्लानिंग विभाग से पूछिये ये कैसे निकाले हैं किस आधार पर निकाले हैं। ये गलत हैं। क्योंकि उनको न तो यह पता है कि सेन्ट्रल प्रोजेक्ट में या रेलवे में कितना रुपया लगा है यहां। तो आप अपने विभाग से जानकारी करिये कि किस प्रकार से उन्होंने ये आंकड़े निकाले हैं। राजस्थान के आपके अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा सेन्टर के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें कितना रुपया लगा है।

श्री मथुरादास माथुर : उनको सब मालूम है। स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट को सब जानकारी है।

श्री रामकिशन : आपने देखा है। मैं कहता हूं उनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने जानकारी की है।

श्री मथुरादास माथुर : यह आपका बड़प्पन है। आपको जानकारी है और हमारे को नहीं है, यह कैसे हो सकता है?

श्री रामकिशन : वे यह बताने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ये जो फिगर मैं कह रहा हूं स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट के दिये हुए हैं। पीछे के भी उनके दिये हुए हैं। यह कहा गया कि दूसरे कहीं के नहीं लिये गये हैं सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के नहीं लिये गये हैं तो यह धारणा आप दूर कर दें।

मैंने पहले भी निवेदन किया है कि फेमीन कन्डीशन में पर कैपिटा इनकम गिर जाती है। पर अच्छे ईयर में जो रिसर्च के द्वारा अच्छे बीजों के खाद के रूप में ट्रेक्टर्स आदि के रूप में जो एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्वेस्टमेन्ट हुआ है इरिगेशन के रूप में हुआ है तो इससे पर कैपिटा इन्कम तो बढ़ेगी। इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हमारी इकोनोमी में 48 परसेन्ट हिस्सा है। 48 परसेन्ट का फेक्टर अकेला एग्रीकल्चर पोटेन्शियेलिटी है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस बात की भी चिन्ता की है कि यहां के भिन्न भिन्न हिस्सों की अलग से क्या पर कैपिटा इन्कम है या यहां के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने

(श्री भैरोंसिंह)
वाले निवासियों की अलग अलग क्या पर कैपिटा इन्कम है, उनका क्या लेवल है? पर कैपिटा तो आपने सारे स्टेट की मिला कर बता दी पर राजस्थान में बहुत से सैक्शन भी हैं जिनकी पर कैपिटा इन्कम बहुत ही कम है। उनका क्लासिफिकेशन करने के लिये प्रत्येक वर्ग में कितनी संख्या के लोग किस प्रकार की आमदनी रख कर चलते हैं। इसका भी हिसाब लगाया है आपने?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैंने तो यह एवरेज लिया है इसमें सभी तरह के लोग आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : डिपार्टमेन्ट ने पहले कोशिश की थी। पर अभी हमारे पास में वे आंकड़े अलग अलग स्टेट आफ सोसायटीज के लेवर के या किसानों के या दूसरी क्लास की इन्कम के अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब ये उपलब्ध नहीं हैं तो फिर पर कैपिटा इन्कम निकालने में कौन कौन से आइटम आपने इन्क्लूड किये हैं और फिर किस तरह से डिवाइड किया है राजस्थान की पापूलेशन में। राजस्थान के एनीमल्स को गिना है?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो है

श्री भैरोंसिंह : नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप बता दें।

श्री रामकिशन : प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट को नहीं बतावेंगे तब तक कैसे निकलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : पर कैपिटा इन्कम निकालने की मैथेडोलोजी में आप जाना चाहें तो इसके लिये भी मैं तैयार हूं। राजस्थान में जो मैथेडोलोजी एडोप्ट की गई है वह उसकी अपनी इवाल्व की हुई नहीं है। जो सारे मुल्क में चल रही है वही है।

अब इसके अन्दर राजस्थान के एनीमल हस्बेण्डरी में क्या होता है। कितनी उससे उसकी आमदनी होती है इसका भी फार्मूला निकाला जाता है।

श्री भैरोंसिंह : वह है असेसमेन्ट आपके पास इनका?

श्री मथुरादास माथुर : वह है। इसलिये निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य जो कहते हैं वह है एनीमल हस्बेण्डरी में। सिर्फ कैलकुलेशन और फार्मूला से ही उनका अभिप्राय है तो उसकी करेक्ट-नेस है। बेसिक में तो फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने आंकड़े बता दिये। उनका क्या भरोसा है? अनीमल हस्बेण्डरी से इतनी इन्कम हो रही है। पर आपको पता नहीं है न आपके विभाग को यह पता है कि पिछले दो सालों में लाखों पशु अकाल में मारे गये। आपके विभाग ने 66 की जन-संख्या के आंकड़ों को बेस बनाया है। पर इसके बाद तो अकाल में लाखों की तादाद में पशु मर गये। पर फिर भी आंकड़ों में आपकी आमदनी बढ़ रही है। यह है आपका स्टेटिस्टिकल विभाग तो।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त मेरे पास में अलग

(श्री मथुरादास माथुर)
अलग इण्डस्ट्रियल उद्योग धन्धों से कितनी आमदनी है, एनीमल हस्बेण्डरी से कितनी है, एग्रीकल्चर से कितनी है हालां कि इन सबका कन्ट्रीब्यूशन छोटा-छोटा सबका इसमें है जो मैथोडोलोजी में होते हैं। पर इन सबके अलग-अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैथेडोलोजी आपकी विभाग की एक ही है जो एडोप्ट कर रखी है। 70-71 में वही थी, पिछले सालों में भी वही थी, आगे भी वही दिखती है कि पिछले साल की इनकम में 3 पर्सेन्ट की वृद्धि कर दी तो बस अगले साल की इनकम हो गई। 66-67 में 3 पर्सेन्ट बढ़ा दिया तो यह 67-68 की इन्कम हो गई, 68-69 की में 3 पर्सेन्ट बढ़ा दिया तो 69-70 की हो गई। तो 63-64 से लेकर आज दिन तक आपकी वही मैथेडोलोजी है। जो बजट आपने पेश किया है उसका यही मैथेडोलोजी है। इसके अलावा और कोई नहीं है। वही सारा पेटर्न 1963 से इज स्टिल कन्टीन्यूइंग अपटिल नाऊ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे आगे बढ़ा जावे। अब पृथ्वी का बीज कहां पर है। यहां पर है। यहां पर नहीं मानते हो तो चलो उसको नाप कर बताओ यह तो ऐसी बात हुई।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर कैपिटा इनकम के आंकडों के बारे में जो कहा वह सही नहीं है। जो मैथेडोलोजी सारे देश में एडोप्ट की जाती है वही यहां की जाती है। इसलिये उस पर अब ज्यादा जोर नहीं देता। इस मेथोडोलोजी की आप इसमें भी कीजिये। मेथोडोलोजी भी अलग अलग तरह से प्रेस्क्राइब्ड कर रखी है। डा. के. एल. राव ने एक किताब लिखी है। उसमें इसके कई फेक्टर दिये हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किये गये हैं। जो कुछ भी कम्पेयर किया है वह एक साल से कर रहे हैं और पिछले एक साल से वही मेथोडोलोजी से काम हो रहा है। इस मोथोडोलोजी को एडाप्ट करके ही कोई फीगर निकालते हैं और उस प्रोसीजर से आंकड़े आये हैं वही आपके सामने, इस सदन के अन्दर रख रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह आंकड़ों के अन्दर ही प्रगति दिख रही है। धरती पर कुछ नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : धरती पर प्रगति ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामकिशन : राजस्थान सरकार को इस की पूरी जानकारी नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कितना इनवेस्टमेन्ट है, प्राइवेट कम्पनीज का कितना इनवेस्टमेन्ट राजस्थान के अन्दर हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : यह मैं मानता हूं कि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कितना इनवेस्टमेन्ट है राजस्थान के अन्दर वह हमें नहीं मालूम हो। प्राइवेट कम्पनीज की जो रिपोर्ट आती हैं, उसके अन्दर उनकी केपीटल इनवेस्टमेन्ट होती है। और उसी के आधार पर यह

Page No 85

(श्री मथुरादास माथुर)
बनाया जाता है, यह बेस होता है। दूसरे जो छोटे मोटे धन्धे हैं, उनकी पूरी सूचना सरकार के पास में नहीं है परन्तु उनका टोटल देख कर केलकुलेट कर लेते हैं। इसी मैथोडोलोजी से हम एक साल से कर रहे हैं . . .

श्री भैरोंसिंह : इनकम के अन्दर हेड इन्वेस्टमेन्ट को भी इन्क्लूड कर लिया है, जैसे धौलपुर है। इसको स्ट्रीक्टली देखें तो करीब 20 करोड़ का इनवेस्टमेन्ट ऐसा है जो कि बिलकुल ही डेड है जिससे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है और उसको भी आपने टोटल इनकम में शामिल कर लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ भी इनवेस्टमेन्ट प्रो मर्जर का है उसका रिटर्न नहीं है, वह डेड है, उसका रिटर्न नहीं मिलता है, वह कम मिलता है। परन्तु उसको हम पूरा नहीं गिनते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात की भी यहां पर चर्चा की है कि राजस्थान में पर केपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर कम होता जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि फर्स्ट प्लान के अन्दर पर केपिटा इनवेस्टमेन्ट एक्सपेन्डीचर 7/- रुपया था। सेकेन्ड प्लान के अन्दर यह 12 रुपया हो गया और थर्ड प्लान के अन्दर यह 21/- रुपया हो गया और चौथे प्लान के अन्दर आउटले के हिसाब से यह 25 रुपया 316 के प्लान पर माना गया है। इसलिये यह कहना कि . . . .

श्री रामकिशन : यह सन् 61 के सेन्सस के आधार पर कह रहे हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है। इस तरह आप देखेंगे कि प्लान एक्सपेन्डीचर पर केपिटा हर प्लान के अन्दर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में ट्रेंड इन्क्रीज, पापुलेशन की बात है हिसाब से भी इसका केलकुलेशन निकाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह जो गलत धारणा थी माननीय सदस्यों की कि हमारा प्लान एक्सपेन्डीचर कम होता जा रहा है, यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन में यह भी जिक्र किया और जोर शोर से कि प्लान प्रायोरिटी में हम जो खर्च कर रहे हैं वह ठीक नहीं हैं। रोग प्लानिंग हुआ है। मैं बहुत लम्बी चर्चा तो इस पर नहीं करना चाहता, परन्तु यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्लान प्रायोरिटी राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर की आती है और एग्रीकल्चर के लिये राजस्थान से इर्रीगेशन और पावर की जरूरत है। राजस्थान को प्लान प्रोयोरिटिज का यहां मैं जिक्र करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि फोर्थ प्लान के अन्दर इर्रीगेशन और पावर के अन्दर हमारे यहां पर टोटल प्लान का 62 खर्च हुआ है। हमारे यहां के पूरे प्लान का इसके अन्दर 62 खर्च हुआ है इर्रीगेशन और पावर में। सोकल सर्विसेज में 21.3 यह सोशल सर्विसेज पर खर्च हुआ है या वो मुद्दे में खास तौर पर यहां रख रहा हूं। इसके अलावा जो एलाइड सब्जेक्ट है उन पर उपाध्यक्ष महोदय कुल 9.2 प्रतिशत खर्च किया है। इससे ज्यादा प्लान प्रायो-

(श्री मथुरादास माथुर)

रिटिज और क्या हो सकती है ? दूसरी स्टेट के प्लान से इसका मुकाबला करेंगे तो हिन्दुस्तान के सभी स्टेटस् के अन्दर इर्रीगेशन और पावर का एवरेज एक्सपेन्डीचर 45 प्रतिशत होता है और उसके मुकाबले में हमारे यहां का एक्सपेन्डीचर 62 प्रतिशत है। इसी तरह से सोशल सर्विसेज को ले लीजिये । उसमें हमारे यहा पर 21.2 प्रतिशत हुआ है . .

श्री रामचन्द्र आर्य : आप आंकड़े बनाने में माहिर हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी यहां पर जरूरत है। हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश था और इसलिये इस पर हमको खर्च करना पड़ रहा है । दूसरी स्टेटस् में यह एक्सपेन्डीचर कम है। हम इस बात पर भी जोर देते है कि वेलफेयर स्टेट के अन्दर सोशल सर्विसेज भी होनी चाहिये और बहुत सों का यह कहना हैं कि प्रोडक्शन पर ही खर्च किया जाना चाहिये। मगर डेमोक्रेटिक प्लानिंग के अन्दर सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिये आज के दिन यह कहें कि हमारा प्लानिंग गलत था, तो यह गलत है । हमारा प्लानिंग अच्छा है। यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारा प्लानिंग रोग है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय यह भी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्टस् के अन्दर एक्सपेन्डीचर में डिसपेरिटी है। इस डिसपेरिटी के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सोशल सर्विसेज का सवाल है कई डिस्ट्रिक्टस के अन्दर करीब जितनी जरूरत होती है पापुलेशन को देखते हुए उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। कुछ जगह ज्यादा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर गंगानगर को ले लीजिये, राजस्थान कैनाल का वहां पर काम किया जा रहा है। यह दूसरी जगह नहीं किया जा सकता . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिये हो रहा है: नहीं तो यह भी उदयपुर चली जाती ।

श्री मथुरादास माथुर : राक फास्फेट और जिंक स्मेल्टर उदयपुर में ही पाया जाता है। इससे सम्बद्ध कारखाने वहां पर ही लगाये जायेंगे। इसलिये खर्च के इन बड़े बड़े मुद्दों को देखें और जो छोटे मोटे 5/7 लाख के हैं उनको छोड़ दीजिये। माननीय सदस्य इन बड़े बड़े मुद्दों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान के 26 जिलों के अन्दर कोई डिसपेरिटी नही की गई है। जैसलमेर का परसेन्टेज आप निकालें तो वह ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर आबादी कम है और पर केपिटा यह ज्यादा हो जायेगा—वहां राजस्थान कैनाल भी आयेगी । इसलिये इन आंकड़ों को देखते हुए यह बात कहना सरासर गलत है कि एक्स डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा खर्च कर दिया गया है और दूसरे में कम किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन के माननीय सदस्यों के अन्दर इस तरह की जो धारणा है वह निकाल दें। ये आंकड़े इस बात के सबूत है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्दर जो चीज वहां पर हो सकती हैं, उसको हमने वहां पर करने का प्रयत्न किया है और सोशिल सर्विसेज को भी सभी जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो हम आये दिन देख रहे है।

श्री मथुरादास माथुर : यह आप काला चश्मा लगा कर देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया है और यहां पर हमारी टैक्स रैवेन्यू और नान टैक्स रैवेन्यू का जिक्र किया गया है। इस के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैंने जो नान टैक्स रेवेन्यू बजट में दिखाई है उसका जिक्र मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि जो सेन्ट्रल असिस्टेंस होती है वह उसमें जाती है। मगर राज्य सरकार की यह कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा नान टैक्स रेवेन्यु को मोबीलाइज करें और इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नान टैक्स रैवेन्यु को इकट्ठा करने के लिये जितने भी हमारे यहां पर इर्रीगेशन की मल्टी परपज स्कीम्स है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने इर्रीगेशन के छोटे मोटे काम हो सकते हैं उसको करके नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब वह कितनी मिल पाती है उसके लिए तो सदन के माननीय सदस्यों को भी सोचना होगा। स्टेट एन्टरप्राइज के लिए हमारे पास सोर्सेज नहीं है इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इन्डस्ट्री स्टेट एन्टरप्राइज वगैरह में और इन्स्टीट्यूशन्स में पब्लिक सेक्टर में उसमें हम बन्धे हुए हैं। हम लोग इस बात की पूरी कोशिश में हैं कि इस विसियस सर्किल में से निकल कर ना टैक्स रैवेन्यू राजस्थान में बढ़ जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्यों ने कहा स्टेट एन्टरप्राइज में घाटा ही घाटा है कुछ स्टेट एन्टरप्राइज में घाटा है यह मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं लेकिन हिन्दुस्तान भर में यह हवा चल रही है-कुछ कारणों से भी सोसियल इकोनोमिक कारण है, कुछ पोलिटिकल कारण भी हो सकते हैं स्टेट एन्टरप्राइज में···

श्री रामचन्द्र आर्य : घाटा नहीं है, चोरी होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान की कम्पनीज और कारपोरेशन की एक तस्वीर रखना चाहता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि स्टेट एन्टरप्राइज कमेटी के चेयरमेन हैं मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान का फाइनेन्स कारपोरेशन है वह घाटे में नहीं चल रहा है···

श्री रामकिशन : वह घाटे में क्यों चलेगा वह तो ब्याज पर चलता है।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान स्टेट कारपोरेशन भी घाटे में नहीं चलता···

श्री रामचन्द आर्य : इतना बड़ा कारपोरेशन और मामूली सा मुनाफा दिखाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : सारी की सारी आमदनी है। राजस्थान स्टेट होटल है, इसके अन्दर करीब 30 हजार का घाटा था किन्तु अब घाटे में नहीं चलता। राजस्थान मिनरल कारपोरेशन अभी शुरू ही हुआ है इसलिए उसके घाटे का अभी प्रश्न ही नहीं है। राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्री कारपोरेशन है वह मुनाफे में चलता है। गंगानगर शुगर मिल है इसमें मुनाफा है···

श्री रामकिशन : शुगर में घाटा है और शराब में मुनाफा है ।

श्री मथुरादास माथुर : दोनों मिलाकर मुनाफे में चलती है । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड है । उसके लिये फाइनेन्स कमीशन ने भी माना है 50 परसेन्ट राजस्थान को इन्टरेस्ट दे रही है तो टोटल जैसी स्थिति है वह आपके सामने है । राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन है वह मुनाफे में चलता है । मैंने निवेदन किया करीब 10 कारपोरेशन और कम्पनीज है और उन कारपोरेशन और कम्पनीज में एक दो के अलावा सब मुनाफे में चल रहे हैं ।

श्री रामकिशन : नामीनल मुनाफे में ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मुनाफे की बात कर रहा हूं । वह नामीनल है या क्या यह बात जुदा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : टोटल कन्ट्री-ब्यूशन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटि का कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड वाले 50 परसेन्ट से ज्यादा इन्टरेस्ट देने लग गये है । कोई डिविडेन्ट दे रहा है, कोई बोनस देता है, कोई क्या देता है इस तरह अलग अलग नेचर के हैं · · ·

श्री लादूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को याद दिला दूं आपने इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट रख दी कि फलां फलां कारपोरेशन मुनाफे में चल रहा है । एक रुपये की चीज 10 रुपये में बेचेंगे तो आप जरा गौर करें कितना मुनाफा होता है । आप बिजली सस्ती दर पर नहीं दे सकते हैं । इतनी सस्ती बिजली पैदा होती है । तीन पैसा यूनिट पर खर्च होता है और आप चार्ज करते हैं 50 पैसा और फिर कहते हैं मुनाफे में चलते हैं । यह कौनसा आपका मुनाफा है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, 10–12 कम्पनीज और कारपोरेशन की तस्वीर मैंने खींची है । इससे लोगों की जो यह धारणा है कि स्टेट एन्टरप्राइज में घाटा हो जाएगा और हम समाजवाद की तरफ कोई कदम नहीं उठा सकेंगे । वह निराधार है । हिन्दुस्तान की प्राइम मिनि-स्टर ने भी बयान दिया था कि समाजवाद की ओर बढ़ रहे है । अब प्रोफिटेबिलिटि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साथ अलग अलग होती है । पब्लिक कम्पनीज में और कारपो-रेशन में केवल प्राफिट इन्सेण्टिव नहीं होता है, उनकी सर्विसेज भी होती है । कर्मचारियों के लिए सुविधा और क्वाटर्स वगैरह का भी सवाल रहता है इसका भी इन्तजाम करते है । कुल मिलाकर इस देश में पब्लिक सेक्टर ज्यादा बने और आमदनी ज्यादा बढे नान टैक्स रेवेन्यू बढे और लोगों का एक्स प्लाइटेशन कम हो इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है । इस बजट में भी हमने कोशिश की है ।

श्री रामनारायण चौधरी : रोडवेज में सब प्रोफिट देने के बाद भी किराया बढ़ाया जा रहा है · · ·

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य किराया रोडवेज का ही नहीं बढ़ता सभी का बढ़ता है और सभी के लिये बढ़ता है ।

श्री लादूराम मुलानिया : 25 परसेण्ट ज्यादा लेते हैं रोड़वेज वाले ।

Page No 89

श्री मथुरादास माथुर : यह रोडवेज की जिस दिन डिमाण्ड हो उस दिन उठा लेना कि 25 परसेन्ट ज्यादा किराया लेती है। माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने नागौर और चूरू में रूरल प्रोजेक्ट चलते हैं उनका भी जिक्र किया है और कहा है कि बन्द हो गये हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट बन्द नहीं हुये हैं, चल रहे हैं और तेजी से चल रहे हैं यहां तक कि भारत सरकार के मिस्टर श्री निवासन हैं जो रूरल प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी विजिट के अन्दर इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट केटेगरी दी है और प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह चल रहा है, यह बताया है। नागौर जिले में जो प्रोजेक्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्री का हैं उसमें 1963-64 में जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस समय 70 थे अब 69-70 में कुल स्माल स्केल के लिये दो हजार 450 हो गये हैं। शुरू में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस समय 81 था और आज एक हजार 400 हो गया है उसके अलावा 1970-71 में। नई यूनिट 63 नागौर में और 62 चूरू में थी अब और रजिस्टर्ड हो गई है और 71 हजार 500 लोन की तरफ फण्ड्स डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है। अब मैंने इन सब प्रोजेक्ट्स का करीब करीब बता दिया है नम्बर बताया है, लेबर एम्पलायमेंट की बातें रखी हैं इसलिये मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो सूचना है और यह बात जो उनके दिमाग में है कि प्रोजेक्ट बन्द हो गये हैं, खतम हो गये हैं उनको सन्तोष होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन के सामने एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत जोर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही मैं उनकी बात से सहमत हूं और हम खुद इस बात की कोशिश में हैं। उन्होंने यह कहा था सेन्ट्रल प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रीज अपने यहां राजस्थान में बहुत कम लगी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि चतुर्थ पंच साला योजना के अन्दर कुल 161 करोड़ 89 लाख के ये प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम आपने पढ़े हैं मशीन टूल कारपोरेशन, अजमेर, कॉपर प्रोजेक्ट, खेतड़ी, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, आटोमिक पावर प्रोजेक्ट, राना प्रतापसागर, जिन्क स्मेल्टर, उदयपुर और सुपर फासफोरस प्रोजेक्ट के लिये 10 करोड़ बजट में रखे हैं। सब मिलाकर 161 करोड़ 89 लाख होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतना इनवेस्टमेण्ट हो गया · ·

श्री रामकिशन : अभी लेटेस्ट बजट में रखा है वह 30 अरब का है।

श्री मथुरादास माथुर : · · · उसके बाद में 161 करोड़ रुपये का है। यह जो परसेन्टेज बनता है यह कुल 4.75 बनता है। टोटल पापुलेशन कन्ट्री, राजस्थान की पापुलेशन का परसेन्टेज 4.75 आता है। आपने चार्ज लगाया था कि कोशिश नहीं है इसके लिये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने डवलपमेण्ट कौंसिल के सामने और प्रधान मंत्री के सामने और दूसरे मंत्रालयों के सामने इस बात को बड़े जोरों से रखा है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगें। इसके अलावा भी मैं यह कहना चाहता हूं

(श्री मथुरादास माथुर)

कि इस सम्बन्ध में सदन भी आवाज बुलन्द करेगा तो राज्य सरकार को और भी अधिक बल मिलेगा लेकिन जो कुछ इस समय आंकड़े हैं वे मैंने आपके सामने रखना इसलिये मुनासिब समझा कि हमको अभी तक शेयर उतना ही मिल पाया। . .

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि मुख्यमंत्रीजी प्लानिंग कमीशन में जा रहे हैं तो क्या प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष बन कर जा रहे हैं या उसके अध्यक्ष बनकर जा रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल बजट की बहस के दौरान तकरीर में नहीं था इसलिये मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री नरसिंह : यह भ्रम पहले ही अखबारों में था बारबार कैसे उठ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भैरोंसिंह जी की सूचना है।

श्री मथुरादास माथुर : यह भैरोंसिंहजी की सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी कहा था कि प्लान के बारे में चिन्ता करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी जा रहे हैं-यह कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तो यह नहीं कहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह आंकड़े इसलिए दिये कि जिसकी वजह से हमारी पापुलेशन की परसेन्टेज के हिसाब से जो फोर्थ प्लान में शेयर मिलना चाहिए वह मिल रहा है। इतना ही नहीं और ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपके ये आकड़े रखे हैं। . . .

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि दूसरी स्टेट्स हैं उनको भी इसी परसेन्टेज में सेन्ट्रल इनवेस्टमेण्ट करने को मिला है ?

श्री मथुरादास माथुर : कहीं ज्यादा है तो कहीं कम भी है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ज्यादा इनवेस्टमेन्ट होना चाहिए और इसके लिए हम बराबर कोशिश करते रहे हैं. . .

श्री दौलतराम सारण : आप क्या महसूस नहीं करते कि राजस्थान की प्रास्पेरिटी को देखते हुए इनवेस्टमेन्ट कम है ?

श्री मथुरादास माथुर : कम है और महसूस ही नहीं करते हैं बल्कि हम इसके लिए बराबर कोशिश करते रहे हैं कि इससे ज्यादा इनवेस्टमेन्ट करने को मिले।

श्री दौलतराम सारण : आप तो सन्तोष जाहिर कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी मान्यता है कि इनवेस्टमेन्ट ज्यादा होना चाहिए और इसके लिए हमने कोशिश की है लेकिन फोर्थ प्लान में इनवेस्टमेन्ट बढ़कर इतना हो गया यह मैंने निवेदन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल्वे को भी लेकर काफी बातें कही गयीं और इसके लिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था। हम बराबर इसकी

(श्री माथुरदास माथुर)
कोशिश में हैं कि राजस्थान में रैल की पटरी ज्यादा लगें और उनका माइलेज बढ़े लेकिन यह कहा गया कि राजस्थान में हिन्दुस्तान में सबसे कम है—मैं इस बात को निराधार समझता हूं और ठीक करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर इस समय तीन नयी लाइनें लगी हैं। एक तो उदयपुर से हिम्मत-नगर...

श्री रामकिशन : वह तो लगी है। उदय-पुर है। इसके लिए तो मैंने पहले ही कह दिया,

श्री मथुरदास माथुर : मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को उदयपुर से कम्प्लेक्स हो गया है...

श्री मदनसिंह : हमें तो बड़ी आशायें बंधी हैं उदयपुर से।

श्री मथुरादास माथुर : यह क्यों नहीं कहते कि जैसलमेर से पोकरण भी बनी है जहां से कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य पार्लियामेन्ट के लिए चुनावों में खड़े हुए थे...

श्री भैरोंसिंह : आप तो उदयपुर के लिए प्राईवेट में कहते हैं और माननीय सदस्य खुल्लमखुल्ला कहते हैं।

श्री रामकिशन : मैंने कहा या कि प्लान से नहीं चलते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उदयपुर में नहीं लगाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हिमायती हैं...

श्री रामकिशन : वो राज बहादुर जी जब मिनिस्टर थे तो सब जगह उन्होंने डाकखाने ही डाकखाने खुलवा दिये।

श्री विजयसिंह : राजबहादुर जी तो अब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : पोकरण से जैसलमेर की लाइन है वह डिफेन्स से भी बनाई गई है और वहां के एरिया को भी जोड़ती है और इसके अलावा चूरू-फतहनगर की लाइन बनी है...

श्री लादूराम सुलानिया : वहां के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के बजाय तो उदयपुर के लोगों की हालत ज्यादा बदतर है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में इस बात की भी चर्चा की थी कि हमको जो कुछ भारत सरकार से बड़े बड़े शहरों और खास तौर से जयपुर, अजमेर, कोटा के मास्टर प्लान बनाने के लिए धनराशि मिली थी उसको लेप्स करवा दिया और प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हुए...

श्री भैरोंसिंह : स्लम क्लियरेन्स के बारे में कहा था।

श्री मथुरादास माथुर : चलो आपको मास्टर प्लान के बारे में सन्तोष है तो मैं इसका जिक्र नहीं करता क्योंकि मास्टर प्लान करीब करीब तैयार है और जयपुर,

(श्री मथुरादास माथुर)
कोटा और अजमेर के मास्टर प्लान तैयार हैं और नेक्स्ट मन्थ में पब्लिश होकर इनके ऊपर काम शुरू हो जायेगा···

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जो टारगेट डेट थी मास्टर प्लान तैयार करवाने की वह लेट हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : हां उस टारगेट डेट में तो नहीं हुआ है और उससे लेट हुए हैं लेकिन अब मास्टर प्लान तैयार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बेरोजगारी को लेकर काफी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने इसके बारे में आंकड़े भी चाहे और आज सुबह ही मैंने प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर दे दिया और जिस तरके से आंकड़े उपलब्ध हैं उनका भी मैंने विस्तार पूर्वक जिक्र किया था। मैं उसको वापस नहीं दोहराना चाहता हूं मगर यह जो बेरोजगारी की समस्या है लोगों ने कहा कि आपने वजट के अन्दर कुछ इशारा किया है इससे समस्या हल नहीं होने वाली है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैंने समस्या को हल कर दिया है। मैंने तो बजट के अन्दर कुछ टेकनीकल जो हमारे इन्जीनियर्स हैं, डाक्टर हैं और प्रोफेशनल्स हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएटस हैं इनके बारे में जिक्र किया था···

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने 68 में घोषणा की थी कृषि स्नातकों को भूमि अलाट करने की उसका क्या हुआ?

श्री मथुरादास माथुर : वह हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक बीघा जमीन भी नहीं मिली। कहीं मिली हो तो बताइये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं उन आंकड़ों में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आंकड़े मैंने सुबह सदन के अन्दर प्रस्तुत कर दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : वे सही भी नहीं हैं, जाना भी नहीं चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दुस्तान में इस समय 2 करोड़ आदमी मैं वाइडली एक्सप्टेड एस्टीमेट्स से कह रहा हूँ···

श्री रामकिशन : गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : ····20 मिलियन एम्पालाइड पीपुल हैं फोर्थ प्लान के बिगनिंग में और हर साल 20 मिलियन आदमी की लेबर फोर्स पैदा होती है एम्पलायमेंट के लिए और यह ज्यादातर 18 और 25 एज-ग्रुप के अन्दर होते हैं और इन्सटीट्यूट आफ एप्लाइड साइन्स एण्ड रिसर्च की फिगर्स हैं कि एजूकेटेड अनएम्पलायमेन्ट देश के अन्दर है वह 15 लाख लोगों की है और एक सर्वे हुआ उससे जाहिर है कि एक आदमी अपनी एजुकेशन को खतम करने के बाद में खास तौर से इन्जीनियर्स और दूसरे लोग हैं उनको करीब करीब 100 वीक में एम्पलायमेन्ट मिल जाता है। यह सर्वे की रिपोर्ट है···

श्री मदनसिंह : आपने यह महसूस नहीं किया इस सम्बन्ध में कि जो इन्जीनियर्स हैं या डाक्टर्स हैं इनकी तो पढ़ाई हो जाती है लेकिन जो अनपढ़ हैं उनके लिए क्या प्रावधान

(श्री मदनसिंह)

रखा ? किसी को आपने पढ़ा दिया यह तो बड़ी देन है लेकिन जो गरीब हैं और उसी एज ग्रुप में हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं और न खेती है उनके लिए क्या किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका भी उत्तर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि अनएम्पलायमेन्ट की प्राब्लम का कोई रेडीमेड हल नहीं हो सकता। इसका हल तो तब ही हो सकता है जब कि हमारी इकानॉमी में बहुत भारी इनवेस्टमेन्ट हो और हमारे एम्पलायमेन्ट ओरीयेन्टेड प्लान बनकर इसमें हों और तभी जाकर इसका नेशनल लेवल पर हल हो सकता है और प्रधान मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम इस प्रकार से फोर्थ प्लान का एप्रेजल करेंगे और एम्पलायमेन्ट री-ओरीयेन्टेड बनाने की कोशिश करेंगे · · ·

अब नया प्लानिंग कमीशन बनने के बाद में इसके ऊपर एक्सरसाइज किया जायगा और उससे मालूम पड़ेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से राजस्थान · · ·

श्री हीराभाई : 5 साल में पूरा हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में मैंने जो कुछ भी बजट में कहा है उसमें पहला सेन्टेन्स यह था कि इस समस्या को हेवी इन्वेस्टमेंट करके और प्लान एम्प्लायमेन्ट ओरियेन्टेड प्रोजेक्ट बनाकर हल कर सकते हैं। चूंकि हमारे सामने कुछ समस्याएं ऐसी थीं इंजीनियर्स की, डाक्टर्स की और दूसरे लोगों की कि उनके टेलेन्ट को नेशनल इन्ट्रेस्ट में युटिलाइज करने के दृष्टिकोण से, थोडा बहुत उनको एम्प्लायमेंट देने के दृष्टिकोण से मैंने 4–5 मुद्दे सदन में रखे थे। मैं सदन के सामने उनको विशेष रूप से दोहराना चाहूंगा. क्योंकि उसमें माननीय सदस्यों के समझने में गलतफहमी है। डाक्टर्स को स्टीपेंड देने का नहीं है। जिन एरियाज में मेडीकल रिलीफ नहीं है उन एरियाज के अन्दर डाक्टर्स को भेजेंगे। उनको कहेंगे कि वहां जाकर प्राइवेट प्रेक्टिस की इच्छा हो तो वहां जाकर करो। उस एरिया में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। उनको दो हजार रुपये इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया जायगा और उनको पहले साल में 250 रु. महीने और दूसरे साल में 200 रुपये महीने के हिसाब से देंगे और तीसरे साल उसको बन्द कर देंगे। दो साल में वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। राजस्थान के लिए कहा था कि उनका पूल करेंगे और 250 रुपया उनको देंगे और पूल राजस्थान का मैन पावर डिपार्टमेंट करेगा और उन डिपार्टमेंट्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स के अन्दर लगायेंगे। कहीं पर मान लो कि सर्वे का बहुत बड़ा काम करवाना है तो उसके अन्दर उनको लगायेंगे। रोड्स का काम है या इर्रीगेशन का काम है तो उनको उस काम में लगायेंगे ताकि वह काम भी सीखेंगे और जो जगह होगी तो उनको सिलेक्ट करके उनको लगायेंगे। इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी वेटरिनरी डाक्टर्स का 100

Page No 94

(श्री मथुरादास माथुर)
का बेकलाग है उनकी पोस्ट क्रियेट करके उनको एब्जार्ब कर दिया है।

बाकी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लड़के हैं जो बड़ी मुश्किल से पढ़कर ग्रेजुएट हो गये हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो गये हैं उनको एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है। एम्प्लायमेंट तो हरेक आदमी क्लेम कर सकता है कि मिलना चाहिए। इससे जो उनके भाई पढ़ रहे हैं उनके ऊपर डिस-इन्सेंटिव का काम कर रहा है कि लड़के पढ़कर ग्रेजुएट हो गये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वे अन-एम्प्लायड हैं तो दूसरे उनको पढ़ाना बन्द कर देते हैं। इसको हटाने के लिए तथा साथ ही साथ उन लोगों को जगह दी जायं। इसलिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए यह स्कीम चला रहे हैं...

श्री रामकिशन : 63 ही हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक प्रश्न शड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ट ट्राइब्स के सम्बन्ध में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह एड किया है 3 साल से जो बेकार बैंठे हुए हैं उनको ही यह सहायता मिलेगी।

श्री रामकिशन : नहीं है, नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अर्ज करूंगा कि इसमें लिखा है कि फर्स्ट क्लास पास होगा उसको ही यह सहायता मिलेगी। यह समाज-कल्याण विभाग के डाइरेक्टर हैं वे लोगों के फार्म वापस कर देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि थर्ड क्लास का भी है वह जो पहले स्टीपेंड दिया था उसके लिए था। और इसमें तो थर्ड क्लास हो इस साल का ही पास हुआ हो तो उस पर वह लागू होगा। उनका एक पूल बना दिया जायगा और उनको काम पर लगाया जायगा जब तक कि दूसरी जगह पर एम्प्लाय न हो जायं। इसलिए यह जो कुछ भी मैंने बजट में...

श्री मोहनलाल मोदी : आपने ग्रेजुएट्स के लिए तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मैट्रिक तक पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और बहुत बेकार हैं उनके बारे में क्या रखा है? उनके लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री की हैसियत से इस समस्या का हल जो कि माननीय सदस्य ने रखी है उसका पूरा हल इसमें आगया हो। बैकवर्ड क्लासेज के लोग भी अनएम्प्लायड हैं और भी कई लोग हैं। इस प्रोब्लम को जितने अपने रिसोर्सेज हैं उनसे हल कर सकते हैं उस दिशा में एक पहला कदम उठाया गया है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उन विचारों के साथ मेरी हमदर्दी ही नहीं है लेकिन पूरी कन्करेन्ट है। यह ठीक है, लेकिन उनको करने के लिए यह कहूं कि राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री को बजट की तरफ और अपने रिसोर्सेज की तरफ भी देखना पड़ता है। इसलिए यह जो कदम उठाये गये हैं तो सदन के माननीय सदस्य ने इन कदमों की सराहना भी की है।

श्री मदनसिंह : यह योजना सराहनीय है लेकिन अस्थाई है । इसकी स्थाई योजना क्या हो सकती है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अस्थाई नहीं स्थाई है जब तक कि लोग आते रहेंगे पूल में ।

माननीय सदस्य जो सांभर से आते हैं उन्होंने यह रूरल एरिया के लोगों का बजट नहीं है । माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके अन्दर . . .

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय आपने यह बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो विद्यार्थी हैं उनको वह देंगे तो इसमें आपने विशेषता क्या की है अगर उनको दो हजार देते हैं और इनको तीन हजार देते या उनको दो साल तक देते हैं और इनको तीन साल तक देते हैं तो शुद्ध विशेषता होती । अगर ऐसा नहीं है तो बराबर बात है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस चीज को समझें । मैंने जो यह कहा है वह सवर्ण ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं किया है यह सिर्फ शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड टाइब्स के लिए ही है । उसका रीजन बता दिया है, माननीय उपाध्यक्ष ।

श्री लादूराम सुलानिया : इस वक्त भी कई जगह दे रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं दे रहे हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं नाम बता सकता हूं कि कैसे नहीं दे रहे हैं ? शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के नहीं मिले इसलिए किसी को देना था उनको दे दिया । यह आपका रवैया रहा है ।

श्री मथुरा दास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी बात है । यह कह देता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह डिमाण्ड पर बहस करते वक्त कह दें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह जो कहा गया है कि रूरल एम्प्लायमेंट की योजना जो है इसमें एक जिले में एक हजार आदमियों को रोजी देने और नौकरी देने का 100 महीने से इसका जो प्रावधान है और जो योजना बनी है उसका जिक्र मैंने बजट भाषण में किया था । उस पर साम्भर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो जिले बड़े हैं उनमें एक हजार से क्या होगा, तो उसकी डिस्पेरिटी के लिए जिक्र किया था । मैं उनकी सूचना के लिए जिक्र करूंगा कि इस योजना में अगर एक जिले में 10 पंचायत समितियों से ज्यादा होंगी तो हर पंचायत समिति में 100 आदमियों को रोजी मिलने का इसमें है । जो जिले बड़े हैं तो 10 तो हैं ही और इनके अलावा होंगी तो 12-13 होंगी तो एक्स्ट्रा आदमी दिये जायेंगे । यह भी कहूंगा कि यह योजना अपने आप में . . .

Page No 96

श्री भैरोंसिंह : यहां पर जिन जिलों में पंचायत समितियां छोटी हैं लेकिन संख्या में ज्यादा हैं तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी ? माननीय सदस्य कह रहे थे कि उदयपुर में छोटी छोटी पंचायत समितियां हैं तो, उनके नम्बर ज्यादा होंगे। वहां पर भी आप फंसे होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष मैंने तो यह निवेदन किया है कि यह स्कीम डिस्ट्रिक्ट की है कि उसमें 1000 आदमी आ जायेंगे। डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो उसके हिसाब से · · ·

श्री लादूराम सुलानिया : यह एक हजार देंगे इसमें आप · · ·

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं और ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले में कह दूं बाद में आप प्रश्न पूछ लें तो मैं बता दूंगा।

सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जिले और खास तौर से जयपुर जिले के लिए कहा है कि एक हजार से ज्यादा होंगे और पंचायत समितियां ज्यादा होंगी तो उसमें ज्यादा उनको एम्पलायमेंट किया जायगा ····

श्री भैरोंसिंह : एक थोडा सा स्पष्टीकरण कर दें कि आज से चार दिन पहले टाइम्स आॅफ इन्डिया में एक खबर छपी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फेज-प्रोग्राम के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से सजेश्शन मांगे थे लेकिन अभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट से सजेशन नहीं आये····

श्री लादूराम सुलानिया : यह भी बात बाद में बता दें। वित्त मंत्रीजी इनके बीच में क्यों बताते हैं जब कि हमें नहीं बताते हैं। (हंसी) मैं यह पूछ रहा हूं कि आप एक हजार आदमियों को रोजगार देंगे तो उन एक हजार में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं जिनको आप काम देंगे। यह क्लियर कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो हजार आदमियों में शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का सेन्ट्रल स्कीम में नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : वे लोग कहां जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : यह योजना जो प्रधान मंत्री ने कहा है, अपने आप में एक कदम है. इस योजना का अंग है। वह योजना बनायेंगे। एक हजार आदमियों के एक जिले में एम्पलाय होने से समस्या का हल नहीं होता है। इसके आगे भी हम स्टार्ट करेंगे। हजार आदमियों से समस्या का हल नहीं होगा। मैं तो यह कहूंगा कि सारे के सारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही काम दिया जाये। अन्य लोग तो पहले से ही भरे हुये हैं। ये समाज कल्याण मंत्री जो जोशी जी हैं, इनको हटा दिया जाये और जो कांग्रेस का कोई नया आदमी आया हो उसको लगा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर; आर्डर !

श्री लादूराम सुलानिया : शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्या हल हो जायेगी।

Page No 97

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : (श्री लादूराम मुलानिया के खड़े रहने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समितियों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगने के लिए जिक्र किया था। मगर भविष्य के लिए सर्टिफिकेट देना होगा। यह हमेशा के लिए माफी नहीं की है। ये पुराने केसेज हैं।

श्री दौलतराम सारण : भविष्य में है क्या पंचायत समितियों में ?

श्री मथुरादास माथुर : इससे, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरक्यूलर राज्य सरकार का है, वह उनके लिए है जिनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। उनके लिए है ताकि कोई यह नहीं समझे कि उनको जो ग्राण्ट दी गई है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं चहिए।

एक माननीय सदस्य : पंचायत समितियों के पिछले घोटाले हैं उन पर परदा गिराया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राक फास्फेट का जिक्र किया है। हम लोग बीकानेर में जो कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस समय इसकी माइनिंग शुरू हुई है, यह एक ऐसा मिनरल है जो इम्पोर्ट होता है। राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये की आमदनी मिलेगी। इसलिए बीकानेर में राज्य सरकार का 5% शेयर है। हम लोगों ने यह फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने काफी पैसा खर्च किया था। 1500 टन निकालने की योजना है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका भ्रम है। 5% शेयर होने के बाद भी मैनेजिंग डायरेक्टर आप अपना नहीं बना सके हैं। इस कम्पनी को आपने राक फास्फेट का दिया है। राजस्थान का करोड़ों रुपया खजाना पहुंच गया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था......

श्री दौलतराम सारण : इस जिप्सम कम्पनी का कितना मुनाफा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जितना उनका मुनाफा है, उतना अपना भी है।

श्री दौलतराम सारण : वह बोगस अकाउन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : जिस जिप्सम कम्पनी को फायदा है उसका हिसाब जोड़कर पैसा बराबर कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार कुछ कर नहीं सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज्य सरकार यह खुद करे उसके लिए हैवी मशीनरी की जरूरत थी। इसलिए उससे काम करवाया जा रहा है। जिससे कि ज्यादा काम हो सके। मुनाफा राजस्थान सरकार भी लेगी। माइनिंग में काम करना उनका काम है।

श्री भैरोंसिंह : यह माइनिंग यदि गवर्नमेण्ट खुद करती तो और भी ज्यादा टन होता।

Page No 98

श्री मथुरादास माथुर : 39.50 रु. में दिया। कम्पनी को कम में दिया था। फिर 50% शेयर हमारा है।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर के अन्दर इन्होंने मैनेजमेण्ट को पट्टा दिया है। जावर से लेकर रेल्वे स्टेशन तक, उसके प्रोडक्शन को बेचने का अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रखा है। यह नहीं कि माल उनको दे दिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 वर्षों.....

श्री भैरोंसिंह: इनके पास पैसे ही नहीं होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वह माइनिंग करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मुफ्त का पैसा उनको देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : फिर समाजवाद की बात करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूं, हम नहीं कह सकते थे, इसलिए यह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : डायरेक्टर ने भी नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : क्या नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह : आप का जो एग्रीमेण्ट है, उतना तो अब भी नहीं निकालते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : निकाल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे वर्ष में जितना निकालना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बावजूद इससे राजस्थान सरकार को 3 करोड़ की राशि मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया इरिगेशन में 10 हजार का टारगेट था वह 31 व 27 हो गया है। वर्क्स कम्प्लीट नहीं हो सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां की डी. सी. एम. के बारे में जिक्र किया है। आपने यह कहा है कि हम वहां स्टेट टैक्स नहीं लगा रहे हैं। वह करोड़ों का ड्यू है, चालीस हजार सेल्स टैक्स का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहीं है कि राज्य सरकार को सूचना नहीं है इत्तला नहीं है। सवाल यह पैदा हो गया, टायर कोर्ड फेब्रिक है या यार्न है। यह बड़ा प्रश्न पैदा हुआ। उसके ऊपर दफ्तरी की ओपिनियन आई, उस पर शीतलवाड़ की ओपिनियन आई, बड़े बड़े जूरिस्ट की ओपिनियन आई। बम्बई सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर, जो अपनी लाइन्स पर सेल्स टैक्स एक्ट है, वहां पर फेब्रिक मान लिया है। (व्यवधान होने पर) मेरी पूरी बात समझ लीजिये। अब हमारे यहां असेसमेंट पहले कुछ किया, फिर बाद में बन्द कर दिया जब यह एतराज उठा। अब अगर यह यार्न है तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा और राजस्थान सरकार सेल्स टैक्स लगायेगी, अगर और यह

(श्री मथुरादास माथुर)

फेब्रिक है तो फिर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए। एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, जहां तक मेरी सूचना है नहीं दी गई है। (व्यवधान होने पर) ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने इस बारे में भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है क्योंकि ओपिनियन हमारे सामने बड़े बड़े जूरिस्ट की है, जो ओपिनियन दफ्तरी की है, जो ओपिनियन शीतलवाड़ की है उसमें वह फेब्रिक मानते हैं, इसलिए इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि अगर ऐसा है तो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी दे ताकि उसका हिस्सा हमको मिले। वह भी नहीं ली जा रही है, जहां तक मेरी सूचना है। तो भारत सरकार को लिखा है कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जा रही है, तो हमें गाइडेन्स दें, यह 17 मार्च 71 को मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स को अपने यहां से चिट्ठी गई है कि कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, लीगल ओपिनियन आ रही है, हमारे पास जो ओपिनियन आई है, वह बड़े बड़े लीगल जूरिस्ट की है, दफ्तरी की ओपिनियन है, शीतलवाड़ की ओपिनियन है, यह ओपिनियन बताती है कि वह फेब्रिक मानते हैं। तो फेब्रिक मानते तो वह एडीशनल एक्साइज ड्यूटी देंगे, और अगर यार्न है तो हम सेल्स टैक्स वसूल कर लेंगे। यह रुपया कहीं नहीं जायगा क्योंकि रिकार्ड मौजूद है, और जो असेसमेंट किया है, उसके अलावा और असेसमेंट कर देंगे और जो बाकी है वह असेस्ड रुपया वसूल कर लेंगे। और अगर फेब्रिक है तो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी सूल कर ली जायगी। तो हमने चिट्ठी लिखी है और रिमाइन्डर भी दे दिया है। दिसम्बर में चिट्ठी लिखी है, उसके अन्दर हमने कहा है कि या तो इससे एडीशनल एक्साइज ड्यूटी ली जाय या सेल्स टैक्स लिया जाय। तो यह वसूल लिया जायगा, यह रुपया जाने वाला नहीं है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : टायर कोड फेब्रिक का प्रोडक्शन इसने 1966-67 में शुरू किया, और आज तक उसने एक पैसा भी सेल्स टैक्स का राजस्थान सरकार को नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय जानकारी देंगे कि कुल सेल कितना है? जब से उसने प्रोडक्शन शुरू किया है, आज तक कितना सेल किया है?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन यह है कि सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया गया है क्योंकि इसको फेब्रिक माना गया। और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा वसूल नहीं की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, उसके बाद माना कि फेब्रिक हो सकता है। ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह पूछने का प्रोसीजर कौनसा है। सेल्स टैक्स का जो असेसमेंट होता है, उसके आधार पर आपको टैक्स आयद कर देना चाहिए। अगर उसको आपत्ति है, तो जैसे आर्डिनरी असेसमेंट किसी असेसी का करते हैं, वह देखता है कि गलत हुआ है तो वह हाई कोर्ट में अपील करता है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते हैं। यह कौनसा गरीब का कारखाना है कि आपने सात साल तक उसका असेसमेंट नहीं किया और असेसमेंट करते तो वह उसके खिलाफ चला जाता? मेरी जानकारी है कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उसका करोड़ों रुपये का प्रोडक्शन है, आज आठ करोड़ की सेल वह हर साल कर रहा है, आप इस पर दस पर्सेन्ट से हिसाब लगा लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ करोड़ का कर रहा हो, दस करोड़ का कर रहा हो, सब रिकार्ड के अन्दर मौजूद है, तो जब से सेल्स टैक्स लगाने की बात होगी, जब गवर्नमेंट आफ इंडिया से क्लीयरेन्स हो जायगा कि यह सेल्स टैक्स इस पर लग सकता है या नहीं, तो वह हम वसूल कर लेंगे। अभी इसके बारे में जो लीगल ओपिनियन है वह कन्फ्लिक्टिंग है, वह बड़े बड़े जूरिस्ट की ओपिनियन आई है। हमने भारत सरकार को खत लिख दिया है, रिमाइन्डर भेज दिया है। उनका फैसला आते ही सेल्स टैक्स वसूल कर लेंगे, पुराना भी वसूल कर लेंगे और आज का भी कर लेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : प्रश्न यह नहीं है...

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा प्रश्न है, लीगल ओपिनियन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? सेल्स टैक्स अधिकारी ने कह दिया तो फिर आप क्यों लीगल ओपिनियन ले रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि ओपिनियन लेने की जरूरत क्यों पड़ी...

श्री भैरोंसिंह : गरीब के लिए नहीं जाते ओपिनियन लेने।

श्री मथुरादास माथुर : हमने ओपिनियन नहीं ली है।

श्री भैरोंसिंह : किसने ली है।

श्री मथुरादास माथुर : बात सुनो। जोर जोर से नहीं बोलें।

श्री भैरोंसिंह : यह चार करोड़ का मामला है, गरीब से तो एक एक पैसा ले लिया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने लीगल ओपिनियन नहीं ली है। उन्होंने ही दफ्तरी की ओपिनियन ली है और शीतलवाड़ की ली है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप असेसमेंट करके वसूली कर लें। अगर उसको अपील करनी है तो हाई कोर्ट में जाकर करे। हमें भी हर मामले में हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। डी. सी. एम. वकीलों से ओपिनियन लेकर आता है तो इसका मतलब नहीं है कि हम वसूली नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : अकाल में जिनको पैसा दिया सहायतार्थ और लोन का, उन बारह-बारह रुपयों के लिए भी कुर्की लाकर वसूली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चरतराम, भरतराम से चार करोड़ रुपये की बकाया की वसूली करने के लिए कोई जरिया नहीं है। उसके लिए कोरस्पोंडेंस चल रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अभी तक एसैसमेंट का चार करोड़ रुपया हो जाता है..

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, यह तमाम भी राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वसूली होगी, उसके सेक्शन चार में है, उसमें एक्जेम्प्शन्स बताये हुए हैं-यह उसमें आता नहीं है। उसमें फेब्रिक अलग शब्द है, कोड अलग शब्द है। आप जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स माफ कर रहे हैं, कम किया है उसमें भी यह शब्द अलग-अलग इस्तेमाल किये हैं। तो राजस्थान सरकार स्वयं मानती है, और आज तक मानती चली आ रही है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो सेल्स टैक्स में लेकर आई है, जिसके माध्यम से इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स कम किया है, उसमें। एक लैटर है मेरे पास, इस लैटर का हवाला मैं देना चाहूंगा। यह लैटर है:—

Copy of letter No. 5 (32)/30-1-67/21463 from Shri S.D. Mehta, Supdt., Central Excise, to रामकुमार एडीशनल एक्साइज कमिश्नर, राजस्थान, जिनसे आपने ओपिनियन मंगाई, उन्होंने लिखा है। सब्जेक्ट है : Reference your D.O. letter No........dated Nil.

उसमें लिखा है "No additional excise duty is levied on the said goods and I am directed to say.....".

श्री मथुरादास माथुर : यही मैंने कहा है, न एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, न सेल्स टैक्स लगा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फिर वंच कैसे गया ?

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार से कहा है, क्योंकि अलग-अलग ओपिनियन आई है, तो या तो सेल्स टैक्स लगेगा या एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार कहां से बीच में आ गई। सेल्स टैक्स आपको वसूल करना चाहिए। आप सेल्स टैक्स का असेसमेंट करके उससे रिकवरी करते, अगर दिक्कत होती तो वह अपील करता। आप चार साल से सोते रहे, भारत सरकार ने दखल कर दिया, उसने दखल करके आपको जगाया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पैसा खा गये।

श्री भैरोंसिंह : आप कारण बतायें, चार साल तक अपना असेसमेंट करके आपने टैक्स की रिकवरी क्यों नहीं की ? और शीतलवाड़ की ओपिनियन और दफ्तरी की ओपिनियन जो प्राइवेट पार्टी ने मंगाई है, उसका काग्नीजेंस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि असेसमेंट जो सी. टी. ओ. ने किया तो उस वक्त शुरू में कहा कि यह आपका यार्न है। (व्यवधान होने पर) सुनिये। उसने रिप्रेजेंटेशन किया कि यह यार्न नहीं है, फाइबर है, इसलिए सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने शीतलवाड़ की और दफ्तरी की, बड़े बड़े जूरिस्ट की ओपिनियन पेश की। उन्होंने लेकर एडीशनल कलेक्टर को रेफरेन्स कर दिया। उन्होंने ला डिपार्टमेंट से पूछा, और गवर्नमेंट आफ इण्डिया को पूछा कि क्या एडीशनल एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं ! उन्होंने मना कर दिया। तब उठा कर गवर्नमेंट ने फाईनेन्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रेफरेन्स कर

(श्री मथुरादास माथुर)
दिया कि आप इस सम्बन्ध में मेहरबानी करके बतायें, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ रही है...

श्री मदनसिंह : अब डिसीजन लेंगे कि फैब्रिक है या नहीं, Who is the right man.

श्री दौलतराम सारण : चार करोड़ के लगभग का ब्याज कौन देगा ? इस चार करोड़ की बकाया का ब्याज कौन देगा ?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह जो चिट्ठी की दलील है मेरे पास कि भारत सरकार को चिटठी लिखी गई, उसका रिमाइन्डर भेजा गया है, उसका जवाब आ जाय कि भारत सरकार एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लेगी या नहीं। एक महीने तक मैं इन्तजार करूंगा, बाद में असेसमेंट करके वसूली की कार्यवाही की जाएगी ?

श्री दौलतराम सारण : सेल्स टैक्स तो देगा, लेकिन चार करोड़ का ब्याज कौन देगा ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : यही है आपका समाजवाद ?

श्री दौलतराम सारण : आज चार करोड़ का ब्याज...

श्री भैरोंसिंह : सेठों के गुलाम हैं। आप सेठों और राजा महाराजा को दूसरों को गुलाम बताते हैं लेकिन यह सरकार सेठों की गुलाम है।

श्री दौलतराम सारण : यह ब्याज कौन देगा ?

श्री भैरोंसिंह : तीन चार करोड़ का ब्याज माफ करते हैं, यही आपका समाजवाद है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बारह बारह रुपये के लिए कुर्की हो -क्या यही आपका समाजवाद है, और दूसरी तरफ चार करोड़ की वसूली नहीं करें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): माननीय वित्त मन्त्री कहते हैं, फाइबर हैं याने-इस सिलसिले में दफ्तरी और सीतलवाड़ की ओपिनियन आई, इसलिए भारत सरकार को रैफरैन्स कर दिया। यह मामला सेठों का है, इसलिए किया, लेकिन किसान का मामला हो, कल्टीवेटर का हो, टिलर का हो, तो उन पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा हो सब जानते हैं कि सात परसेन्ट हल पर लगा दिया है। जो यानी कि परिभाषा में आता है उसके लिए नहीं सोचते हैं। उसके लिए तो यह फाइबर है याने दिल्ली जा रहे हैं। यह कौनसा लाये समाजवाद।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मैं जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से एक बात, जब इन्होंने आपको ओपिनियन पेश की कि फाइबर है। इसलिए फाइबर पर सेल्स टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप उसे फाइबर क्यों मानते हैं ? दूसरी बात यह है कि भारत सरकार से क्यों ओपिनियन ली। अगर शीतलवाड़ और दफ्तरी की ओपीनियन गवर्नमेंट लेती तो that will represent official opinion.

श्री उपाध्यक्ष : इस पोजीशन के लीडिंग जूरिस्ट की ओपीनियन कोई मायने नहीं- रखती, यह बात है।

श्री नत्थीसिंह : वह भी बड़े लीगल जूरिस्ट थे . . .

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं सांभर से आने वाले माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार जब प्राइसिज फिक्स करती है, उनके बारे में टेरिफ बिठाते हैं और वह निर्णय करता है कि यार्न है या फैब्रिक या कोर्ड।

श्री पी. के. चौधरी : जब एक्साइज ड्यूटी तक वह नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनसे सेल्स टैक्स वसूल करें। उन पर सेल्स टैक्स इम्पोज कर दें, लेट हिम गो टु दी हाई कोर्ट। यह क्यों नही देते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि शुरू शुरू में सी. टी. ओ. जो वहां की असेसिंग अथोरिटी है, फैब्रिक माना और फैब्रिक मानने के बाद वह हमारे परव्यू के बाहर चला गया। डाउट क्रीएट हुआ, उन्होंने रेफरेंस किया। गवर्नमेंट की तरफ से जब सी. टी. ओ. ने डाउट पैदा कर दिया तो हमारे पास रेफरेन्स आने पर उन लोगों ने जूरिस्ट्स की ओपीनियन सीतलवाड़ और दफ्तरी की ओपीनियन भेजी और कहा कि यह यार्न नहीं है फैब्रिक है। पत्र लिखे गए जो आपने पढ़कर सुनाए, वह हमारे पास भी हैं। हमने फैब्रिक समझ कर वह टैक्स नहीं लिया। उन्होंने मना कर दी। सवाल पैदा हुआ कि यह फैब्रिक है या यार्न। इसका क्लीयरेन्स कराना अब जरूरी हो गया। शुरू में असेसिंग अथोरिटी टैक्स लगा देती 1962-63 में असेसमेंट कर देती तो कोर्ट में मामला तय होता। उसको फैब्रिक मान लिया और मानकर उसका असेसमेंट किया नहीं। बाद में शक पैदा हुआ तो रेफर कर दिया उसके समक्ष ओपीनियन आ गई। इसलिए सरकार ने उठाकर एक्साइज कमिश्नर दिल्ली को रेफर किया उसने भी यही जवाब दे दिया तब हमारे लिए मुश्किल हो गई। वह कहते हैं कि हम फैब्रिक न मानकर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं तब हमने लिखा है कि आप क्लेरीफाई करें। यदि फैब्रिक है तो आप चार्ज करें यार्न है तो हम चार्ज करें तो यह पोजीशन बन गई। माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि सी. टी. ओ. को उसी समय असेसमेंट करके टैक्स लगा देना चाहिए। लेकिन सी. टी. ओ. असेसिंग अथोरिटी है, उसको सरकार गाइडेन्स नहीं देती है। यह 1962-63 का किस्सा है उसके बारे में सी. टी. ओ. ने समझा है कि यह फैब्रिक है। उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। असेसमेंट किया उसके बाद ओपीनियन आ गई। वापस जब फैसला होगा तो 1962-63 से लेकर वह केस तय होगा और उनसे टैक्स पूरा वसूल किया जाएगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज तक राजस्थान की सेल्स टैक्स की हालत यह है कि आज भी असेसमेंट के बाद अपील करके स्टे की एप्लीकेशन्स देते हैं। आपने रूल्स लगाए, आप उनकी एप्लीकेशन्स की परवाह न करें खुद की कार्यवाही करें। यह तो आपकी हालत है सेल्स टैक्स वसूली की। दूसरी ओर आप बता रहे हैं 1666-67 से लेकर एक व्यक्ति का असेसमेंट न हो, उसका रेफरेन्स हो जाए, उसमें लीगल ओपीनियन ली जाए, इससे बड़ा केस कौनसा मिलेगा ?

श्री मदनसिंह : आप किस कानून के तहत 4 साल के बाद वसूल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप चिंता मत करें।

श्री मदनसिंह : मैं जानता हूं, उनके कानून में अगर कोई लूकोना रह गया तो वह हाई कोर्ट में जीत जायेंगे । इनको अधिकार है वसूल करने का ?

श्री उपाध्यक्ष : है अधिकार।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री भैरोंसिंह : जोश में आकर वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि एक महीने में फैसला हो जाएगा इसी सैशन में।

श्री मथुरादास माथुर : एक महीने में भारत सरकार फैसला कर देगी। यदि वह फैब्रिक है तो वह वसूल करेंगे, वह कहते हैं कि फैब्रिक नहीं है तो हम वसूल करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : फैब्रिक होने पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार वसूल करेगी यार्न होने पर सेल्स टैक्स आप वसूल करेंगे। एक्साइज ड्यूटी जो मिलती है वह सैंट्रल पूल में जाएगी और अपना परसेंटेज जो बनता है वह मिलेगा। सैल्स टैक्स से जो डाइरैक्ट आमदनी होती है राज्य सरकार को। ऐसी हालत में राज्य सरकार जानबूझकर यह पोजीशन क्रीएट क्यों कर रही है कि फैब्रिक मान लिया जाए और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाए। आप अपनी तरफ से इनीशिएटिव लें, सेल्स टैक्स वसूल करें, हमारे लिए तो यार्न है, खाते में पैसा जमा होगा, भले वह जाकर कोर्ट में कान्टेस्ट करें।

श्री मथुरादास माथुर : आज की स्थिति में जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं उनके अन्दर हमने रैफर कर दिया था उसमें लीगल ओपीनियन आ गई आज सी. टी. ओ. वसूल करें, वह कोर्ट से स्टे आर्डर लाये, खामखां लिटीगेशन में पड़ेंगे। शुरू में वसूल करते तो बात दूसरी होती।

श्री भैरोंसिंह : आप जानते हैं कि राजस्थान में कोई सेठ ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ ड्यूज नहीं हैं। विद्युत् मण्डल में देखें, फारेस्ट विभाग में देखें। डी. सी. एम. वाला जयपुर उद्योग वाला कोर्ट में बैठा है, मान इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन वाला कोर्ट में बैठा है। कौनसा सेठ आपको पैसा दे रहा है ? सब कोर्ट में बैठे हैं, स्टे आर्डर्स लाए हैं··

श्री मथुरादास माथुर : मैंने इस विषय पर विस्तार पूर्वक माननीय सदस्यों को सही स्थिति पेश कर दी और इस बात को भी जाहिर कर दिया कि राज्य सरकार की कोई भी सेल्स टैक्स छोड़ने की मन्शा न थी न है····

श्री कृष्णकुमार गोयल : 1966 से छोड़ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसके अन्दर लीगल ओपीनियन आ चुकी थी इसलिए खामखां लिटीगेशन में न पड़ें, इस कारण भारत सरकार को रैफर किया गया है आशा है एक महीने में फैसला हो जाएगा, उस पर चलेंगे।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कुछ रैविन्स के रिक्लेमेशन के बारे में।

(श्री मथुरादास माथुर)
उस बारे में सेंट्रली स्पान्सर्ड स्कीम 10 हजार एकड़ की, भारत सरकार ने रेविन्स को रिक्लेम करने के लिए एक स्कीम बनाई है। वाटर कन्जरवेशन एक्ट, 1964 एण्ड वाटर ड्रेनेज एण्ड रिक्लेमेशन एक्ट के तहत जो प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंडस हैं, इन दोनों के तहत रिक्लेमेशन किया जा रहा है। प्राइवेट लैंड वालों को 50 प्रतिशत सबसिडी देते हैं और 50 प्रतिशत लोन। यह सूचना किसी माननीय सदस्य ने पूछी थी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े तरीके से कहा सदन में कि राजस्थान एन्टरटैनमेंट और एडवरटाइजमेंट अमेंडमेंट टैक्स में वित्तमंत्री ने जान बूझकर देरी की। मेरा निवेदन है कि 1-4-71 से इस एक्ट को एन्फोर्स किया गया और यह एक्ट कोई this act does not provide for levy of tax. इस एक्ट में कोई टैक्स लेवी नहीं है। इसमें प्रोसीजर है, सैल्स टैक्स के आधार पर लाए थे। आपने कह दिया कि वह मेरे पास आए और जैसा आपने कहा कि वित्त-मंत्री राजस्थान का वह नहीं है सिनेमा वाले हैं...

श्री भैरोंसिंह : वसूल हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : वसूल ज्यादा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : इस एक्ट के तहत वसूली का सवाल नहीं है। प्रोसीजर निर्धारित है, पुराना प्रोसीजर लागू था। इस साल जो वसूली हुई है 1970-71 एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स व एडवरटाइजमेंट टैक्स से वह है 123:96 लाख एज अगेन्स्ट 119:44 लाख इन दी प्रीवियस ईअर। तो इस साल ज्यादा वसूली हुई है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे ज्यादा हुई? कहां लिखा हुआ है। ये एन्टरटेंमेंट और एडवरटाइजमेंट टोटल फिगर्स आपने बताईं। अब बाइफरकेशन बनाइए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बताता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या चकमा दे रहे हैं सदन को ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें टैक्स का सवाल नहीं। यह एक्ट सदन ने पास किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने एन्टरटेन्मेंट टैक्स की फिगर्स बताई हैं, बजट में हैं।

श्री मथुरादास माथुर उन रेट्स से जो पहले थे वसूली हुई है, बराबर हुई है इसके अन्दर जो एक्ट है वह लेवी आफ टैक्स का नहीं है। इसमें सवाल पैदा नहीं होता और एक्ट आपने पास किया है। रूल्स बनाने में टाइम लगा। माननीय सदस्यों को गलत फहमी रह गयी। ब्रेक अप में दे दूंगा। एडवरटाइजमेन्ट में थोड़ा सा टैक्स आता है। हैड तो एक ही है।

श्री लादूराम सुलानिया : एक महाजन सौ रुपये में मुनीम रखता है वह तुरन्त हिसाब बता देता है और वित्त विभाग पर लाखों रुपया खर्च करते हैं और वित्त मंत्री कहते हैं कि बाद में दे दूंगा अभी क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : बहुत से कहते हैं कि भारत सरकार ने एक्जम्पशन कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया। कई लोग चिट्ठियां लेकर आते हैं।

श्री भैंरोंसिंह : सिवाय यादगार के कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि किसी स्टेट ने एक्जम्पट की हो। हमने भी जानकारी की है।

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार ने कई रिलीजियस पिक्चर्स को किया है। "नानक नाम जहाज है"। पंजाबी फिल्म है। उसका किया है।

श्री भैंरोंसिंह : स्टेट की इनकम के लिए कुछ पिक्चर्स को एक्जम्पट करते हैं। दो साल से सिस्टम चेन्ज हो गया है डिस्ट्रिब्युटर और सिनेमा देखते हैं, कमीशन मिलता है। प्रोड्युसर बड़ा आदमी होता है शादी और विवाहों में इन्तजाम कर लेता है, एक पिक्चर एक्जम्पट हो गयी शादी विवाहों का का खर्चा निकल गया। वे चर्चायें खत्म हो जाती हैं। कोई प्रोसिजर बना दें, सदन की समिति बना दें वे कह दें कि जो एक्जम्पशन किया वह वाजिब है और वह कह दें कि उचित नहीं है तो उसको स्वीकार करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद इससे परेशान हूं। जो पिक्चर आवेगा उनका एक्जम्पशन सदन की कमेटी...

श्री भैंरोंसिंह : पिछली वालों की बताये।

श्री मथुरादास माथुर : उसको बन्द कर देंगे।

श्री भैंरोंसिंह : उसकी जांच करायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे एतराज नहीं है। मैंने तो देखी ही नहीं है। खत्म भी हो चुकी है। तीन तीन महीने का एक्सटेन्शन किया है।

श्री भैंरोंसिंह : माननीय सदस्यों को मत फंसाओ। पिछले कारनामे हैं क्या उनकी जांच के लिये तैयार हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : गत तीन चार वर्ष में चार पांच पिक्चर्स में एक्जम्प्ट की है। मैंने देखी नहीं है। आगे के लिए माननीय सदस्यों की एक कमेटी बिठा दी जाय।

श्री भैंरोंसिंह : रिटर्न के लिए घोषणा की कि जांच कराऊंगा तो इसी प्रकार इसके लिये भी घोषणा क्यों नहीं करते कि जांच करायेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसकी जांच कराइये ताकि मालूम हो जावेगा कि किसने क्या किया है। कौन सदस्य था ?

श्री मथुरादास माथुर : बराबर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या प्रोसीजर है आपके सामने ? गवर्नमेन्ट कोई कसोटी नहीं है। इन्डिविजुअल पर होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गवर्नमेन्ट को नुकसान होता है। अच्छी पिक्चर है तो ज्यादा दिन चलेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय सदस्यों की कमेटी बिठायी उस पर तो एतराज नहीं कर रहे हैं और आपने कर दिया उस पर कर रहे हैं एतराज।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो कुछ भी मुद्दे उठाये · · ·

श्री भैरोंसिंह : आपने पांच-छः पिक्चर्स का एक्जम्पशन किया है तो कौनसी ये नेशनल पिक्चर्स हैं जरा बता दीजिये ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार को अधिकार दिया है कि कुछ पिक्चर्स को एक्जम्पट करे। चार-पांच पर किया है। मैं एक्जम्पशन करने के लिए पिक्चर्स देखता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह आपके घर पर पहुँच जाय।

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी बनाते हैं और उन लोगों की ओपिनियन आती है।

श्री रामकिशन : कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी हों। सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं। सिनेमा में इन्ट्रेस्ट वाले हैं। अलग-अलग कमेटी नहीं है।

श्री रामकिशन : कोई भी बनायी होगी।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी कमेटी ने किस पिक्चर को एक्जम्पट करने की सिफारिश की गवर्नमेंट को, प्राइवेट एडवाइस की या क्या किया यह बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : मुझको तो एडवाइस करने के लिए एक फाइनेन्स सेक्रेटरी और एक डिप्टी सेक्रेटरी · · ·

श्री भैरोंसिंह : 'मेरा नाम जोकर' इसको एक्जम्पट करने के लिए कौनसी कमेटी बनायी है ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स का एक आदमी होता है। एम. एल. ए. होगा या कोई होगा · · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : नाम बताइये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन कौन एम. एल. ए. हैं, किसी एक कमेटी का ही बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : एक कमेटी में सदन की माननीय सदस्या श्रीमती गौरी पूनिया को बनाया था। एक कमेटी में श्री प्रद्युम्नसिंह। एक में उपाध्यक्षजी · · ·

श्री उपाध्यक्ष : हमारी कमेटी की अभी रिपोर्ट आयी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगी कौनसी कमेटी बनायी किस पिक्चर के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : उसका अभी एक्जम्पशन नहीं हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यह जवाबदारी मेरे से हट जाय। कई लोग आते है कि एक्जम्पशन दे दिया जाय। कई कहते हैं कि स्कूल के लिए यह काम आवेगा और यह रास्ता निकालने के लिए मैं भी सोचता हूं। आगे से ऐसा · · ·

श्री भैरोंसिंह : चेरीटी शो के लिए तो बहुत कम मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे लिये भी सिरदर्द था। इसलिये कोई भी पिक्चर एक्जम्पट करनी होगी तो सदन की दरख्वास्त आवेगी तो सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बिठा कर उनकी रिकमन्डेशन होगी तो एक्जम्प्ट की जावेगी नहीं तो नहीं।

श्री विजयसिंह : न तो कमेटी की आवश्यकता है और न ही एक्जम्प्शन की।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी भी यही राय है।

श्री मदनसिंह दांता : सदन की कमेटी बनाते हैं तो एन्टीकरप्शन किस लिये है? हिम्मत हो तो जांच करो और उन सदस्यों को एन्टीकरप्शन में दो। एक्जम्प्शन ही बन्द कर देना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : एक्जम्प्शन बन्द करने की बात सुझायी है। एक्ट में आपने प्रोविजन रखा है। कोई न कोई चीज ऐसी हो सकती है। डोक्यूमेन्टरी बनी या कुछ ऐसी बनी कि उसके लिये क्या किया जाय। मैं तो आपसे इस बात से कतई सहमत हूं कि एक्जम्पशन नहीं करना चाहिए और इससे स्टेट को लास होता है और आगे के लिये कोई रास्ता निकालेंगे और हुआ तो माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेकर ही किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे इस सदन के अन्दर यहां उठाये हैं अलग अलग विभागों के सम्बन्ध में, उनका जवाब तो सम्बन्धित विभागों के मंत्री महोदय ही जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस बजट के दौरान जितने मुद्दे वित्त के सम्बन्ध में उठाये गये थे और जो कि जनरल मुद्दे थे उन सब की चर्चा मैंने यहां पर कर दी है और मुझे उम्मीद है कि ... माननीय मनोहरसिंह जी शायद एक बात प्रोहिबीशन के बारे में पूछना चाहेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पूछूंगा ही। यह आपने सर्व नाश का बजट बनाया है। क्यों है यह?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो प्रोहिबीशन की नीति है उस पर राज्य सरकार कायम है, उस नीति पर दृढ़ है क्योंकि राज्य सरकार यह चाहती है कि जिन जिलों के अन्दर प्रोहिबीशन कर चुकी है उन जिलों में ही पहले इसको स्टेबिलाइज किया जाये क्योंकि कई तरह की इस सम्बन्ध में शिकायतें आ रही हैं इसलिये उसको ठीक करने के लिये इस साल में उसका कोई विस्तार नहीं किया गया है। यह हमारी नीति है। मगर हमारी प्रोहिबीशन की नीति पर हम स्टेन्ड करते हैं। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री देवीदत्त गाडिया : लेबर कोलोनीज है वहां पर आपकी शराब की दुकाने क्यों हैं? क्यों नहीं बन्द करते है।

श्री मथुरादास माथुर : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पत्र मुझे लिखा था वहां मैंने बन्द कर दी हैं। आप भी बता दें किस लेबर कालोनी में है, किस एरिया में है। वहां भी बंद कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाडियां : बारां में है। शाहबाद जो कि आदिवासी एरिया है वहां के चप्पे चप्पे में शराब की दुकाने है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि कोई तालाब, बांध बनता है तो उससे लगान भी वसूल किया जाता है और उससे इनडाइरेक्ट भी कई लाभ होते हैं और इसके अलावा शराब तथा लॉटरी कुछ ऐसे व्यापार हैं जिसकी वजह से सरकार को आमदनी तो होती है पर आमदनी होते हुए भी सब तरह से सर्वनाश होता है। फौजदारी के जुर्म बढ़ते हैं, वसेज के एक्सीडेन्ट होते हैं, और बच्चों को भूखों मरना पड़ता है। करोड़ों परिवारों को भूखा मार कर जो आप कर रहे हैं वह सर्वनाश की ओर ले जा रही है और लाटरी की वजह से मुफ्त की कमाई पर लोग जीना चाह रहे हैं, और शराब की वजह से लोगों की बर्बादी आप कर रहे हैं। यह आपने वायदा किया था कि सन् 72 तक आप कम्पलीट प्रोहिबिशन कर देंगे और आज आप इस वायदे से मुकर रहे हैं। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। इन्दिराजी को आप सब भगवान समझ कर दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इन्दिराजी ने आज तक शराब बंदी और लॉटरी के लिये कुछ नहीं कहा है, एक शब्द तक नहीं कहा है और आज वित्त मंत्रीजी 72 तक प्रोहिबिशन करने के वायदे से मुकर गये हैं। इस सम्बन्ध में बहुत सारी बातें हैं जो कि डिमाण्ड के समय कहूंगा परन्तु इस तरह आप समाजवाद को लाने नहीं जा रहे हैं और मैं इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं। यह समाजवाद नहीं है, सर्वनाश की ओर लोग जा रहे हैं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा सदन त्याग)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री दौलतराम सारण : जो एरिया डिक्लेयर्ड है प्रोहिबिशन के लिए उनके अन्दर फारेन लिकर की दुकानें क्यों खोली हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रोहिबिशन का जो एक्ट है उसके अन्दर जो परमिट होल्डर्स हैं, 60 बरस के बूढ़े आदमी को परमिट से पीने की इजाजत है। वहां पर ये दुकानें इंगलिश वाइन शाप के नाम से उनके लिए खोली गई हैं। विदेशी शराब परमिट होल्डर्स के लिये है और इन्डिविज्यूअल के लिये परमिट नहीं दिया जाता है। फॉरेन लिकर की एक जिले में एक दुकान है और यह बॉम्बे में भी है जहां प्रोहिबिशन है वहां सब जगह हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो लोग शराब बन्दी के विरुद्ध हैं उन लोगों के हाथ में शासन की नीति निर्धारण का अधिकार है और उन लोगों को परमिट देकर शराब देने का यह तरीका आपने निकाला है। कांग्रेस का बैकग्राउण्ड शराबबंदी का रहा है। एक तरफ आप शराब से अपनी आमदनी बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह तो आपकी दोहरी नीति है। आप में हिम्मत है तो आप इसकी खुली छूट दे दें। बहादुरी के साथ घोषणा करें कि हम नशाबन्दी के विरुद्ध हैं। आपकी इस नीति से तो चोरी चोरी शराब बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने बजट के पेज 31 पर यह स्पष्ट लिखा और यह निर्णय लिया है कि नगरपालिकाओं से जो शुल्क पानी का लिया जाता था और उसकी जो रकम बकाया है उसकी वसूली आपने मन्सूख कर दी है, परन्तु आपने जो ग्राम पंचायतें हैं उनके बारे में नहीं कहा है। नगरपालिकाओं की करीब 4 करोड़ 7 लाख की रकम को आपने मन्सूख कर दिया है और पंचायतों की जो एरियर्स निकालते हैं वह लाखों में ही निकलते हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं दया की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पंचायतों के जो एरियर्स हैं पानी के जैसे म्युनिसिपैलिटीज को माफ कर दिया गया है तो उनसे भी वसूली करना वाजिब नहीं है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और जो माफ करने के लिये कहा गया है वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि एक हजार आदमियों को एम्पलॉयमेन्ट देने को आपकी योजना है। इसके अन्तर्गत यह जो एक्सपेन्डीचर होगा वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के नान प्लान से होगा। परन्तु इसकी कोई इन्स्ट्रक्शन्स प्लान एज एक्जीक्यूटेड बाय दी सी. डी. ब्लाक को नहीं है। यह प्लान के अन्दर कैसे करेंगे और कैसे उसके अन्दर खर्च करेंगे इसकी कोई इन्स्ट्रक्शन्स डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटी को नहीं है। उसको आप जरूर भिजवायें। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें यह दिक्कत आई थी। पंचायत समितियों के सामने यह प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अपने बजट भाषण में मिनिमम गारंटी के बारे में कहा है कि वह भविष्य में नहीं रहेगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कहा है, मिनिमम बेस से ली जाती है।

श्री दिग्विजयसिंह : तो मैं गलत समझ गया हूं।

माननीय सदस्य श्री पी.के. चौधरी ने यह बताया था कि सेक्शन 96 के अन्दर 35 गुना पेनल्टी का प्रॉविजन आपने किया है ट्रेसपासर के लिये, परन्तु उसके साथ ही जो स्ट्रिप आफ लेण्ड किसी खातेदार के पास है, दो, पांच बीघा जमीन है उसके खाते के पास में है, तो क्या उसको भी आप केलक्युलेट कर रहे हैं और उसको भी आप शुमार कर के पेनल्टी इम्पोज करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आपको विचार करना चाहिये। आपने जो किया है वह यह किया है कि 15 बीघा तक किया है जितना ट्रेसपास इस सीमा तक हुआ है उसको तो आपने माफ किया है परन्तु क्या उसके पास में जो स्ट्रिप आफ लेण्ड आ गई है और उस पर उसने कब्जा कर लिया है, काश्त कर रहा है, क्या वह भी उसमें शुमार हो जायेगा ? उसने जो स्ट्रिप आफ लेण्ड पर कब्जा कर लिया है क्या उसको खाली, वेकेट, करना होगा ? जो 15 बीघा तक आप एक्जम्पट कर रहे हैं क्या उसमें स्ट्रिप आफ लेण्ड आयेगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो बजट स्पीच में कहा गया है वह तो 15 बीघा की लिमिट के लिये है। स्ट्रिप आफ लेण्ड को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रेग्युलेराइज करने के अलग रूल्स हैं। स्ट्रिप आफ लैण्ड के नीचे बहुत से ट्रैसपासर्स हो सकते हैं जो काफी बड़े हिस्से में हो सकता है इसलिये इनके लिये अलग रूल्स हैं और इस लिये यह अलग प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : 14 बीघा और कुछ बिस्वा किसी के पास है और उसमें छः बिस्वा और कोई मिलाना चाहता है उस स्ट्रिप आफ लैंड में से तो आपका क्या कहना है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिये तो यह किया ही है।

(बीच में दिग्विजयसिंह बोलने के लिये और खड़े हुए, और भी खड़े हुए : अमव्य)

श्री उपाध्यक्ष : इन सबका स्पष्टीकरण इस तरह से तो नहीं हो सकेगा।

श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय . . . .

श्री लालूराम सुखानिया : जिनकी खातेदारी में सैकड़ों बीघा है उनको आप रेग्युलेराइज कर रहे हैं। पर जो भूमिहीन हैं जो किसी जमीन को काबिज कर ही नहीं पाते हैं। उनको कोई इस तरह से कब्जा करने ही नहीं देता है तो उनसे ली जावे और इन पिछड़े लोगों को, भूमिहीनों को बांटी जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय से जिन्होंने अपने बजट भाषण में पैराग्राफ 28 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखाग्रस्त इलाके के लिये एक और स्कीम रूरल वर्क्स प्रोग्राम की बात स्वीकृति की बात कही है। इसमें 10 जिलों को लिया गया है और इन जिलों को राजस्थान सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने सिलेक्ट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन जिलों को जिन आधारों पर सिलेक्ट किया गया है और जिन आधारों पर राजस्थान सरकार ने सिफारिश की है क्या वे आधार झुंझुनूं और सीकर जिलों पर लागू नहीं होते?

पिछली बार अकाल पड़ा तो एक एक करोड़ रुपया सीकर और झुंझुनूं जिलों पर हुआ। तो जहां दो करोड़ रुपया खर्च हुआ हो और जहां आस पास के कुओं में मीठा पानी नहीं हो, 100 से भी अधिक गांवों में पूरा का पूरा पानी खारा हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन में सीकर और झुंझुनूं को क्यों नहीं रिकमण्ड किया और इस स्कीम में इनको क्यों नहीं लिया गया? इसका क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामनारायण : अलग कैसे है?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी डिटेल बगैर बिना पूर्व सूचना के इस समय कैसे दी जा सकती है।

श्री रामनारायण : किसी आधार पर तो दसों का सिलेक्शन हुआ ही होगा, वे आधार क्या हैं, सिर्फ मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट इस पर जब आवे तो उस समय चर्चा हो सकती है। आपने अपनी डिबेट में इस मुद्दे को उठाया था क्या ?

श्री रामनारायण : मैंने उठाया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य, शोरगुल)

श्री मदनसिंह : इनको छांटने का कोई क्राइटेरिया तो सरकार ने फिक्स किया होगा ? इस क्राइटेरिया में सीकर और झुंझुनूं को भी शेयर होल्डर बना दिया जाय तो कितनी अच्छी चीज हो।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें से सीकर और झुंझुनूं को किस तरह से एवाइड किया गया है ? एक तरफ दो करोड़ भी खर्च नहीं करना चाहते, दूसरी ओर 12 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यह क्षेत्रीय पक्षपात की भावना किस तरह चलेगी। यह क्षेत्रीय भावना है। बीस करोड़ रुपया अकेले जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में खर्च हो रहा है।

यह पॉइन्ट रामनारायण जी ने डिबेट में भी उठाया था। आसन इस को रोकना चाहता है। आसन की व्यवस्था ठीक नहीं है इस बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से तो ठीक व्यवस्था है।

श्री मोहनलाल मोदी : उनको कहते हैं दूसरा विषय ले लें। कैसे ले लें ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों से ऐसा है। जो उन्होंने ठीक समझा उत्तर दे दिया। अब अगर उससे सन्तोष नहीं है किसी माननीय सदस्य को तो और अन्य तरीकों से उस बात को उठा सकते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या परिस्थिति है क्या नहीं। सरकार पक्षपात से क्यों काम लेना चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें वित्त मंत्री ने कहा उस के अतिरिक्त आपने इस मुद्दे को अपनी डिबेट में उठाया है ?

श्री रामनारायण : जी हां, मैंने उठाया है।

श्री मदनसिंह : ठीक बात है। एक बार नहीं सात-आठ बार उठाया है।

श्री पी. के. चौधरी : सीकर झुंझुनूं उस क्राइटेरिया में क्यों नहीं आया है, यह सवाल उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : उठाया है तो वित्त मंत्रीजी चाहें तो उत्तर दे सकते हैं। वित्त मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : विद्युत् का प्रोग्राम आता है तो उन जिलों के लिये आता है, जो जोधपुर डिविजन में हैं। सारी पंचायत समितियों में ले जावेंगे चाहे उनके लिए लम्बी से लम्बी लाइन क्यों न खींचनी पड़े। जब कि थोड़ी सी लाइन खींचने पर इन इलाकों में अधिक लोगों को, गावों को

(श्री मोहनलाल मोदी)
बिजली मिल सकती है। करोड़ों मन अनाज जो जिला दे सकता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आप नियमों का ध्यान रखिये।

श्री मदनसिंह : इन वांगड सेठों के लिये लाइनें जाती हैं दूर दूर। सीकर के हमारे सेठों के लिये लाइनें जाती हैं रामगढ के बाकी के सारे इलाके को छोड दिया जाता है। यह बर्दाश्त नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करिये।

दुबारा चर्चा तो वापिस हो नहीं सकती।

श्री मदनसिंह : सिनेमा वाला छोटा सा मामला था उसमें एक डेढ़ घंटा लगा दिया और जो हमारे पीने के पानी का जीवन-मरण का प्रश्न है उस पर चर्चा नहीं हो सकती ? यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह : हम तो और कुछ नहीं चाहते। इस पर केवल सिफारिश चाहते हैं। रुपया भी नहीं चाहते। रुपया तो भारत सरकार दे रही है। आपकी सिफारिश से वह रुपया मिल सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो क्रानिकली ड्राफ्ट एरिया हैं योजना में ऐसे दस जिलों को चुना गया है। इसके सम्बन्ध में कोई क्राइटेरिया राजस्थान सरकार ने तय कर दिया है, ऐसी बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में अलग अलग स्टेटों को वहां के रेकरिंग स्केअरसिटी ड्राफ्ट कण्डीशन्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछली साल बजट देते समय जो रकम दी थी उसके आधार पर तय किया था और उसमें राजस्थान के दस जिलों को यह रकम अलॉट की गई थी।

रेकरिंग स्केअरसिटी कण्डीशन्स किन किन जिलों में होती हैं इसमें वहां का रेन फाल, नम्बर आफ विलेजेज अफेक्टेड, पापुलेशन अफेक्टेड सबको वे देखते हैं। अब इसमें स्टेटों ने जिन जिलों के नाम भेजे हैं उन सब को वे उसी तरह से दे दें या मानें ऐसा नहीं है। हमने तो 15।16 जिलों के बारे में लिख कर भेजा था। अब ज्यादा जहां पर इस तरह का कण्डीशन उन्होंने समझी उनको भारत सरकार ने स्वयं ने सिलेक्ट किया है। इसके बारे में उनके पास भी पर्याप्त रिकार्ड रहता है। स्केअरसिटी के आधार पर हर साल रिपोर्टें स्टेटों के द्वारा उनके पास जाती रहती हैं। ये स्टेटों को भेजनी पड़ती हैं। तो उनके भी नॉलेज में रहता है। तो उन कण्डीशन्स के और उनके अपने रिकार्ड के आधार पर उन्होंने ही तय किया। इसलिये इसमें कहीं क्षेत्रीयता का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर आफ प्रायोरिटी से भेजा होगा आपने तो ? राजस्थान सरकार ने जिन जिलों के कागजात भारत सरकार को भेजे क्या यह सही है कि उनमें

(श्री भैरोंसिह)
सरकार ने ऑर्डर आफ प्रायोरिटी करके भेजा था और वही स्वीकार की भारत सरकार ने ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सबका साथ ही भेजा गया था। प्रायोरिटी नम्बर एक दो तीन करके नहीं भेजा गया।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर दस ही जिले क्यों लिये गये ? मेरा तो सबमिशन है कि सीकर झुंझनूं इसमें एड किया जाना चाहिये।

झुंझनूं कहीं अधिक उपयुक्त है डिजर्विंग है, पाली से। पाली में जवाई नहर है, बिजली वहां अधिक है। सीकर, झुंझनूं में एक छोटा सा नाला भी नहीं है इरिगेशन विभाग का। पानी का वहां यह हाल है कि चार महीने पहले आप पधारते तब मालूम होता कितना नीचा है। 280 फीट तक नीचा है। झुंझनूं जिले में ऑकरेन्स आफ फेमीन का जहां तक सम्बन्ध है, 52 से लेकर 70 तक आठ बार से अधिक बार पड़ चुका है। आपने सस्पेन्शन आफ लैंड रेवेन्यू लगातार वहां किया है। मैं नहीं समझता कि इन सब के बावजूद झुंझनूं क्यों नहीं इस काइटेरिया में आता है ? आपको भारत सरकार पर दबाव देकर कोशिश करनी चाहिये कि इन दो जिलों को भी वे इसमें सम्मिलित करें। यह बहुत बड़ा मसला है।

2।। करोड़ रुपया सड़कों पर किया। आज सारा बेकार गया। इन अनकम्पलीट कामों को पूरा कराना चाहिये जो काम सीकर और झुंझनूं में फेमीन में हुये हैं वह पूरे हो जाते हैं तो दूसरे प्रोग्राम्स है वे भी लिये जाने चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की बात नहीं कि ऐड कर सके। जो काइटेरिया आलरेडी लेड-डाउन है...

श्री मदनसिंह : आपने एड तो किया है लेकिन उन्होंने नेगलेक्ट किया है।

एक माननीय सदस्य : हाथ जोडे तो एड हो जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं केवल सीकर और झुंझनूं जिले के लिये.....

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह हाथ जोडने की बात नहीं है। पब्लिक ने मांग की है उस पर हुकुम देने की बात है....

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल दो बात कहना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य। श्री बिरदा राम।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह जानना चाहता हूं क्या राजस्थान की सरकार इन दोनों जिलों के लिये भारत सरकार से सिफारिश करने को तैयार है कि उनको शामिल कर लिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : केवल दो जिलों पर बेसिस नहीं कर सकते हैं और जिले राजस्थान को अलॉट हों और जो काइटेरिया लेड-डाऊन है उस प्रॉयोरिटी के अन्दर तय करें और जो जिलेवाइज लिस्ट भेजी जायगी उसमें जो भी डेटा सीकर और झुंझनूं के हैं नाम भेज दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक निवेदन है। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा हमने यह क्राइटेरिया बनाया था यह जो रेकरिंग एक्सपेन्डिचर लिस्ट इन जिलों के लिये सिलेक्शन का बेसिस ····

श्री मथुरादास माथुर : रेकरिंग एक्स-पेन्डीचर-स्केयरसिटी कन्डीशन्स फार दी लास्ट ईयर है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक साल के लिये नहीं करीब 10 साल के स्केयरसिटी कन्डीशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है इस बेसिस पर·····

श्री भैरोंसिंह : आपने आंकड़े तैयार किये होंगे-कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड है यह तय किया होगा कितने पशु अफेक्टेड हैं, कितनी रैनफाल हुई है उस बेसिस पर सीकर झुंझनूं नहीं आते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो 10 में नहीं आने से ही जाहिर है । मुझे बताया गया है 10 साल का नहीं 20 साल का · · ·

श्री बिरदाराम (जालोर) : यह जिला की तो मैं नहीं कह सकूं-मैं झुंझनूं सीकर जिले के बारे में नहीं कहता बाकी हमारा जिला पिछड़ा हुआ है। आप जाकर देखें वहां सड़कें भी नहीं मिलती हैं

(कई माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर अश्रव्य)

मैं क्षेत्रीय भावना से बात नहीं करता हूं। मैं आपको मना नहीं करता हूं आप क्षेत्रीय भाव से देखते हैं इसका मुझे दुख होता है। मैं यह निवेदन करूं छोटे-छोटे गांवों के लिये जो नल योजना है इसकी भी स्कीम पांच हजार से ज्यादा जन-संख्या पर है। वह नल योजना कम से कम · · (अश्रव्य) 10 हजार से जो कम बस्ती है उसके घरों में कनेक्शन दिये जायं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : इस महकमे की बहस आगे होगी।

श्री बिरदा राम : दूसरे · · · (अश्रव्य) जाति है कोई बाहर नहीं जा सकती है तो मैं कहना चाहूं जो छोटे छोटे गांव हैं नल योजना · · · · (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल मोदी : क्या समझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कोई समझ ही नहीं रहा है। कहने का आपका क्या प्रश्न है ?

श्री बिरदा राम : मुझे कहना है, वित्त मंत्रीजी से समझते हैं · · · (अश्रव्य) जन-संख्या कम है। बहुत ज्यादा · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

(माननीय बिरदाराम जी और माननीय मोदीजी साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल मोदी : एक जानकारी मैं वित्त मंत्रीजी से चाहता हूं यह 46 रु. टन माइनिंग का बताया है उदयपुर के फासफोरस के लिये 46 रु. में जो बीकानेर से कान्ट्रेक्ट किया है उससे माइनिंग है या ग्राईन्डिग भी है ?

श्री बिरदाराम : हमारा काश्तकार खेती करता है उसके घरों में कनेक्शन लेने में कितना फायदा दिखता है · · ·

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैंने तीन मसले उठाये थे . . . .

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय सिर्फ एक प्रश्न । बहुत छोटा सा प्रश्न है ।

श्री मदनसिंह : जहां स्टेट की फेक्टरी है वहां पर क्या आप मजदूरों को शेयर देने को तैयार हैं–एक चीज ? रिक्शा और मिल मालिकों के लिये कोई कानून बनाने को तैयार हैं ? और जहां जहां पर किराये के लोग मकानों में रहते हैं जैसे जागीरदारी खतम हुई वैसे उनको मकान मालिक बनाया जाय और पैसे बैंक से दें ऐसा कोई प्रावधान किया है ? मैं ये तीन चीजें पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा समाप्त हुई ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी यह बता दें जो जिलावाइज बजट तैयार किया है उसमें जयपुर जिले की पिछली स्थिति को अध्ययन करके रखें तो उसमें हर साल कटौती करके भेजा है । इसमें भी रिहा फिया बजट....

(व्यवधान, अश्रव्य)

आप सुन लीजिये पहले.....

श्री उपाध्यक्ष : आप नया भाषण दे रहे हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : हम आश्वासन चाहते हैं । भविष्य में भी आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? पंचायत वाइज जो बजट देते हैं उसमें जिले में एक साल तक रद्दोबदल करते हैं और खर्च नहीं करते है तीसरी बात समाज कल्याण विभाग में जो आप बजट में धन देते हैं उसका दुरुपयोग होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्री लादूराम सुलानिया : इन दोनों बातों के लिये आप आश्वासन देते हैं और क्या आप यह चाहते हैं इसी प्रकार घोटाला होता रहे और माननीय जोशीजी गुलछर्रे उड़ाते रहें इसलिये मैं हमारे वित्त मंत्रीजी को और राज्य सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं दें ये दोनों बातें.....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । श्री यशवन्त सिंह नाहर ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि . .

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : यह बजट का प्रश्न है और जो सारे राजस्थान का बजट है उसमें हमारा भी यह हिस्सा है . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, दूसरा विषय ले लिया गया है ।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधि र समिति के 13 वें प्रतिवेदन को

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
1970 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य सरकार इस बारे में जवाब देना चाहती है या नहीं राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। अगर राज्य सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो कह दे कि जवाब नहीं है हमारे पास।

श्री उपाध्यक्ष : अगला विषय ले लिया गया है माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : ईमानदारी की बात पूछ रहा हूँ। जवाब दिया जाये ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! चर्चा समाप्त हुई।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार उत्तर देना चाहती है तो आपको अनुमति देनी चाहिए। उस अनुमति को रोकने से लाखों लोगों का नुकसान होगा ...

श्री उपाध्यक्ष : कोई लाखों लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हम जरूर अनुमति देते।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय आज हरिजनों की वही स्थिति है जो आज से 20 साल पहले थी। आज उनको मन्दिरों में नहीं जाने देना चाहते हैं। समाजवाद का नारा लगाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे पूछे गये उत्तर में सरकार आश्वासन दे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! काफी भाषण हो गया।

श्री लादूराम सुलानिया : बीस सालों में जिस प्रकार से जुल्म और अन्याय किये हैं अगर ऐसी नीति है तो यह बता दें। ईमानदारी की बात है। आपको तो निवेदन करूंगा कि आप राज्य सरकार को बाध्य करें कि राज्य सरकार जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा अवसर होगा तो अवश्य बाध्य करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : हम आपके आदेश से शान्त बैठे रहें इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार जवाब दे और उपाध्यक्ष महोदय उनको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : अगली बार जरूर उत्तर मिलेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य सरकार जो जवाब देना चाहती है उसको उत्तर देने दिया जाये और उनको नहीं रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो इतना ही कहना है कि जिस जिले के लिए जो जो प्रावधान है उस जिले में उस स्कीम से ही रुपया खर्च किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज (श्री लादूराम सुलानिया के बोलने पर)

श्री नाहर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रविले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कमेटी की रिपोर्ट को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 236 के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी मैंने कार्यसूची देखी है और उसमें मेरा प्रस्ताव कहीं स्टेण्ड नहीं करता है।

उपाध्यक्ष : उनका प्रस्ताव तो आ जाने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि इसको कन्सीड्रेशन में लेने का मोशन मैंने दिया हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि चेयरमैन महोदय ने इस रिपोर्ट को कन्सीड्रेशन में लेने का मोशन कब दिया ? और इन्होंने बाद में दिया है तो under what provision or rule it can have priority over my motion.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका मोशन तो मेरे पास है। मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। आप किसके सम्बन्ध में कह रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीनों ही प्रतिवेदनों पर विचार है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन को जो दिनांक 14 मार्च 1970 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जावे यह प्रस्ताव है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : 13 वां प्रतिवेदन।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो हाउस की कमेटी की रिपोर्ट है और सर्वसम्मति से ही इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय नियम 236 को पढ़िये। यह तो पहले डिबेट होगी :

(1) "After the report has been presented, the Chairman or any member or the Committee or any other member may move that the report be taken in to consideration, whereupon the Speaker may put the question to the House.

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House."

कन्सीड्रेशन का मोशन पुट करने से पहले ही डिबेट होगी, बाद में नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो तरीका अपनाया था और भैरोंसिंह जी को अलाऊ किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोगों ने बहका दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : कमेटी की रिपोर्ट पर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि विशेषाधिकार समिति सदन की एक छोटी कमेटी है और उसका जो प्रतिवेदन है वह काफी कन्सीडर्ड डाकुमेन्ट है और यह पहले भी सदन में आया था और दुबारा फिर आया और यह कन्सीडर्ड ओपीनियन कमेटी की है तो वह हाउस की कन्सीडर्ड ओपीनियन समझी जानी चाहिए। कन्सीड्रेशन के वक्त पर बहस अलाऊ की जाये यह उचित नहीं है। नियमों में चाहे कुछ भी हो लेकिन परम्परा यह बननी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट कन्सीड्रेशन में तो आये लेकिन उस पर कोई बोले नहीं। तो कन्सीड्रेशन में सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिये और जजमेन्ट में उसके कुछ करवाना हो तो प्रस्ताव पारण का आये उस समय विचार प्रकट करने चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि नियमों में कुछ भी हो लेकिन परम्परा यह होनी चाहिए कि कन्सीडर्ड ओपीनियन कमेटी की है और यह हमारे सब की ओपीनियन है वह यूनेनीमसली एक्सेप्ट की जानी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं कि नियमों में चाहे कुछ भी हो लेकिन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में कोई डिबेट परमिट नहीं होनी चाहिए– बिलकुल गलत बात है। यह हाउस की कमेटी है यह सही है। सलेक्ट कमेटी भी हाउस की ही कमेटी है और सभी कमेटियां हाउस की कमेटीज हैं, उनकी रिपोर्ट हाउस में आती हैं और उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव आते हैं और उसके आधार पर सदन में विचार होता है……

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहता हूं कि हमें कन्सीड्रेशन की स्टेज पर नहीं बोलना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तभी तो विचार कर रहे हैं। आप गलत समझ गये। उनका प्रस्ताव नहीं है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। यह तो केवल डिबेट है कि कन्सीड्रेशन में लेने के लिए कौन कौन से पाइन्ट्स हाउस को कन्सीड्रेशन में लेने चाहिए। आपको मालूम है कि क्या रिपोर्ट है? 13 वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी पता नहीं इसलिए हाउस को भी मालूम पड़े कि रिपोर्ट क्या है, उसके कन्टेन्ट्स क्या हैं और फिर अमेन्डमेन्ट के ऊपर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा तो यह होता कि इस रिपोर्ट को आज विचारार्थ नहीं लिया जाता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इतना ही काफी है। इसको स्वीकार कर लें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सदन के सामने आपत्ति क्या हो सकती है? मैं क्यों आपत्ति करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने समाचारपत्रों में····

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी रूम के अन्दर बहुत ज्यादा हल्लागुल्ला हो रहा है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेन्स हो रहा है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया। रामनारायण जी ने कहा कि इसको बन्द कर देना चाहिए और सुन लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय इसको सुनें और तय करें उसके पहले कौनसा खटका हो गया यह कौनसा प्रावधान है?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह कई खटके हैं। आपकी समझ में नहीं आयेंगे। उनमें से एक खटका है यह।

श्री मदनसिंह : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसको आगे के लिए कर लिया जाये।

श्री मदनसिंह : वह तो कर लिया। इसलिए आपने अभी कहा था कि न तो प्रवर समिति में जाना है और न कहीं जाना है इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए और विचार करते ही फिर इसको डेफर कर दिया। मुझे समझाओ।

3.50 म. प.

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस के सामने एक रिपोर्ट के कन्सीड्रेशन का मोशन रखा और कहा कि डिबेट परमिट नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धान्त नहीं हो सकता कि कन्सीड्रेशन के मोशन पर डिबेट नहीं हो सकती। इसलिए डिबेट आरम्भ हुई और भैरोंसिंह जी ने यह विचार रखा और उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि यह रिपोर्ट सदन के अधिकारों से बहुत अधिक सम्बन्ध रखती है इसलिए किसी और दिन के लिए इसको रखा जाये, उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया इसलिए डेफर हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने यह कब कहा कि इसको नहीं लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इट इज डिस्टिन्क्ट।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सी रिपोर्ट है? 16 वीं और 17 वीं रिपोर्ट पर आपने प्रस्ताव कौन सी तारीख को दिया?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात सुन लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आसन से पूछ रहा हूं। वी शैल डिसकस दी सिक्स्टीन्थ एण्ड सेवन्टीन्थ रिपोर्ट। 16 वीं और 17 वीं रिपोर्ट को कन्सीडरेशन में लेने के लिए प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है और इसमें लिखा है नियम 236 में कि चेयरमैन या कोई मेम्बर प्रस्ताव दे सकता है, तो मैंने प्रस्ताव दे दिया है तो मेरा प्रस्ताव इसमें आना चाहिये।

श्री सभापति : मैं जानकारी दे रहा हूं आप विराजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह भूल नहीं होना चाहिए फिर प्रस्ताव का क्या महत्व है?

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रस्ताव हुआ है अभी नहीं है। हमारी नालेज में नहीं है तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता है। उसका नोटिस आना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य सचेतक महोदय को मालूम होना चाहिए। प्रस्ताव की सूचना सेक्रेटरी महोदय को दी जाती है। वह लिस्ट में दिखता नहीं है। यह सेक्रेटेरियेट का काम है यह मेरा काम नहीं है। मैं जानकारी ले रहा हूं कि मैंने जो मोशन दिया था वह क्यों नहीं लिस्ट में आया है जब कि वह पहले से दिया हुआ है। इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। यह कोई गवर्नमेन्ट बिल नहीं है कि मिनिस्टर इन्चार्ज ही उसको पायलेट करते हैं। इसमें लिखा है कि चेयरमैन या कोई भी मेम्बर प्रस्ताव दे सकता है और जिसका प्रायोरिटी में आगया तो वह मूव करे। मेरा प्रायोरिटी में मोशन है इसलिए मुझे राइट है मूव करने का।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसा कि आपने फर्माया है हमारे यहां यह कन्वेन्शन है कि चेयरमैन ही इसको मूव करते हैं।

श्री लाबूराम सुलानिया : रूल में देना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रूल में है। आज तक कन्वेन्शन यह चला आ रहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य सचेतक ने नियम 236 का जो अर्थ निकाला है वह यह कि चेयरमैन को ही अधिकार है और वे ही प्रस्ताव रख सकते हैं। इसको अगर चेयरमैन मानते हों प्रिविलेज कमेटी के तो फैसला उन पर ही छोड़ता हूं, लेकिन मेरा जो अधिकार है वह बराबर का अधिकार है जो कि चेयरमैन को है वह एक मेम्बर को भी है तो जो पाइंट आप टाइम पर देंगे उसका आ जायेगा।

श्री सभापति : आपका मोशन मेरे सामने है। आपने जो मोशन रखा है उसके बारे में चेयरमैन महोदय ने भी मोशन रखा है इस वजह से चेयरमैन को पहले अधिकार है कि वे इस प्रस्ताव को रखें। ही हैज गाट दी राइट।

श्री लाबूराम सुलानियां : सभापति महोदय, इसमें यह और देखना पड़ेगा कि दोनों में पहले किसने किया है? रूल के अन्दर यही है।

श्री सभापति : आप कौन से रूल के मारफत कह रहे हैं?

श्री लाबूराम सुलानियां : सभापति महोदय की मारफत हाउस से कहना चाहता हूं कि पहले जिन्होंने दिया है उनका ले लें। आप उन की ओर से बता दें कि पहले किस का है।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : आसन से गलत व्यवस्था हुई है, चलिये।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : आसन इतना कमजोर नहीं है विरोधी दल का बैठा हुआ है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन को जो कि 23 मार्च को उपस्थापित किया गया था विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि 16 वें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

मोशन विचारार्थ लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापतिजी, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह 16वां प्रतिवेदन हमारे सामने है। इस 16 वें प्रतिवेदन के सिलसिले में और 17 वें प्रतिवेदन के सिलसिले में मैंने एक मोशन दिया था . . .

एक माननीय सदस्य : मैंने भी दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कौन सा ?

वह मेरा एमेंडमेंट इस तरह का है कि इन पत्रों को जिन्होंने कि जानबूझ कर इस तरह से उपेक्षा की है इनके बारे में राज्य सरकार को निर्देश दिये जायें कि भविष्य में इन पत्रों को सरकार के द्वारा या सरकार की जो दीगर एजेन्सियां हैं—पंचायत समितियां, नगरपालिकाएं, वगैरह उनसे किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जाय। इन लोगों को प्रताड़ित करने की सजा दी गई है वह बहुत कम है। यह जो प्रोसीडिंग है इसको देखेंगे तो, सभापतिजी, प्रोसीडिंग्स के दौरान इनका ऐसा रुख प्रतीत होता है कि ये पत्र के संवाददाता और दूसरे जो व्यक्ति हैं उन्होंने जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से च्युत होने की कोशिश की है, और इन्होंने अपने आपको ऐसी पोजीशन में नहीं डाला है कि जिसमें इन्होंने अफसोस वगैरह प्रकट किया हो। अच्छा तो यह होता कि यह समिति पहले जो इसकी सिफारिश थी इनको 7 रोज की सजा देने की उस पर ही कायम रहती, परन्तु समिति ने जो अब सिफारिश की है उसकी मूल सिफारिश पर कोई बात नहीं कहते हुए मैं नम्रता के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह जो एमेंडमेंट मैं पेश कर रहा हूं उसके आधार पर सदन और जो प्रस्तावक हैं वे मैं समझता हूं सहृदयता के साथ इस संशोधन को स्वीकार करेंगे कि राज्य सरकार को इस प्रकार का निर्देश दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय मुकट बिहारीलालजी ने जो 16 वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अपना एक एमेंडमेंट यहां पर प्रस्तुत किया है और उसमें आपने हाउस से निवेदन किया है कि इन दोनों अखबारों को जिन्होंने कि एक माननीय सदस्य और माननीय अध्यक्ष के सम्बन्ध में जो विचार अपने प्रकट किये हैं और जिनकी वजह से उनकी मानहानि हुई है, और उस पर पहले प्रिविलेज कमेटी ने निर्णय लिया था उसमें तब्दीली करके आज एक नया निर्णय प्रस्तुत किया है तो उनका यह कहना है कि इन दोनों अखबारों को कोई राजकीय एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाय, और इस प्रकार की सजा उनके लिए तजवीज की जाय। क्योंकि यह संशोधन अभी हमारे सामने आया है उस पर जब तक विचार न कर लें और जब

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तक जो कमेटी ने निर्णय दिया है उसमें तब्दीली वगैरह नहीं करते हैं तब तक एमेंडमेंट को जल्दबाजी में स्वीकृत कर लेते हैं तो काफी गड़बड़ होती है। तो मेरा यह सुझाव है कि माननीय मुकुटबिहारीजी ने जो एमेण्डमेण्ट रखा है उस पर कमेटी दुबारा गौर करे और उस पर नया निर्णय ले इसलिये इस केस को वापिस रिमाण्ड कर दिया जाय कमेटी को तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापतिजी, माननीय मुकुटबिहारीलालजी ने जो संशोधन रखा है वह संशोधन सक्यूलेट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, यह आप जानें, लेकिन यह सुझाव जो मुख्य सचेतक की तरफ से आया है कि प्रतिवेदन पर प्रस्तुत संशोधन पर गौर करने के लिए सारी रिपोर्ट को ही रिमान्ड कर दिया जाय मैं इसका विरोध करता हूं। आखिर यह तरीका क्या है कि बरसों तक एक मामला चलता रहे और किसी पत्रकार के सर पर तलवार लटकती रहे ? अगर उन्होंने जुर्म किया है और हाउस यह समझता है कि संगीन जुर्म किया है तो सजा दे। विशेषाधिकार समिति ने जो सिफारिश की है वह देकर सारे मामले को समाप्त किया जाय और जो एमेंडमेंट आया है उस पर यहीं हाउस में विचार कर लिया जाय। लेकिन सारे मामले को दुबारा प्रिविलेज कमेटी में भेजने का मसला है उसका मैं विरोध करता हूं केवल यह संशोधन है कि इन अखबारों को राज्य सरकार विज्ञापन देना बन्द कर दे तो इस सुझाव पर, इस संशोधन पर विचार कर लिया जाय। सारे मामले को वापस प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय तो आखिर प्रिविलेज कमेटी भी एक रैस्पान्सिबल बोडी है हाउस की उसके सामने सारा मामला था अगर वे समझते कि इन अखबार वालों को दण्ड देना है और दण्ड देने की व्यवस्था की सिफारिश करने से उनको किसने रोका था ? विज्ञापन बन्द करना यह दण्ड है। और इसके अलावा बाकी भी दण्ड हो सकता है कोई शर्मदार आदमी है। विशेषाधिकार समिति को मामला चला गया है। यह सदन इतना बड़ा है, सुप्रीम है, इसमें इस चर्चा को और बढ़ायें यह शोभाजनक नहीं है विशेषाधिकार समिति को यह दुबारा भेजा जाय यह उचित नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, अब फिर रिपोर्ट आई तो फिर रिमाण्ड करना चाहते हैं: क्या आप इसको कोल्ड स्टोरेज में डालना चाहते हैं। या फिर चैयरमैन महोदय, यह कहें कि गवर्नमेन्ट की ओर से कोई मोशन आये। गवर्नमेन्ट अपनी ओर से कोई दिमाग बना नहीं पाई है। कौन है, क्या मामला है, इस मसले में क्या मंशा है। आखिर कोई कमेटी है। गवर्नमेंट कमेटी है। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं तो आप संशोधन लायें हाउस उस पर विचार करेगा।

श्री मदन सिंह : सभापति महोदय, सतीशचन्द्र जी ने जो विचार रखे हैं, उनसे मैं सहमत हूं। जब पूरा विचार हो गया है। अमेंडमेण्ट भी है। क्या यह सोचते हैं कि आयन्दा यह पेपर चले ही नहीं। मैं समझता हूं कि गोयल साहब स्वयं अत्यन्त उदार हैं, वह प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मुकुट बिहारी जी ने जो अमेण्डमेण्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। विशेषाधिकार समिति ने काफी सोच विचार के बाद यह प्रस्ताव रखा है। कमेटी को सदन ने बनाया है। कमेटी की राय सर्व-सम्मत राय है। उस पर हम संशोधन दें यह उचित नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे संशोधन प्रस्ताव वापिस ले ले। जो प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ है उस पर सर्वसम्मति से निर्णय होना चाहिए। विशेषाधिकार समिति का निर्णय काफी है। पत्रकारों को यह सजा दिया जाना कि उनको एडवरटाइजमेंट नहीं दिया जाये, एक बडी सजा है। इससे उनको काफी मदद मिलती है। यह हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो जाये। यह सदन बहुत बड़ा है। इसके व्यापक अधिकार हैं। बड़े अधिकार वालों द्वारा अपने अन्तिम अधिकारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। यह विशेषाधिकार समिति का निर्णय है, इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाये।

श्री जगन्नाथ पटेल: सभापति महोदय, यह पत्रकारों का मामला है। मैं सुना करता हूं पहले के और अब के पत्रकार बराबर हैं। हम यहां पर बोलते हैं वह पत्रकार छापते हैं। वह नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पायेंगे।

श्री सभापति: यह पत्रकारों पर डिस्कशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: सभापति महोदय, एक प्रतिवेदन है:...

(4.5 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री दौलतराम सारण: दूसरी तरफ से कौन बोलेगा?

श्री भैरोंसिंह: इसके लिए विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन है। उस प्रतिवेदन पर जिस गम्भीरता से विचार करना चाहिए, मैं अब तक अन्य माननीय सदस्यों को तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मैंने जिस गहराई से उसको देखना चाहिए, बजट अधिवेशन के कारण, उस गहराई से मैं अध्ययन नहीं कर सका हूं। इस प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाये तो एक सुन्दर परम्परा बनती है। इसके अलावा यह भी प्रश्न है कि जब कोई परम्परा का निर्माण करें जिसके कारण भविष्य में कोई गलत चीजें न हों, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा और माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि जितनी व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए कम से कम मैं तो उस दृष्टि से विचार नहीं कर पाया हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है, यदि आपत्ति न हो तो इन तीनों को एक साथ ले लिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नत्थीसिंह: सभापति महोदय, मैं थोड़ा ही निवेदन करूंगा। प्रतिवेदनों पर विचार हमको गम्भीरता से लेना चाहिए। जनतन्त्र का युग है। यह रिपोर्ट कई बार डेफर हुई है। अब हम इसको डेफर करें तो तारीख बांध दें कि पुनः इतने दिनों में विचार हो जाये। यह नहीं हो कि समय की कोई सीमा न रखी जाये। इसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 11 और 12 मई अध्यक्ष महोदय के लिए रखी गई है। बाकी कोई बिजनेस नहीं है। 11–12 रखी जा सकती है।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं भी चाहता हूं कि इस मामले को डेफर किया जाये। अध्यक्ष महोदय कमेटी बुलाकर तारीख तय कर लेंगे।

श्री सभापति : इन तीनों प्रतिवेदनों को . . .

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सभापति महोदय, जो 17वां प्रतिवेदन है, उसको मूव तो कर लेने दीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : असल में माननीय सदस्य ने कहा है . . .

श्री सभापति : मूव करने की आवश्यकता है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : 17वां प्रतिवेदन मूव नहीं हुआ है।

श्री सभापति : आज के बिजनेस में है। मूव करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों प्रतिवेदनों को डेफर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय सुविधानुसार विचार करेंगे।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.10 बजे कल दि. 21–4–71 के प्रातः 11 बजे बुधवार तक के लिए स्थगित की गई)

Page No 126

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची)

APPENDIX–'A'

List of the villages tehsilwise electrified upto 31-3-70 in District Pali.

S No. 1	Name of the village 2	Name of the Tehsil. 3	S.No. 1	Name of the village 2	Name of the Tehsil 3
1.	Atbara	Sojat	31.	Chandavantan ki-Dhani	Raipur
2.	Ajitpura	,,	32.	Naharpura	,,
3.	Boyal	,,	33.	Piplia Kalan	,,
4.	Baghabas	,,	34.	Bansia	,,
5.	Bilawas	,,	35.	Rampura	,,
6.	Chamadiya	,,	36.	Mohera Kalan	,,
7.	Dhandari	,,	37.	Devali Kalan	,,
8.	Dhakari	,,	38.	Nimbara	,,
9.	Dhibawas	,,	39.	Basi Kaviyan	,,
10.	Lundawas	,,	40.	Bingowa	Desuri
11.	Mandais	,,	41.	Sadari	,,
12.	Ramasani Bala	,,	42.	Barkana	,,
13.	Sojat City	,,	43.	Mada	,,
14.	Sojat Road	,,	44.	Indra Charana	,,
15.	Seyat	,,	45.	Rani (Kalan)	,,
16.	Sardarpura	,,	46.	Bisbalpur	Bali
17.	Sandiya	,,	47.	Bijapur	,,
18.	Surayata	,,	48.	Boya	,,
19.	Chandwal	,,	49.	Bhatund	,,
20.	Pachunda Kalan	,,	50.	Pavetra	,,
21.	Hingawas	,,	51.	Erinpura	,,
22.	Roopwas	,,	52.	Phalana	,,
23.	Gogunda	,,	53.	Galthani	,,
24.	Gogenda	,,	54.	Khimel	,,
25.	Bagari	Raipur	55.	Kot (Balia)	,,
26.	Babra	,,	56.	Loonawas	,,
27.	Kushalpura	,,	57.	Mirgisar	,,
28.	Limamba	,,	58.	Mundara	,,
29.	Raipur	,,			
30.	Jhuntia	,,			

1	2	3
59.	Pomawa	Bali
60.	Poorada	,,
61.	Poonaria	,,
62.	Paderla	,,
63.	Sumerpur	,,
64.	Sanderao	,,
65.	Shri Shela	,,
66.	Shewari	,,
67.	Takhatgarh	,,
68.	Bali	,,
69.	Vidhyawati	,,
70.	Sindru	,,
71.	Barwa	,,
72.	Koliwara	,,
73.	Mandiya	,,
74.	Sheo Talau	,,
75.	Latara	,,
76.	Guru Kalyansingh	,,
77.	Khiwandi	,,
78.	Kanpura	,,
79.	Gogara	,,
80.	Bankli	,,
81.	Jukara	,,
82.	Koselao	,,
83.	Dera	,,
84.	Lalrai	,,
85.	Sesli	,,
86.	Karanwa	,,
87.	Patawa	,,
88.	Khinwara	,,
89.	Mokampura	,,
90.	Mordu	,,
91.	Balana	Bali
92.	Ramnagar	,,
93.	Balunda	Jaitaran
94.	Banga Kuri	,,
95.	Jaitaran	,,
96.	Minbaj	,,
97.	Talkia	,,
98.	Thakarwas	,,
99.	Khinwari	,,
100.	Brithvipura	,,
101.	Bed Kalan	,,
102.	Anandpur Kalu	,,
103.	Bakarwash	,,
104.	Sangawash	,,
105.	Kharolia	,,
106.	Charandia	,,
107.	Agewa	,,
108.	Khurd	,,
109.	Ramawas Kalan	,,
110.	Ramaws Khurd	,,
111.	Deoriya	,,
112.	Pali	Pali
113.	Mandli Khurd	,,
114.	Kharwa	,,
115.	Dhjana	,,
116.	Jhoghawar	Kharchi
117.	Dhanla	,,
118.	Banijorhawar	,,
119.	Bansi	,,
120.	Bhagora	,,

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	नाम न्याय पंचायत	रिक्त स्थान		स्थान जिस दिनांक से रिक्त है।	
			अध्यक्ष	सदस्य		
1	2	3	4	5	6	
1.	सरदार शहर	शिमला	1	1	अध्यक्ष का	14-2-65
					सदस्य का	16-4-66
		बन्दनाऊ	-	1	सदस्य का	21-2-66
2.	तारानगर	बुचावास	-	1	सदस्य का	17-1-67
		साहवा	-	1	सदस्य का	20-9-66
		बांय	-	2	सदस्यों का	9-3-69
3.	श्रीडूंगरगढ़	सूडसर	-	2	सदस्यों का	25-10-69
						25-6-66
		बिग्गा	1	4	अध्यक्ष का	14-6-65
					2 सदस्यों का	28-8-69
					2 सदस्यों का	17-1-67
4.	रतनगढ़	रतनसरा	-	1	सदस्य का	4-7-67
		लोहा	-	1	सदस्य का	29-1-70
		गोगासर	1	-	अध्यक्ष का	2-6-65
5.	राजगढ़	ददरेवा	1	-	अध्यक्ष का	2-6-65
		सिद्धमुख	-	2	सदस्यों का	16-2-67
6.	रतननगर	घांघू	1	-	अध्यक्ष का	19-6-65
		दूधवाखारा	1	-	अध्यक्ष का	21-6-65

Page No 129

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची)

पंचायत समिति मेड़ता, द्वारा निर्माण कराये गये बीज गोदामों का विवरण

क्रमांक	नाम गांव	निर्माण का वर्ष	लागत
1.	मेड़ता रोड	1970	12829.64
2.	गोटन	,,	12668.76
3.	हरसोलाव	,,	13720.73
4.	छापरी	,,	11432.18
5.	ढावा	,,	12903.28
6.	ओलादन	,,	11387.37
7.	वड़ गांव	,,	12826.32
8.	रियां श्यामदास	,,	9469.22
9.	लाम्बा जाटान्	,,	11447.71
10.	गगराना	,,	10905.60

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 379 की सूची)

राजस्थान सरकार

पंचायत एवं विकास विभाग

क्रमांक :–– एफ. । वेतन । निर्धारण । 70 । 1549 जयपुर, दिनांक 21-11-70

1. समस्त विकास अधिकारी

2. समस्त सचिव, जिला वर्ग समिति

परिपत्र

पंचायती राज संस्थाओं के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के नवीन वेतन मान, 1969 की वेतन श्रृंखलाओं में वेतन निर्धारण हेतु जांच दल को जिला मुख्यालय पर भेजा गया था तथा इस विभाग में भी वेतन निर्धारण तालिकाएं अनुमोदित करने हेतु प्रोग्राम निश्चित किये गये ।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 की सारणी के पेरा 10 के अनुसार एक कनिष्ठ लिपिक, एक वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था किन्तु कनिष्ठ लिपिकों की जो पदोन्नतियां की गई हैं उनमें से अधिकतर ऐसी पदोन्नतियां हैं जो नियमों की ओर ध्यान न देकर कनिष्ठ लिपिक के पद पर 7 वर्ष का अनुभव पूर्ण न करने के पूर्व ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर दिये गये हैं। इस प्रकार नियमों के विपरीत पदोन्नतियां करना अनियमित है ।

इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि विकास अधिकारी द्वारा छः माह के लिए अस्थाई तौर पर पदोन्नति कर दी जाती है । इसके पश्चात् सेवा नियम की धारा 23 के उपनियम 4, 5 के अनुसार कार्यवाही नहीं हो पाती है और न वे निर्धारित अवधि में जिला वर्ग समिति के द्वारा चयनित हो पाते हैं । किन्तु एक लम्बी अवधि तक कार्य करते रहते हैं और उनको बराबर वेतन वृद्धियां दी जाकर चुकारा किया जा रहा है, जो एक गम्भीर अनियमितता है ।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करते हुए लेख है कि सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत हुई पदोन्नतियां अमान्य समझी जावें और यदि ऐसे वरिष्ठ लिपिकों का नवीन वेतन मान 1969 की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारित पूर्व में जांच दल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो उसे भी रद्द समझा जावे और नवीन

वेतनमान, 1969 की वेतन श्रृंखला में अनुमोदित तालिकाओं के आधार पर वेतन का चुकारा न किया जावे तथा अनुमोदित करने से पूर्व जो वेतन प्राप्त कर रहे थे उसी दर से वेतन का चुकारा किया जावे।

इस प्रकार की अनियमित पदोन्नति की सूचना संलग्न तालिका में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि सेवाओं/वेतम आदि को नियमित कराने के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया जा सके, और साथ में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में नियमों के विपरीत कोई भी पदोन्नति एवं सेवा अवधि न बढ़ाई जावे अन्यथा आपकी व्यक्तिगत जुम्मेदारी समझी जावेगी।

रणधीर सिंह,
अतिरिक्त विकास आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

(1) समस्त उप जिला विकास अधिकारी।
(2) सचिव, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा आयोग, जयपुर।
(3) परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

रणधीर सिंह
अतिरिक्त विकास आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

Page No 132

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु भेजे गये जांच दल का विवरण

क्रमांक	माह	जिला
1.	फरवरी 70	जयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़।
2.	मार्च ,,	जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर।
3.	अप्रेल ,,	जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कोटा, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, अजमेर, पाली।
4.	मई ,,	झुन्झुनूं, सीकर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, अलवर।
5.	जून ,,	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सीकर, झुन्झुनू, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, उदयपुर, अजमेर, सिरोही, भरतपुर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर।
6.	जुलाई ,,	सीकर, झुन्झुनू, जालौर, सिरोही, अजमेर, गंगानगर, चूरू, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर।
7.	अगस्त ,,	टोंक, कोटा, अलवर, उदयपुर, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, जिला झुन्झुनूं।
8.	10/70	पाली, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, टोंक, भरतपुर, जालौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा।
9.	11/70	अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी, झुन्झुनूं, डूंगरपुर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, झालावाड़, जैसलमेर, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूची)

पंचायत समिति, लाडनूं के प्रधान द्वारा सन् 1965 से अब तक प्राप्त यात्रा भत्ते की राशि का विवरण।

क्र. सं.	यात्रा की अवधि	भत्ते से प्राप्त राशि तथा दिनांक		यात्रा कहां की गई	कार्य जिसके लिए यात्रा की गई	विशेष विवरण
1	2	3		4	5	6
1.	5–3–65 से 31–3–65 तक	43.70	19–8–65	पंचायत समिति क्षेत्र	निर्माण कार्य, स्कूल कार्य निरीक्षण	
2.	4–4–65 से 30–4–65 तक	175.79	,,	,,	स्कूल निर्माण कार्य आदि निरीक्षण	
3.	2–5–65 से 9–5–65 तक	19.50	,,	,,	निर्माण कार्य पंचायत आदि	
4.	11–6–65 से 24–6–65 तक	31.84	,,	,, ,,	निर्माण कार्य आदि	
5.	3–7–65 से 18–7–65 तक	78.54	,,	,, ,,	निर्माण कार्य स्कूल निरीक्षण आदि	
6.	2–9–65 से 28–9–65	196.12	12-11-65	,, ,,	स्कूल निर्माण कार्य आदि।	
7.	1–10–65 से 30–10–65	117.87	,,	,, ,,	,,	
8.	8–8–65 से 27–8–65	125.35	,,	,, ,,	,,	
9.	2–11–65 से 31–12–65 तक	181.79	7-1-66	,, ,,	निर्माण कार्य स्कूल आदि।	
10.	4-8-65 से 5–11–65 तक	15[illegible].40	,,	,, नागौर	जिला परिषद् बैठक में	
11	2–2–66 से 25–2–66 तक	3[illegible].50	7–[illegible]–66	पंचायत समिति क्षेत्र	निर्माण कार्य स्कूल, पंचायत आदि।	

1	2	3	4	5	6
12.	6-3-66 से 16-3-66 तक	97.00	7-4-66	पंचायत समिति क्षेत्र, नागौर	निर्माण कार्य स्कूल पंचायत आदि ।
13.	5-5-66 से 26-5-66 तक	388.05	27-7-66	,, ,, नागौर	सार्वजनिक मंत्री के साथ निरीक्षण आदि ।
14.	27-5-66 से 5-7-66 तक	264.17	7-7-66	,, ,, जोधपुर	अकाल राहत में समाज कल्याण हेतु ।
15.	2-7-66 से 27-8-66 तक	170.69	23-8-66	,, जयपुर	अकाल निर्माण कार्य हेतु, विकास कार्य हेतु, जिला परिषद् बैठक में।
16.	1-10-66 से	375.60	22-11-66	पंचायत समिति क्षेत्र, जयपुर ।	अकाल निर्माण कार्य हेतु, कुछ निर्माण योजना हेतु ।
17.	8-12-66 से 11-12-66 तक	127.94	23-12-66	पंचायत समिति क्षेत्र, नागौर ।	जिला परिषद् बैठक निर्माण कार्य आदि हेतु
18.	2-12-66 से 31-12-66 तक	223.88	28-1-67	पं. स. क्षेत्र	निर्माण स्कूल कार्य आदि
19.	जनवरी 1967 से	190.00	4-4-67	,,	,,
20.	फरवरी 1967 से	303.50	5-5-67	,,	विभिन्न निर्माण कार्य, रा. वि. सभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री के साथ ।
21.	3-3-67 से 10-4-67 तक	296.60	12-6-67	,, जोधपुर	निर्माण कार्य स्कूल निरीक्षण उप संचालक शिक्षा, रोड स्कूल हेतु ।
22.	11-4-70 से 5-7-67 तक	434.70	6-7-68	,, ,,	निर्माण कार्य, स्कूल निरीक्षण कुओं को बुलास्टिंग बाबत

1	2	3	4	5	6
23.	9-7-67 से 20-10-67 तक	835.75	22-10-67	पं.स. क्षेत्र, जयपुर	निर्माण कार्य, स्कूल पंचायत जेडी जल योजना हेतु, हरिजन वस्ती बाबत।
24.	21-10-67 से 14-11-67 तक	609.30	21-11-67	,, जोधपुर	निर्माण कार्य, इत्यादि हेतु। सामुदायिक कार्य हेतु।
				,, नागौर	पं. सं. विवाद की सलाह ए. डी. एम. कोर्ट में पं. सं. कार्य की अपील।
25.	25-11-67 से 30-11-67 तक	371.90	29-12-67	,, जयपुर	ग्राम सभा में भाग लिया, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु।
26.	8-12-67 से	131.60	22-2-68	,, ,,	निर्माण कार्य, स्कूल निरीक्षण योजना मंत्री से योजनाओं का।
27.	4-1-68 से 3-4-68 तक	400.72	8-4-68	हैदराबाद बम्बई	राजस्थानियों से जन सहयोग जल, शिक्षा योजनाओं के लिये गये
				जयपुर	जल योजना पर विचार।
				नागौर	विकास कार्य हेतु।
28.	5-4-68 से 29-4-68 तक	280.20	5-5-68	जयपुर	पंचायत राज मीटिंग
				नागौर	जिला परिषद् मीटिंग।
				पं. स. क्षेत्र,	निर्माण कार्य आदि देखने।
29.	3-5-68 से 29-8-68 तक	98.60	1-8-68	पं. स. क्षेत्र, जयपुर	निर्माण कार्य इत्यादि जल योजना डाब्डी हेतु।
30.	23-6-68 से 30-6-68 तक	15.00	21-9-68	,, क्षेत्र	निर्माण कार्य इत्यादि
31.	10-7-68 से 30-7-68 तक	90.40	,, ,,	,, ,, जयपुर	,, योजनाओं के लिए।
32.	2-8-68 से 30-8-68 तक	261.00	,, ,,	जयपुर पं. स. क्षेत्र नागौर	कृषि योजनाओं के बारे निर्माण कार्य इत्यादि जिला परिषद् बैठक।

Page No 136

1	2	3	4	5	6
33.	अगस्त, 68	59.40	8-11-68	पं. स. क्षेत्र	निर्माण कार्य, स्कूल निरीक्षण
34.	अग. सि. 68	104.05	8-12-68	,,	,,
35.	सि. अक्टू. 68	440.10	,,	,, जयपुर	,, विकास योजनाओं के लिये।
36.	27-10-68 से 21-11-68 तक	367.25	27-12-68	,,	,,
37.	3-12-68 से 31-11-68 तक	236.90	,,	नागौर ,,	अकाल राहत मीटिंग में। ,,
38.	31-12-68 से 31-12-68 तक	235.60	20-1-71	जयपुर नागौर जयपुर	विकास, अकाल कार्य हेतु सैनिकों को दी जाने वाली सहायता हेतु। अ. भा. संगोष्ठि में।
39.	2-1-69 से 17-2-69 तक	639.70	21-2-69	पं. स. क्षेत्र जयपुर	निर्माण कार्य आदि। अकाल कार्य हेतु परामर्श देने हेतु।
40.	18-2-69 से 11-3-69 तक	232.50	28-3-69	नागौर पं. स. क्षेत्र जयपुर	अकाल कार्य ,, निर्माण कार्य, समाज कल्याण विभाग गये पानी बिजली।
41.	12-3-69 से 29-4-69 तक	281.70	7-4-69	पं. स. क्षेत्र	अकाल निर्माण, निरीक्षण ,, ,,
42.	7-4-69 से 29-4-69 तक	451.95	7-5-69	,, जोधपुर जयपुर	अकाल भूखण्ड वाटर बोर्ड से बातचीत पूर्ण करने (उप सिंचाई)
43.	1-4-69 से 30-5-69 तक	510.50	7-6-69	नागौर जयपुर पं. स. क्षेत्र	अकाल राहत मीटिंग में गया निर्माण कार्य हेतु। वाटर सप्लाई हेतु, अकाल कार्य हेतु।
44.	8-6-69 से	192.50	17-6-69	पं. स. क्षेत्र	,, ,,
45.	26-6-69 से 17-8-69 तक	493.75	14-8-69	जयपुर नागौर पं. स. क्षेत्र	अकाल कार्य हेतु। अकाल राहत मीटिंग। अकाल, निरीक्षण।

Page No 137

1	2	3		4	5
46.	5-7-69 से 19-8-69 तक	429-15	20-8-60	जयपुर पं. स. क्षेत्र	योजनाओं के लिये ,,
47.	27-8-69 से 31-8-69 तक	241-60	18-9-.9	नागौर ,,	डिप्टी डी. डी. ओ. से प्राप्त तक संदस्यता क्रम में
48.	1-9-69 से 3-9-69 तक	322-80	8-10-69	जयपुर पं. स. क्षेत्र	अकाल राहत कार्य हेतु। स्कूल फेमिन कार्य।
49.	1-12-69 से 20-11-69 तक	494-25	28-11-69	,, जयपुर	,, विकास योजनाओं के लिये
50.	25-11-69 से 19-7-70 तक	446-00	21-1-71	,, जोधपुर नागौर	घोषित जल योजनाओं को ,, ,,
51.	28-11-69 से 9-1-70 तक	143-10	,,	पं. स. क्षेत्र ,,	निर्माण कार्य देखने हेतु। ,,
52.	20-1-70 से 28-2-70 तक	487-60	7-2-70	,, जयपुर	,, योजनाओं के लिये।
53.	1-3-70 से 6-3-70 तक	128-40	,,	बीकानेर नागौर	शिक्षा विभाग में गये। मुख्य मंत्री बैठक।
54.	7-3-70 से 9-7-70 तक	1943-14			बिल उपलब्ध नहीं हैं।
55.	10-7-70 से 10-9-70	1243-10	19-9-70	पं. स. क्षेत्र जयपुर नागौर जोधपुर जयपुर	निर्माण स्थल देखने। अकाल राहत हेतु। ,, साइल कंजरवेशन हेतु। प्रा. शा. क्रमोन्त के लिये।
56.	11-9-70 से 20-11-70 तक	156-25	30-11-70	पं. स. क्षेत्र	निर्माण अल्प पोषाहार भूमि आवंटन आदि हेतु।
57.	28-9-70 से 28-11-70 तक	695-90	,,	नागौर जयपुर नागौर जोधपुर जयपुर नागौर	भूमि आवंटन कार्य। जल योजना हेतु। क्षेत्रिय योजनायें। भू-संरक्षण हेतु। अल्प पोषाहार हेतु। जल योजना हेतु।
58.	30-11-70 से 2-1-71 तक	591-65		जयपुर जोधपुर नागौर	योजनाओं के लिये। भू-संरक्षण कार्य हेतु। जल योजना हेतु।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची)

सूची जिलेवार अभावग्रस्त घोषित ग्राम, जन संख्या व पशु संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त ग्राम	जनसंख्या	पशु संख्या
1	2	3	4	5
1.	चूरू	21	8437	24,092
2.	झून्झुनू	28	25860	28,524
3.	बीकानेर	83	35200	1,59,632
4.	बाड़मेर	133	97179	82,937
5.	जैसलमेर	131	70323	2,64,373
6.	उदयपुर	24	10096	29,301
7.	जोधपुर	49	47906	2,14,323
8.	गंगानगर	34	17834	58,259

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 365 की सूची)

पंचायत समिति, तालेड़ा के वर्ष 1969-70 के आडिट में बताई गई अनियमितताओं का विवरण ।

1. गत एवं विगत आडिट आक्षेपों की अनुपालना ।
2. समिति को प्राप्त ऋण की अवितरण राशि में ब्याज की हानि ।
3. बीज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं ।
4. निर्धारित दरों से मनोरंजन कर वसूल नहीं करने के कारण पंचायत समिति को 262299) रु. की संभावित हानि ।
5. अमान्य शालाओं पर 37740)रु. का अनावश्यक व्यय ।
6. श्री मदन लाल केशियर द्वारा समिति की रकम का गबन तथा दुरुपयोग ।
7. गेहूं 227 अवितरित रह जाने से पंचायत समिति को 71153) रु. की संभावित हानि होना ।
8. ठेका हड्डी की राशि वसूल नहीं होना ।
9. नरसरी उत्पादन बीज वितरण व नीलामी में गंभीर दोष ।
10. बिना टेन्डर के निर्माण कार्य करवाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना ।
11. स्थापना शाखा में अध्यापकों को वेतन में अधिक भुगतान ।
13. 9530) रु. की अनावश्यक खरीद (कृषि औजार) ।
14. स्टाक रजिस्टर से परमानेन्ट आर्टिकल्स का बेलेन्स कम किया जाना ।
17. सामान्य परमानेन्ट स्टाक रजिस्टर का पूर्व से मिलान नहीं होना ।
24. चेक बिलों के पेटे जारी नहीं किया जाना ।
25. पास बुक के बेलेन्स रोकड़ में नहीं लिखा जाना ।
42. केश बुक का भौतिक सत्यापन नहीं करना ।
44. वाउचरों का अभाव ।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूची)

APPENDIX 'A'

List of villages of District Sawai Madhopur in which connections for Agriculture wells have been released during 1970-71.

S.No. 1	Village 2	Tehsil 3
1.	Karauli	Karauli
2.	Agri	,,
3.	Hindaun	Hindaun
4.	Kanchroli	,,
5.	Mahavirji	,,
6.	Patonda	,,
7.	Hingot	,,
8.	Dhanpur	,,
9.	Khera	,,
10.	Kandaoli	,,
11.	Gadi-Bandhwa	,,
12.	Peetholi	,,
13.	Jamalpura	,,
14.	Sikroda Meena	,,
15.	Chandan Gaun	,,
16.	Sanetha	,,
17.	Gunsas (Phalikapura)	,,
18.	Akbarpur	,,
19.	Banwaripur	,,
20.	Gangapur	Gangapur
21.	Mirzapur	,,
22.	Lallpur	,,
23.	Umri	,,
24.	Salampur	,,
25.	Wazirpur	,,
26.	Mahu Klan	,,
27.	Sabibpur	,,
28.	Salarpur	,,
29.	Bamanwas	Bamanwas
30.	Kakrale	,,
31.	Gudlo	,,
32.	Nawad	Bamanwas
33.	Piplai	,,
34.	Bhitoli	,,
35.	Gothra	,,
36.	Nonete	,,
37.	Jagrampur	,,
38.	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur
39.	Man Town	,,
40.	Alanpur	,,
41.	Loiwara	,,
42.	Bhagwatgarh	,,
43.	Chouth ka Barwara	,,
44.	Jatwara Khurd	Hindaun
45.	Kherda	Sawai Madhopur
46.	Pachi Pala(Pachhi Pala)	,,
47.	Maimpura	,,
48.	Baudha	,,
49.	Bonli	Malarnachor
50.	Khirni	,,
51.	Alunda	Bonli
52.	Khorri	Mahnwa
53.	Ramgarh	,,
54.	Samleti	,,
55.	Raut	,,
56.	Hadia	,,
57.	Toda Bhim	Toda Bhim
58.	Manglapura	,,
59.	Padlo Jagir	,,
60.	Sakarwada	,,
61.	Balakpure	,,
62.	Bhuda	,,
63.	Manoj	,,
64.	Bhascena	,,

APPENDIX 'B'

LIST OF LOCALITIES SANCTIONED/ELECTRIFIED IN DISTRICT SAWAI MADHOPUR DURING THE YEAR 1970-71.

S.No.	Name of village	Tehsil	Date of electrification.
1.	Aluda (225)	Bonli	15.9.70
2.	Bhitoli (387)	Bamanwas	25.5.70
3.	Jagrampura (121)	,,	,,
4.	Naneta (63)	,,	,,
5.	Gothara (15)	,,	,,
6.	Habibpur (568)	Gangapur	,,
7.	Salarpur (354)	,,	,,
8-	Chak Chainpur (377)	,,	,,
9.	Mainpur (739)	,,	,,
10.	Bandha (929)	,,	,,
11.	Phali Kapura (Gunsab)	Hindaun	28.9.70
12.	Sapatha (1391)	,,	,,
13.	Manoj	Todabhim	5.7.70
14.	Bhaiseena	,,	,,
15.	Dhanoli	S. Madhopur	30.6.70
16.	Akbarpur	Hindaun	19.3.71
17.	Banwaripur	,,	,,
18.	Parita	Karauli	,,

APPENDIX 'C'

Villages of Bonli & Sawai Madhopur Tehsils electrified in 1970-71 and number of wells connected.

S. No.	Name	Tehsil	Date of electrification	No. of wells connected.
1.	Aludo	Bonli	15-9-70	3"
2.	Chak Chainpura	S. Madhopur	30-9-70	..
3.	Manpura	,,	,,	..
4.	Bandha	,,	,,	..
5.	Dhanoli	,,	31-3-71	..

Page No 142

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 376 की सूची)

भुगतान की गई राशि का विवरण प्रपत्र (अ)

क्र. सं.	नाम मय वल्दियत	निवास स्थान	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	लाल चन्द पुत्र मन्ना लाल	गोरधनपुरा	16-[illegible]-71	21-77
2.	कानाराम पुत्र गणपत	मण्डावरा	,,	21-77
3.	पन्नालाल पुत्र बद्रीलाल	,,	,,	21-77
4.	गंगाराम पुत्र भगवत	,,	,,	21-77
5.	देवी लाल पुत्र ओंकार	गोरधनपुरा	,,	21-77
6.	रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल	,,	,,	21-77
7.	परमानन्द पुत्र मन्नी लाल	मण्डावरा	,,	21-77
8.	गोपीलाल पुत्र प्रतापसिंह	,,	,,	21-77
9.	भगु लाल पुत्र भंवर लाल	,,	,,	21-77
10.	प्रभुलाल पुत्र धंवर	,,	,,	21-77
11.	रघुनाथ पुत्र कालु जी	,,	,,	21-77
12.	छीतर पुत्र किशन लाल	,,	,,	21-77
13.	रुकमणी पुत्री जगन्नाथ	गोरधनपुरा	,,	21-77
14.	जमना पुत्री परमानन्द	मण्डावरा	,,	21-77
15.	सीता पुत्री ओंकार	,,	,,	21-77
16.	काली पुत्री रामचन्द्र	गोरधनपुरा	,,	21-77
17.	धंवरी पुत्री दुला राम	मण्डावर	,,	21-77
18.	कस्तुरी पुत्र पन्ना लाल	,,	,,	21-77
19.	बद्री भाई पुत्री जमना लाल	,,	,,	21-77
20.	गीता पुत्री भंवर लाल	,,	,,	21-77
21.	मोतियां पुत्र भंवर लाल	गोरधनपुरा	,,	21-77
22.	झमकू पुत्री बद्री लाल	,,	,,	21-77
23.	किशनी पुत्री भंवर लाल	मण्डावर	,,	21-77
24.	कमली पुत्री छीतर लाल	,,	,,	21-77
25.	भौलिया पुत्री भैरु लाल	,,	,,	21-77
26.	मैनी बाई पुत्री गनपत	,,	,,	21-77
27.	अजीयुला खां पुत्र जास्ता खां	झालावाड़	,,	21-77

Page No 143

1	2	3	4	5
28.	राधेश्याम पुत्र कृष्ण गोपाल	गोरधनपुरा	16–2–71	21-77
29.	गोकल बाई पुत्री वालाराम	मण्डावर	,,	21-77
30.	वहीद बेग		31-7-70	27-00
31.	पार राम मिस्त्री		6-10-70	171-00
32.	गजेन्द्र सिंह चौकीदार		,,	131-00
33.	बद्री लाल गेज रीडर		9-10-70	131-00
34.	लक्ष्मी नाथ		10-1-71	35-00
35.	देवेन्द्र कुमार		6-2-71	54-50
36.	लालचन्द पुत्र पन्नालाल	मन्डावर	17–2–71	12–44
37.	कन्हैयालाल पुत्र भागमल	,,	,,	12–46
38.	गंगाराम पुत्र भगमल	,,	,,	12–44
39.	परमानन्द पुत्र चुन्नीलाल	,,	,,	12–44
40.	भगू पुत्री भंवर लाल	,,	,,	12–44
41.	रघुनाथ पुत्र कालूजी	,,	,,	12–44
42.	लक्ष्मीराम पुत्र कालूजी	गोरधनपुरा	,,	12–44
43.	गोपी पुत्र प्रताप सिंह	,	,,	12–44
44.	भवरी पुत्र सीताराम	,,	,,	12- 44
45.	मोती पुत्री कवर लाल	मण्डावर	,,	12–44
46.	जमनालाल पुत्र परमानन्द	,,	,,	12–44
47.	कमला पुत्री देवीलाल	नया गांव	,,	12–44
48.	मोहनी पुत्री प्रभुलाल	,,	,,	12–44
49.	रामू पुत्र सुलतान	मण्डावर	,,	12–44
50.	मनसुरा बाई पुत्री पन्नालाल	,,	,,	12–44
51.	पारस राम पुत्र कालूजो	गोरधनपुरा	,,	12–44
			कुल योग	1372–95

Page No 144

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की सूची)

वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक लघु सिंचाई योजनाओं पर खंडवार आवंटन

क्र. सं.	खंड का नाम	वर्षवार आवंटन			
		67-68	68-69	69-70	70-71 (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5	6
(1)	जयपुर और सवाई माधोपुर	2.50	3.00	7.30	14.00
(2)	अलवर	4.30	1.15	4.13	15.00
(3)	भरतपुर	0.15	—	—	4.50
(4)	अजमेर	5.00	5.33	3.81	6.40
(5)	बून्दी	6.00	8.39	9.00	14.00
(6)	सुमेरपुर	13.45	11.35	18.20	5.10
(7)	उदयपुर	6.35	3.95	15.50	10.00
(8)	कांकरोली	3.60	4.33	4.90	5.50
(9)	भीलवाड़ा	8.60	19.58	16.65	11.50
(10)	चित्तौड़गढ	10.75	12.99	15.20	17.00
(11)	बांसवाड़ा	18.72	16.00	16.00	19.00
(12)	चम्बल	0.50	—	—	—
(13)	प्रोरेटा चार्जेज	12.45	13.56	13.31	12.00
	योग	92.57	100.00	124.00	135.00

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 382 की सूची)

दिनांक 15-1-71 के बाद किये गये स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूची

क्रम सं.	नाम व पद	कहां से	कहां को	आदेश की तिथि.	कारण
1.	श्री बी. एन. सक्सेना प. लि.	डी. एम. एच. ओ. करौली	पी. एम. एच. ओ. अलवर।	706-11 / 18-1-71	प्रशासनिक
2.	श्री गोपाल सिंह ड्राइवर	प्रा. स्वा. केन्द्र सुजानगढ़	एन. एम. ई. पी. सीकर	792-96 / 21-1-71	डिक्लेयर्ड सरप्लस व्हीकल आन रोड
3.	श्री द्वारिका दास ड्राइवर	डी. एम. एच. ओ. बांसवाड़ा	डी. एम. एच. ओ. उदयपुर	1118-22 / 2-2-71	,,
4.	श्री मोहन लाल ड्राइवर	एन. एम. ई. पी. अजमेर	टी. बी. क्लीनिक बूंदी.	1727-29 / 19-3-71	,,
5.	श्री किशन लाल ड्राइवर	प्रा. स्वा. केन्द्र नागोरी कला	प्रा. स्वा. केन्द्र, केबन	698-703 / 18-11-71	प्रशासनिक
6.	श्री मोला बख्श चपरासी श्री रफीक मोहम्मद	प्रा. स्वा. केन्द्र, रतनगढ़ पी.एम.एच.ओ., गंगानगर	बदले में	6-2-75 / 18-1-71	प्रार्थना पर
7.	श्री काना राम चपरासी	प्रा. स्वा. केन्द्र, सांचोर	एन. एम. ई. पी. सिरोही	907-10 / 23-1-71	प्रशासनिक
8.	श्री रामलाल प. लि. श्री हरिश्चन्द प. लि.	पी.एम.एच.ओ., ब्यावर प्रा. स्वा. केन्द्र, भान्डारेज	बदले में	1772-77 / 1-1-71	,,

Page No 146

दिनांक 15-1-71 के बाद किये गये स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कहां से	कहां को	कारण
1.	डा. रामकिशोर चतुर्वेदी	आर.एम.टी.ओ., सिरसी	प्रा.स्वा. केन्द्र, झाडोल	प्रशासनिक
2.	डा. वाई. एस. माथुर	सी. एम. ओ., सिरसी	सचिवालय डिस्पेन्सरी	,,
3.	डा. ओम प्रकाश शर्मा	रायपुर	लूनावा	,,
4.	डा. तेज सिंह उपाध्याय	पाली	जवाल	,,
5.	डा. दूध राज जैन	ज्वाल	नदिया	,,
6.	डा. शान्ती लाल हरयाणी	नादिया	ई.एस.आई., कोटा	,,
7.	डा. एस. सी. जैन	लूनाया	बरार	,,
8.	डा. जेतकुमार गुप्ता	चूरू डिसपेंसरी	टी.बी. क्लीनिक, किल्लोटगढ	,,
9.	डा. ओ. पी. श्रीवास्तव	डेंटल क्लीनिक, टोंक	डेंटल क्लीनिक, रतनगढ़	,,
10.	डा. मिसेज काला जैन	ई.एस.आई. नं. 1, जयपुर	धानक हाक्विटस, पाली	,,
11.	डा. मिस इरविन्द्र कौर हलूवालिया	जनाना अस्पताल, भरतपुर	ई. एस. आई. नं. 1, जयपुर	,,
12.	डा. सी. जे. एस. हलुवालिया	वाई. एम. ओ., किशनगढ़	ए. के. अस्पताल, ब्यावर	,,
13.	डा. गुरुजीत सिंह	आर. एच. पी. सी., पाली	एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर	,,
14.	डा. अब्दुल हफीज	एम. एस. युनिट, जयपुर	एस. इन्छ. मेडिकल कालेज, जोधपुर	,,
15.	डा. दिनेश स्वरूप	एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर	एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	,,
16.	डा. हरिश चन्द्र अग्रवाल	आर.एम.पी.सी. धारियाबाद	खेडनाडा (उदयपुर)	,,

दिनांक 15–1–71 के बाद किये गये स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूची

क्रम सं. 1	कर्म. का नाम व पद 2	कहां से 3	कहां को 4	आदेश की तिथि 5	विवरण 6
1.	श्रीमती एम. बोगो मंगलम ए. एन.	डी. एफ. पी. ओ. अलवर।	पी. एम. एच. ओ., अलवर।	18–1–71	प्रशासनिक
2.	श्री देवेन्द्र कुमार कम्पा. श्रेणी–2	राजकीय अस्प. पाली	डी. एम. एच. ओ., करोली	18–1–71	
3.	श्री ओंकार मल कम.–3	सी. एम. ओ. सिरोही	बी. डी. अस्प.,	18–1–71	,,
4.	श्रीमती मरिअम्मा ए. एन. एम.	मा. स्वा. केन्द्र, मण्डावर (स. मां)	डी. एम. एच. ओ., जयपुर	20–1–71	,,
5.	श्रीमती सुमन प्रेमा कुमारी स्टाफ नर्स	कोटपूतली अस्प.	जे. एल. एन. अस्प., अजमेर	,, ,,	,,
6.	श्रीमती निर्मला कुमारी चन्द ए. एन. एम.	ए. बी. अपर., बीकानेर	डी. एम. एच. ओ., रतनगढ़	22–1–71	पोस्टिंग ओन पेसिंग बी ए. एन. एम. ट्रेनिंग को. एन. एल. एच. बी. 1
7.	मिस मरिअम्मा जोसिफ ए. एन.	जनरल अस्प., बीकानेर	,,	,,	,,
8.	मिस. एम. अम्मो पी. जे. ए. एन. एम.	,,	,,	,,	,,
9.	मिस रेचल ए. टी. ए. एन. एम.	जे. एल. एन. अस्प., अजमेर	डी. एम. एच. ओ., जोधपुर		,,
10.	मिस. सरस्वती अम्मा नेर, ए. एन. एम.	,,	डी. एम. एच. ओ., प्रतापगढ़	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6
11.	मिस ज्ञान देवी स्टाफ नर्स	एस. के. एम. अस्प., धोलपुर	एम. बी. एस. अस्प.,कोटा	27–1–71	प्रशासनिक
12.	श्री रामेश्वर शर्मा कम्पा.–2	एम. बी. एस. अस्प., कोटा	डी. एम. एच. ओ., जालौर	2–2–71	,,
13.	श्रीमती बिरार्ज बाई दाई	प्राथ. स्वा.केन्द्र, माधोपुर(कोटा)	एक्सी. डब्लू. सेन्टर, रामगंज मंडी, कोठा	,,	,,
14.	श्रीमती कुआजमा स्टाफ नर्स	जनरल अस्प., जालौर	पी. एम. एच. ओ., अलवर	3–2–71	जालौर यूनिट में स्टाररला इन्जेक्शन की पोस्ट समाप्त हो जाने के कारण।
15.	श्रीमती सत्य देवी कम्पा. श्रेणी 2	राजकीय अस्प. आटेला, (जयपुर)	डी. एम. एच. ओ., जालौर	22–2–71	राज्य सरकार के पत्र. क्रमांक पो.–27 एम. पी. एच. दि. 15–2–71

Page No 149

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 384 की सूची)
विधान सभा प्रश्न संख्या 33 प. म.

सूची 'क'

1966–67 में अकाल सहायतार्थ घास कटाने तथा वितरण की सूची:–

नाम बीड/प्लान्टेशन जहां से घास कटवाया	कटाए गए घास का वजन कु. में	घास का वितरण 1966–67 तहसील झालरा-पाटन को आवंटित	क्विन्टल में 1968–69 फेमिन डिपो पर भेजा	नीलाम में बिका	खराब हुआ
(1) प्लान्टेशन रेन बसेरा 1956 व 1959 क्षेत्र	454–82	––	395–79	–	59–03
(2) प्लान्टेशन फील्ड ट्राइल (बीड फोनसपुरा) 1962	93–19	32	––	61–19	––
(3) प्लान्टेशन रेन बसेरा (बीड इन्दा आवडी)	307–80	––	290–12	–	8–60

सूची (स)

झालावाड़ रेंज के प्लान्टेशन रेन-बसेरा 58-59, 59-60, फील्ड ट्राइल एवं पेरिया बीड से घास कटाई पर हुए व्यय का विवरण
1968 व 1969-70

नाम बीड	वास्तविक घास जो जो एकत्रित हुआ क्वीन्टल में	व्यय				योग
		कटाई घास	पूंजी लगाई	सुपरविजन चार्जेज	तुलाई घास	
		वर्ष 1968-69				
1. प्लान्टेशन रेन-बसेरा 58-59	125	764-50	305-00	1437-10	—	2506-69
2. प्लान्टेशन रेन-बसेरा 59-60	100	503-25	—	751-98	—	1255-23
3. फील्ड ट्राइल प्लान्टेशन	75	421-20	—	40-00	—	461-20
4. बीड घास एरिया	80	431-30	—	42-00	—	473-80
	380	2120-25	305-00	2271-67	—	4596-92
		वर्ष 1969-70				
1. प्लाण्टेशन फील्ड ट्राइल (फीजलपुरा)	200-00	992-81	64-08	75-15	—	1132-64
2. प्लाण्टेशन रेन-बसेरा 58-59 व 59-60	202-80	1010-14	—	30-00	—	1040-14
3. प्लान्टेशन रेन-बसेरा 62 (बूंदी बावडी)	181-25	904-27	—	104-00	—	1008-27
4. बीड घास ऐरिया	260-60	969-16	108-00	62-00	—	1139-16
	748-65	3876-38	172-03	271-75	—	4320-21

ह.
उपवन संरक्षक,
झालावाड़ ।

Page No 151

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, 20 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
	1		2	3
3	5		‍टर	मेटर
6	अन्तिम से	13	कृष्ण कुपार	कृष्णकुमार गोयल:
		1	40, 645,2 रु.	40,645.52 रु.
12	अन्तिम से	1	इता	इतना
	,,	1	लगत	लगता
17	,,	2	श्री विश्वमंरनाय	श्री विश्वम्भरनाय
18	,,	5	,,	श्री विश्वम्भरनाथ
	,,	1	ी अध्यस	श्री अध्यक्ष
21	शीर्ष	1	थैक यू	थैन्कयू
29	अन्तिम से	2	वाढ़दार	बाढ़दार
33		12	श्री हरिबल्लभ्‍र्मा	श्री हरिबल्लभ शर्मा
36	अन्तिम से	16	अनएम्पलायर्स	अनएम्पलायड
37		5	श्री रामकिशन	—
45	शीर्षक	1	अर्डल	अप्रेल
52	अन्तिम से	6	सौरण	सारण
78	शीर्षक	1	अतारांकित	अतारांकित
84		14	रेनबास	रेनवास
103		11	अनूदान	अनुदान
,,		13	श्री नदलाल	श्री नन्दलाल
137	अन्तिम से	4	कर	—
140	,,	8	वेखये	देखते
165		11	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
181		12	श्री मयुर दास मायुर	श्री मयुरादास माथुर
188	अन्तिम से	8	हमर्ददी	हमदर्दी
194	शीर्षक	1	[104	[194
,,	अन्तिम से		टन	टर्न ओवर
195		13	होंगे।	होगी।
,,	अन्तिम से	7	कह	कर
197	अन्तिम से	1	सुल	वसूल
199		13	कपिलक्टिग	कन्फिलक्टिग
203		16	मे	में
211		5	मैं ोंसिह	भैरोंसिंह

1			2	3
213 से 224 तक	शीर्षक		विशेषाधिकार समिति के--20 अप्रेल, 1971-के प्रतिवेदनों पर विचार	आय व्ययक 1971-72-20 अप्रेल, 1971 पर सामान्य वाद-विवाद
225	शीर्षक	1	1971-7 -	1971-72
,,	अन्तिम से	1	ड्राफ्ट	ड्राट
226		5	ड्राफ्ट	ड्राट
,,	अन्तिम से	15	का	की
,,	,,	10	जातो	जाती
231	शीर्षक		शासकीय वक्तव्य	आय-व्ययक 1971-72 पर सामान्य वाद-विवाद
234	,,	1	प्रिविले	प्रिविलेज
237	,,	1	रिर्पो	रिपोर्ट
239	,,	1	प्ररम्भ	प्रारम्भ
240		1	भेंरो हि	भैरोंसिह
272	नं.	6	पॅसिंग बोए	पासिंग दी ए.